



मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

आवासीय एवं व्यवसायिक
भूखण्ड प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर



विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक श्रेणी
के भूखण्डों का **E-AUCTION** के सम्बन्ध में
आवश्यक सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के आवासीय एवं व्यवसायिक श्रेणी
के भूखण्ड प्राप्त करने हेतु दिनांक **25.08.2026** से **13.09.2026** तक **e-Auction** का प्रोग्राम
प्राधिकरण की वेबसाइट **www.mdameerut.in** के **e-Auction** लिंक पर उपलब्ध है।

व्यवसायिक भूखण्ड 134

योजना का नाम:

पल्लवपुरम, गंगानगर, रक्षापुरम, लोहिया नगर
डिफेन्स एनक्लेव, सैनिक विहार, पांडवनगर, श्रद्धापुरी
वेदव्यासपुरी, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्पलेक्स, शताब्दी नगर।

Auction Date: 12.09.2026

आवासीय भूखण्ड 67

योजना का नाम:

पांडव नगर, पल्लवपुरम, गंगानगर,
शताब्दी नगर, डिफेन्स एनक्लेव,
लोहिया नगर।

Auction Date: 13.09.2026

Visit at: www.mdameerut.in

सचिव

उपाध्यक्ष

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

e-Auction विवरण पुस्तिका

आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम ग्रुप हाउसिंग, ग्रुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंक्वेट हॉल, नर्सिंग होम, हैल्थ सेन्टर भू-उपयोग के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को “जहाँ है, जैसा है” के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

e-Auction का दिनांक 25-08-2026 से 12-09-2026 तक का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18% प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 1180/- मात्र

(विवरण पुस्तिका मूल्य रू0 1000 + 18% GST रू0 180/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों, व्यवसायिक कम आवासीय भूखण्डों, व्यवसायिक कम गुप हाउसिंग, गुप हाउसिंग, होटल, बारातघर/बैंक्वेट हॉल, हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम के भूखण्डों एवं शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राइमरी स्कूल/जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल व डिग्री कालेज एवं उच्च शैक्षिक संस्थान” की स्थापना के लिये शैक्षिक भूखण्डों को **e-Auction** पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. अनावासीय भूखण्डों/सम्पत्ति का विवरण, स्थल क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

2. **e-Auction** में भाग लेने हेतु पात्रता—

(1) गैर आवासीय सम्पत्तियों (शैक्षिक भूखण्डों को छोड़कर) हेतु—

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0।

(झ) पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।

(त) शैक्षिक भूखण्डों का छोड़कर आवेदकों को ई-ऑक्शन में संयुक्त नाम से प्रतिभाग करने हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु “यूजर टाईप” पर “जोइन्ट होल्डर” को चुनना होता है। किन्तु संयुक्त नाम से प्रतिभाग करने लिये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते समय प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसके पिता/पति के नाम सहित उल्लेख करते हुए प्रॉपर स्थान पर पंक्तिबद्ध विवरण देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक/आवेदकों द्वारा ऐसा किया जाने में कोई त्रुटि अथवा चूक की/हो जाती है और एकल नाम से ही प्रतिभाग कर लिया जाता है तो उसके ई-ऑक्शन में सफल होने के पश्चात् मेरठ विकास प्राधिकरण के समक्ष छूटा हुआ नाम सफल आवेदक के रूप में शामिल करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र आदि देने का

अधिकार न होगा और न ही ऐसे किसी प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

(2) शैक्षिक भूखण्डों हेतु-

- (अ) रजिस्टर्ड सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (ब) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- (स) ट्रस्ट, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो (रजिस्टर्ड/बिना रजिस्टर्ड)।
- (द) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो तथा जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण-संस्था की स्थापना करके अशिक्षितों को शिक्षा प्रदान करना हो)।

3. आवेदक को e-Auction में सफल घोषित होने पर आवंटन कम किश्त पत्र email द्वारा जारी किया जायेगा। तत्पश्चात् सफल आवेदकों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्राधिकरण कार्यालय में जमा करने होंगे:-

- (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निधारित Document Fee व EMD के सफल (SUCCESSFULL) भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।
 - (4) आधार कार्ड की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कैन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST के अन्तर्गत पंजीयन होने प्रमाण/साक्ष्य की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
4. प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in पर, अनावसीय सम्पत्तियों की विवरण पुस्तिका, e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ का विवरण एवं e-Auction का प्रोग्राम, url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है जिनके सापेक्ष नियत दिनांक को e-Auction Programe के अन्तर्गत आवेदकों की On Line Bids आमन्त्रित है।
5. e-Auction में भाग लेने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात् e-Auction में भाग लेने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते के Link पर Challan/Net Banking के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब

होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Documets Fee) रुपये 1180/— मात्र ऑन लाइन गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका लिंक प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> पर उपलब्ध है, पर करना होगा तथा इसी प्रकार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका लिंक प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> पर उपलब्ध है, पर Challan/Net Banking के माध्यम से करना होगा।
7. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक तक प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-AUCTION में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को केवल वें आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं। e-Auction के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें किसी भी दशा में कम/वापस नहीं किया/लिया जा सकेगा।
8. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
9. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित करने की दशा में वापसी की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
10. यदि कोई आवेदक किसी एक सम्पत्ति के सापेक्ष सफल हो जाता है तथा उसकी EMD धनराशि अधिक जमा है तो वह आवेदक को वापस नहीं की जायेगी, बल्कि सफल सम्पत्ति के सापेक्ष आवेदक को जारी किये जाने वाले आवंटन-कम किश्त पत्र में समायोजित की जायेगी।
11. शैक्षिक भूखण्डों के सफल आवेदकों को तकनीकी ऑफर के साथ, विवरण पुस्तिका, समिति के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक ट्रस्टी हो तो ट्रस्ट का विलेख के अनुसार रुपये 10/— के जनरल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र व प्राधिकरण पक्ष में परीक्षण शुल्क अंकन रुपये 1,000/— जमा की रसीद आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने पर प्राधिकरण कार्यालय में पृथक से जमा करनी होगी।
12. शैक्षिक भूखण्डों के आवेदकों को परीक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा परन्तु On line paid EMD ऐसे आवेदकों को, जिनका तकनीकी आवेदन/वाणिज्य आफर स्वीकृत नहीं होगा, बिना ब्याज बिना कटौती के On line शिक्षण संस्था के खाते में वापस कर दी जायेगी।
13. ऐसे आवेदकों-समितियों/ट्रस्ट की जिनके पक्ष में शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी कर दिया गया हो और समिति/ट्रस्ट द्वारा आवंटन धनराशि जमा नियत अवधि 90 दिन के अन्दर जमा न कर पाने के कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया

- गया हो अथवा आवंटन धनराशि जमा करने के पश्चात् 03 किशतों के अदा न करने पर यदि शैक्षिक भूखण्ड का आवंटन निरस्त होता है तो भूखण्ड में जमा धरोहर राशि (EMD) जब्त कर ली जायेगी तथा शेष जमा धनराशि में 15% की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस की जायेगी। नॉन पेमेन्ट में सम्पत्ति के निरस्तीकरण के उपरान्त शासन द्वारा जारी आदर्श कास्टिंग गाईड लाईन्स-2025 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार निरस्तशुदा सम्पत्तियों आवंटन बहाली पर पुर्नविचार नहीं किया जा सकेगा।
14. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त दुकानों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक दुकान के मूल्य के सापेक्ष आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम् बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है, के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे।
 15. e-Auction के सफल आवेदकों को, e-Auction के प्रोग्राम से डाउनलोड की गयी विवरण पुस्तिका email द्वारा आवंटन कम किशत जारी दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर समस्त स्वः हस्ताक्षरित प्रपत्रों सहित (Hard Copy), प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।
 16. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् नीलामी समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
 17. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि (EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की EMD ई-ऑक्शन सम्पन्न हो जाने के पश्चात् उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
 18. हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड आवेदकों को e-Auction में भाग लेने के लिये आवेदक एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त चिकित्सक होना चाहिए। यदि आवेदनकर्ता समिति, ट्रस्ट अथवा कम्पनी आदि की ओर से भाग ले रहे हैं, तो उसका एक सदस्य एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक होना अनिवार्य है तथा हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, भी इसके साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक ने पूर्व में या वर्तमान में कोई हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम चलाया हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेन्स को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण भी इसके साथ संलग्न किया जायेगा। व्यक्ति/संस्था को अपनी वित्तीय स्थिति (हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। हेल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम श्रेणी के भूखण्ड/भूखण्डों के सापेक्ष सफल आवेदक/आवेदको को भूखण्ड का

आवंटन कम किश्त पत्र निर्गत होने के पश्चात् परीक्षण शुल्क रुपये 1,000/- पृथक से प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।

19. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से अनावसीय सम्पत्ति आवंटित हो जाने के पश्चात्, सम्पत्ति का फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट सहित मूल्य पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति "भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य+देय ब्याज+देय दण्ड ब्याज सहित कुल देय धनराशि" पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टीडीएस की धनराशि सब्याज देय किश्त/देय धनराशि में से कटौती करके आवेदकों द्वारा अपने पेन कार्ड के माध्यम से स्वयं अपने खाते से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं० AAALM0124D पर निर्धारित/नियत तिथियों तक भुगतान करते हुए आयकर की साईट से डाउनलोड किये Challan एवं Form 141(Challan-cum-statement of deduction of tax under section 393(1)) की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् ही टीडीएस के मद जमा की गयी धनराशि, आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष दर्ज करायी जा सकेगी। इसी प्रकार टीडीएस के पश्चात् शेष देय धनराशि का भुगतान आवंटियों के द्वारा स्वयं के खाते से प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक अथवा गढ़ रोड़, सूर्याश प्लाजा स्थित एचडीएफसी बैंक में जमा करना होगा।

20. सम्पत्ति के आवंटन-कम-किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो एचडीएफसी बैंक, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911) अथवा मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679) में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

21. सम्पत्तियों के मूल्य का पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट-

सम्पत्ति के आवंटन कम किश्त पत्र निर्गत होने के पश्चात् EMD धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत् छूट अनुमन्य होगी:-

- (1) 45 दिन में जमा करने पर 06 प्रतिशत की छूट
- (2) 60 दिन में जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट
- (3) 90 दिन में जमा करने पर 04 प्रतिशत की छूट

कॉस्टिंग गाईड लाईन्स-2025 के द्वारा अनुमन्य की गयी उपरोक्तानुसार छूट, सम्पत्ति के बेसिक मूल्य पर अनुमन्य होगी। फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट की धनराशि पर छूट अनुमन्य नहीं होगी।

यदि उपरोक्तानुसार नियत अवधि के अन्दर भूखण्ड का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को कोई छूट देय नहीं होगी बल्कि आवंटी को नियमानुसार निर्धारित किश्तों का भुगतान करना होगा।

22. मेरठ विकास प्राधिकरण से e-Auction पद्धति से आवंटित औद्योगिक भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध/रजिस्ट्री कराने से पूर्व आवेदक को, औद्योगिक विभाग में एस0एस0आई0 यूनिट के रूप में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. आवंटित सम्पत्ति की किश्तों में शामिल ब्याज दर एवं दण्ड ब्याज दर का विवरण—

(1) सभी प्रकार की आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट सहित देय आवंटन धनराशि का उल्लेख करते हुए किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 90 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि {धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए} प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा अनावासीय सम्पत्ति की बकाया 75% धनराशि 03 वर्ष की 06 समान छमाई किश्तों में 9.70% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 05 छमाई किश्तें 06-06 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 11.70% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

(2) फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि व लोकेशन चार्ज (कॉर्नर पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 05% पार्क फेसिंग सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 05% तथा 18 मीटर चौड़े रोड व 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों के शामिल भूमि मूल्य पर 05% तथा तीनों लोकेशन पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य पर 15% की बजाय 12% लोकेशन चार्ज देय होगा।) शामिल करते हुए जारी किया जायेगा तथा लीजहोल्ड सम्पत्तियों आवंटन कम किश्त पत्र लीजरेन्ट व लोकेशन चार्ज शामिल करके निर्गत किया जायेगा।

(3) यदि सम्पत्ति का साईट प्लान जारी होने के पश्चात् सम्पत्ति का क्षेत्रफल घटता या बढ़ता है तो तदनुसार कीमत देय होगी।

24. सम्पत्ति का आवंटन-कम-किश्त पत्र निर्गत होने के साथ-साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

25. साईट प्लान जारी होने पर देयता का निर्धारण—

आवंटित आवासीय सम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, ई-ऑक्शन के समय प्रकाशित तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। सम्पत्ति का साईट प्लान जारी होने पर यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, ई-ऑक्शन के समय प्रकाशित तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की वृद्धि पायी जाती है तो स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल (विज्ञापित क्षेत्रफल) का 10 प्रतिशत भूमि का

मूल्य, पूर्व दर अर्थात् नीलामी में प्राप्त दर से तथा शेष भूमि का मूल्य वर्तमान दर (साईट प्लान निर्गत दिनांक को लागू) व नीलामी दर जो भी अधिक हो, से देय होगा।

26. आवंटित सम्पत्ति का निरस्तीकरण—

(अ) e-Auction का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक दशा में 90 दिन की अवधि में आवंटन धनराशि के मद में जमा होने वाली धनराशि, जमा न होने की दशा में सम्पत्ति का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

(ब) आवंटन धनराशि जमा करने के पश्चात् लगातार 3 किशतों अथवा किन्हीं 03 किशतों का समय से भुगतान न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में जमा emd धनराशि पूर्ण रूप से जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में से 25 प्रतिशत कटौती करके शेष बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी तथा भूमि/भूखण्ड से बेदखल कर प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि/भूखण्ड पर कब्जा (Resume) प्राप्त किया जायेगा। आवंटी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। अनावसीय सम्पत्तियों का आवंटन नॉनपेमेन्ट में निरस्त हो जाने के पश्चात् शासन द्वारा जारी आदर्श कास्टिंग गाईड लाईन्स-2025 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार निरस्तशुदा सम्पत्तियों आवंटन किसी भी दशा में बहाल नहीं किया जायेगा।

(स) यदि ई-ऑक्शन में प्राधिकरण द्वारा सफल घोषित हो जाने के पश्चात् अथवा सम्पत्ति का आवंटन ई-मेल द्वारा जारी हो जाने के पश्चात् आवेदक को रिफण्ड प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उपरोक्तानुसार उप बिन्दु-(अ) व उप बिन्दु-(ब) के अनुसार सम्पत्ति का आवंटन का निरस्तीकरण करते हुए रिफण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

27. कब्जा हस्तान्तरण—

(अ) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष अनावसीय सम्पत्तियों का कब्जा नकद भुगतान के आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, 12% फ्रीहोल्ड/10% लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्ज, पानी सीवर चार्ज व यथा लागू रोड़ कटिंग व दस्तावेज शुल्क की आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(ब) शैक्षिक भूखण्ड को छोड़कर शेष आवंटित सम्पत्ति के किशतों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर सम्पत्ति का कब्जा 25% (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि, 12% फ्रीहोल्ड/10% लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्ज, पानी सीवर चार्ज व यथा लागू रोड़ कटिंग व दस्तावेज शुल्क की आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर फ्रीहोल्ड/किराया किशत क्रय अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(स) यदि आवंटी किशतों के चलते हुए मध्यावधि में कब्जा प्राप्त करना चाहें, तो आवंटित सम्पत्ति का कब्जा तत्समय तक की देय किशतों की धनराशि अप-टू-डेट जमा करने, 12% फ्रीहोल्ड/10% लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्ज, पानी सीवर चार्ज व यथा लागू रोड़ कटिंग व दस्तावेज शुल्क की आदि की अदायगी के उपरान्त

देय स्टाम्प ड्यूटी पर फ्रीहोल्ड/किराया किश्त क्रय अनुबन्ध पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(द) हैल्थ सेन्टर/नर्सिंग होम्स के भूखण्ड का आवंटन, लीज आधार पर होगा जिसके कब्जा अनुबन्ध/पट्टा विलेख इनमें से जो भी पहले निष्पादित हो, के समय 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का 10% लीजरेन्ट की धनराशि जमा करनी होगी शेष नियम शर्तें अन्य सम्पत्तियों की भाँति रहेगी।

(य) शैक्षिक भूखण्डों के आवंटियों को प्राथमिक स्टेज पर भूखण्ड मूल्य की न्यूनतम 50% धनराशि, 90 वर्ष की अवधि हेतु भूखण्ड मूल्य का 10% लीजरेन्ट की धनराशि, लोकेशन चार्ज, पानी सीवर चार्ज व यथा लागू रोड़ कटिंग व दस्तावेज शुल्क की आदि की अदायगी के उपरान्त नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी पर किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के निष्पादन उपरान्त भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा।

(र) शैक्षिक भूखण्ड के आवंटियों को राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित शैक्षिक विभाग से शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

28. आवंटित सम्पत्ति का निबन्धन—

आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी आवंटी द्वारा वहन की जायेगी जिसके लिखाई—पढ़ाई का चार्ज आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। यदि आवंटी द्वारा फ्रीहोल्ड किश्त/किराया किश्त क्रय अनुबन्ध कराकर कब्जा प्राप्त किया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय आवंटी द्वारा वहन की गयी स्टाम्प ड्यूटी का नियमानुसार समायोजन करते हुए सम्पत्ति के विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में किया जायेगा। अनावासीय सम्पत्तियों का कब्जा हस्तगत होने के उपरान्त विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले सम्पत्ति के विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में देय स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारण सम्पत्ति के आवंटित मूल्य एवं सर्किल दर के अनुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन इनमें से जो भी अधिक हो, पर देय होगा जिसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्बन्धित उप निबन्धक का माना जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/— प्रति माह की दर से अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

29. शैक्षिक भवन का निर्माण:—

आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

30. शैक्षिक भवन के निर्माण की अवधि:—

शैक्षिक भूखण्ड धारक के लिये यह आवश्यक होगा कि वह कब्जा प्राप्ति तिथि/पट्टा विलेख निष्पादित करने की तिथि जो भी पहले हो, से 03 वर्ष के अन्दर शैक्षिक भवन का निर्माण पूर्ण करके शिक्षण संस्था चलाने का कार्य आरम्भ कर दें अन्यथा/अथवा उनका आवंटन उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसी दशा में कुल जमा धनराशि में से धरोहर राशि जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि का 15% कटौती के पश्चात् बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

31. शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग:-

आवंटित भूखण्ड का प्रयोग केवल निर्धारित शिक्षण संस्था चलाये जाने के लिये ही किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि शैक्षिक भूखण्ड का प्रयोग अन्यथा किया जा रहा है तो उपाध्यक्ष/नामित अधिकारी को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

32. कर आदि की देयता:-

शैक्षिक भूखण्ड धारकों द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार अन्य अनावासीय सम्पत्ति धारकों द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करना होगा।

33. प्रबन्ध समिति:-

शैक्षिक भूखण्ड के आवंटन पश्चात् समिति की प्रबन्ध समिति में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सचिव भी शिक्षण संस्था संचालन प्रबन्ध समिति का सदस्य होंगे।

34. प्राधिकरण की 73वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31-5-2005 के मद सं0 9 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित शैक्षिक भूखण्डों तथा प्राधिकरण सीमा में स्वीकृत होने वाले विद्यालयों/महा विद्यालयों में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को अनिवार्य रूप से दाखिला तथा प्राधिकरण से रियायती दरों पर पूर्व में आवंटित व भविष्य में आवंटित होने वाले शैक्षिक भूखण्डों में निर्मित विद्यालयों/महाविद्यालयों में, प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/समस्त कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50% छूट दी जाय। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों को भी दी जाये। तदनुसार आवंटी-समिति/ट्रस्ट द्वारा यह सुविधा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों, प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के बच्चों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी-समिति /ट्रस्ट सदैव कायम रहेगा और उच्चतम् निविदा/नीलामीदाता/आवंटी- समिति/ट्रस्ट द्वारा ऐसा न करने पर उसके पक्ष में हुए आवंटन को, बिना किसी सूचना के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

35. शैक्षिक भूखण्डों के सफल आवेदकों को "निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" अधीन वर्तमान में लागू शासनादेश एवं भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

36. अनावासीय सम्पत्ति धारकों को आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश का पालन करना होगा।

37. अनावासीय सम्पत्ति के निबन्धन से पूर्व, मेरठ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति बन्धक रखने का अधिकार होगा, जिसके लिये आवेदक को कितनी अवधि में ऋण मिलना सम्भावित है, सम्भावित अवधि का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष पुनः अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने की माँग की जाती है तो पूर्व में प्राप्त किया गया अनापत्ति मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय को मूल रूप में वापस करना होगा।

38. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में यदि लोकेशन चार्ज (कोर्नर चार्ज/18 मीटर चौड़ा रोड का चार्ज/पार्क फेसिंग चार्ज) शामिल नहीं है तो नियमानुसार लोकेशन व तदनसार फ्रीहोल्ड चार्ज/लीजरेन्ट की गणना करके लिया जायेगा। यदि आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। सम्पत्ति का साईट प्लान जारी होने पर यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, ई-ऑक्शन के समय प्रकाशित तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की वृद्धि पायी जाती है तो स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल (विज्ञापित क्षेत्रफल) का 10 प्रतिशत भूमि का मूल्य, पूर्व दर अर्थात् नीलामी में प्राप्त दर से तथा शेष भूमि का मूल्य वर्तमान दर (साईट प्लान निर्गत दिनांक को लागू) व नीलामी दर जो भी अधिक हो, से देय होगा। (सम्पत्ति में निहित अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य आदर्श कास्टिंग गाईड लाईन्स (मूलभूत सिद्धान्त)-2025 के अनुसार लिया जायेगा, आवेदक को स्वीकार करना होगा।)
39. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
40. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी।
41. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
42. परिसम्पत्तियों का आवंटन "जहाँ है, जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
43. **अन्य शर्तें-**
- (1) यदि आवंटित सम्पत्ति साईट प्लान निर्गत होने पर कॉर्नर की अथवा अन्य लोकेशन पर पायी जाती है तो कॉर्नर चार्ज व अन्य लोकेशन चार्ज (कॉर्नर पर स्थित सम्पत्तियों के सापेक्ष ई-ऑक्शन में प्राप्त दर से भूमि मूल्य का 5% पार्क फेसिंग सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 5% तथा 18 मीटर चौड़े रोड व 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों के शामिल भूमि मूल्य पर 5% तथा तीनों लोकेशन पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य पर 15% की बजाय 12% लोकेशन चार्ज देय होगा।) सहित कुल मूल्य पर देय 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना की जायेगी। इसी प्रकार लीजहोल्ड सम्पत्ति पर लोकेशन चार्ज सहित भूमि मूल्य पर 10% लीजरेन्ट की गणना की जायेगी। तदनुसार देय धनराशि हितबद्ध आवंटी से जमा करायी जायेगी।
- (2) e-Auction की प्रक्रिया में प्रथम बार शामिल सभी सम्पत्तियों की e-Auction में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल ऑफ गुड्स का प्रख्यापन-2016) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कम से कम 03 बिडर

का होना अनिवार्य है तथा प्रथम बिड के पश्चात् शासन की गाईड लाईन्स-2001 के अनुसार कम से कम 02 बिडर का होना अनिवार्य है।

- (3) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-40 के अधीन उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
- (4) नीलामी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकरण सचिव/प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति को बिना कारण बताये e-Auction पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-Auction से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (5) e-Auction में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।
- (6) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- (7) आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड, अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।
- (8) आवंटित परिसम्पत्तियों पर विक्रय विलेख/कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व यदि सम्पत्ति के क्षेत्रफल में कोई कमी/वृद्धि होती है तो आवंटी को तदनुसार वृद्धि की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि की अदायगी करनी होगी।
- (9) विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा “प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि” के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा तथा भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी।
- (10) यदि किन्ही कारणवश ई-ऑक्शन से सम्पत्ति आवंटन के पश्चात आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष सम्पूर्ण जमा धनराशि नियमानुसार, MCLR दर पर साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी। ई-ऑक्शन से आवंटित सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का समायोजन/विकल्प/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (11) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद्

विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-Auction में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

(फोटोग्राफ)

.....
आवेदक/कम्पनी/फर्म/ट्रस्ट आदि का विवरण व अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:—

नाम

पिता/पति का नाम

मो०नं० व

Email id :

(फोटोग्राफ)

पता
.....
.....
.....

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)
शैक्षिक भूखण्डों के आवंटन हेतु तकनीकी अर्हताओं का मूल्यांकन—

क्र०
सं०

वाँछित प्रपत्र

1. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु पंजीकृत संस्था/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का विवरण एवं पंजीकरण की अवधि/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
2. शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति/गतिविधियों का विवरण दिया जायेगा, संलग्न करें।
3. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पूर्व में चलायी गयी शिक्षण संस्था का विवरण संलग्न करें।
4. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अपनी शिक्षण संस्था से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के आंकलन हेतु विगत तीन वर्षों की चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स सीट की प्रति संलग्न करें।
5. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट भूखण्ड की धनराशि का 25% धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा (लिविङ असेस्टस) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत शैक्षिक स्टाफ, अध्यापक एवं अध्ययनरत छात्रों आदि का विवरण निम्न प्रारूप पर संलग्न करें—

शिक्षण संस्था हेतु पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट में कार्यरत स्टाफ आदि का विवरण

क्र० सं०	कार्यरत शिक्षण संस्था का नाम	कार्यरत अध्यापक	अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	कार्यरत अन्य स्टाफ

(केवल शैक्षिक भूखण्ड के आवेदकों के लिये)

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं— “नर्सरी एवम् प्राईमरी स्कूल, हाईस्कूल, डिग्री कालेज एवं मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट” की स्थापना के लिये तकनीकी ऑफर का प्रारूप

1. योजना का नाम
- सैक्टर व पॉकेट व आवेदित भूखण्ड सं०
- क्षेत्रफल वर्ग मीटर

(यदि आवेदनकर्ता-समिति/ट्रस्ट एक से अधिक योजना में अथवा एक से अधिक भूखण्डों स्कूल स्थापित करने की लिये इच्छुक हो तो उसे प्रत्येक आवेदित शैक्षिक भूखण्ड के तकनीकी आवेदन पत्र व वाणिज्य ऑफर, नीलामी आवेदन पत्र अलग-अलग विवरण पुस्तिका क्रय करके प्रस्तुत करना होगा।)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो

2. समिति/ट्रस्ट के पदाधिकारी का नाम व पता जिसके माध्यम से समिति/ट्रस्ट की ओर से भूखण्ड के आवंटन हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है—
3. आवेदनकर्ता समिति/ट्रस्ट का नाम
4. (क) समिति इनमें से किसके अन्तर्गत आती है—रजिस्टर्ड सोसायटी/रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी/ट्रस्ट/अन्य और यदि इनसे भिन्न है, का विवरण
- (ख) पंजीकरण संख्या व रजिस्ट्रेशन का वर्ष
- पंजीकरण/नवीनीकरण कब से कब तक की अवधि के लिये मान्य है दिनांक से दिनांक तक
- (ग) समिति/ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम व पता:—
- (घ) समिति/ट्रस्ट के कार्यालय का टेलीफोन नम्बर: कार्यालय फैक्स
- (ङ) प्रबन्धकारीणी सदस्यों के नाम व पते, शैक्षिक योग्यता व उनके व्यवसाय व पते

(कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय)

5. परीक्षण शुल्क के रूप में जमा धनराशि रुपये 1,000/- का विवरण —बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-ऑर्डर संख्या जारीकर्ता बैंक का नाम
6. आवेदक द्वारा विवरण पुस्तिका प्राधिकरण की वेबसाईट से प्राप्त की गयी है तो विवरण पुस्तिका शुल्क रुपये 1,000/- अदा करने हेतु संलग्न किये जा रहे बैंक ड्राफ्ट की संख्या दिनांक जारीकर्ता बैंक का नाम
7. जमा धरोहर राशि का विवरण:— बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-ऑर्डर संख्या दिनांक ... रुपये जारीकर्ता बैंक का नाम
8. प्रस्तावित शिक्षण संस्था/स्कूल का निर्माण किस वित्तीय श्रोत्रों से प्रस्तावित है :- (इसके प्रमाण में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।)
9. आवेदित भूमि के कितने क्षेत्रफल पर निर्माण प्रस्तावित है:—

10. प्रस्तावित शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:-
11. प्रस्तावित शिक्षण संस्था का निर्माण कब तक किया जाना प्रस्तावित है
12. प्रस्तावित शिक्षण संस्था के निर्माण के उपरान्त कब से चालाया जाना प्रस्तावित है
13. अन्य विवरण:-

नोट:-

- (1) शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट जिसमें वर्षवार वित्तीय एवम् भौतिक प्रगति/गतिविधियों का हवाला दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न करें।
- (2) यदि आवेदन ने पूर्व में या वर्तमान में कोई शिक्षण संस्था चलायी हो या चला रहे हों तो उसकी परफोरमेंस को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण दिया जायेगा, इसके साथ संलग्न किया जाये।
- (3) व्यक्ति/संस्था अपनी वित्तीय स्थिति (शिक्षण संस्था से सम्बन्धित) को प्रदर्शित करने के लिये विगत 3 वर्षों की बैलेन्स शीट, आयकर रिटर्न आदि संलग्न करें।
- (4) ऐसे तकनीकी ऑफर, जिनके साथ परीक्षण शुल्क एवम् पंजीकरण धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे-ऑर्डर संलग्न नहीं होगा, बिना कारण बतायें निरस्त कर दिये जायेंगे।

घोषणा:-

मैंने पंजीकरण हेतु दी गयी समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, जो मुझे मान्य हैं।

.....
आवेदनकर्ता पदाधिकारी के हस्ताक्षर
व समिति/ट्रस्ट की मोहर।

x-x-x-x-

FOR COMMERCIAL PROPERTIES	SCHEDULE DATE
EMD PAYMENT START DATE	25-08-2026 10.00 AM
EMD PAYMENT END DATE	09-09-2026 12.00 PM
AUCTION START DATE	12-09-2026 10.00 AM
AUCTION END DATE	12-09-20026 17.00PM
	(Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required)

DETAILS OF NON RESIDENTIAL PROPERTIES

SI. No.	SECT OR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE PER SQM.	RESERVE COST OF PROPERTY	EMD	MINIMUM RATE OF BIDS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PALLAV PURAM SCHEME (PLOTS)								
1	H	CON.SHOP	450	Commercial	66000	29700000	2970000	660
2	I	CON.SHOP	550	Commercial	66000	36300000	3630000	660
PALLAV PURAM SCHEME (SHOPS)								
3	J	22/S-08	13.77	Convnt.Shop	77179	1625000	162500	16250
4	J	22/S-12	18	Convnt.Shop	77179	2123000	212300	21230
5	J	22/S-13	18	Convnt.Shop	77179	2123000	212300	21230
6	J	22/S-18	13.77	Convnt.Shop	51452	1214000	121400	12140
7	J	22/S-19	15.9	Convnt.Shop	51452	1401000	140100	14010
8	J	22/S-23	13.77	Convnt.Shop	51452	1214000	121400	12140
9	J	22/S-24	21.6	Convnt.Shop	51452	1904000	190400	19040
10	J	22/S-26	26.78	Convnt.Shop	51452	2360000	236000	23600
GANGA NAGAR SCHEME (PLOTS)								
11	B	C-02	1500	Commercial	75600	113400000	11340000	756
12	B	C-03	1500	Commercial	75600	113400000	11340000	756
13	B	C-04	1583.3	Commercial	79200	125397360	12539736	792

14	B	LMCC-01	1511.15	Community Center	37800	57121470	5712147	378
15	CP	CP-03	5588	Commercial	126000	704088000	70408800	1260
16	CP	CP-05	1000	Commercial	56700	56700000	5670000	567
17	CP	CP-06	1000	Commercial	56700	56700000	5670000	567
18	CP	CP-07	1000	Commercial	56700	56700000	5670000	567
19	CP	CP-08	1000	Commercial	56700	56700000	5670000	567
20	CP	CP-09	1000	Commercial	56700	56700000	5670000	567
21	I	Health Center	500	Health Center	35438	17719000	1771900	354
22	I	C-2	180	Commercial	45000	8100000	810000	450
23	I	C-3	180	Commercial	45000	8100000	810000	450
24	I	C-4	180	Commercial	45000	8100000	810000	450
25	I	C-5	180	Commercial	47250	8505000	850500	473
26	J	C-1	2500	Commercial	73500	183750000	18375000	735
27	H	LMNH-01	617.3	Nursing Home	52800	32593440	3259344	528
28	H	LMNH-02	617.3	Nursing Home	50400	31111920	3111192	504
29	K	C-1	800	Commercial	70400	56320000	5632000	704
30	K	LMNH-01	880.47	Nursing Home	52800	46488816	4648882	528
31	K	LMNH-02	872.85	Nursing Home	50400	43991640	4399164	504
32	P	CON.SHO P	1125	Commercial	47250	53156250	5315625	473
33	P	LMCC-01	1557.33	Community Center	24750	38543918	3854392	248
34	P	LMCP-01	1543.12	Commercial	49500	76384440	7638444	495
35	P	LMCP-02	1882.86	Commercial	49500	93201570	9320157	495
36	NP	C-4/1	4089.5	Commercial	53760	219851520	21985152	538
37	NP	C-4/2	4089.5	Commercial	50400	206110800	20611080	504

38	GN EN EX	LMPPCNG	634.96	CNG/Prtrol Pump	78000	49526880	4952688	780
39	GN EN EX	LMCP-3	270	Commercial	86658	23397660	2339766	867
40	GN EN EX	LMCP-12	213	Commercial	45000	9585000	958500	450
41	GN EN EX	LMCP-17	120	Commercial	47250	5670000	567000	473
42	GN EN EX	LMCP-26	373.68	Commercial	78000	29147040	2914704	780
43	GN EN EX	LMCP-27	321.17	Commercial	78000	25051260	2505126	780
44	GN EN EX	LMCP-28	248.28	Commercial	78000	19365840	1936584	780
45	V	LMP.P/ C.N.G.-01	650.88	Petrol/ Cng Pump	49500	32218560	3221856	495
46	V	LMC.S.P-1	146.78	Convt.Shop	46200	6781236	678124	462
47	V	LMC.S.P-2	149.47	Convt.Shop	48400	7234348	723435	484
48	X	LMCP-01	638	Commercial	49500	31581000	3158100	495
49	W	W/C-2/20	148.82	Commercial	47250	7031745	703175	473
RAKSHA PURAM SCHEME (PLOTS)								
50	1	C-8	3043	Commercial Com Group Housing	79200	241005600	24100560	792
51	4	CS	305	Commercial	79200	24156000	2415600	792
DR. RAM MANOHAR LOHIA NAGAR SCHEME (PLOTS)								
52	A	COMMR PLOT	2392	Commercial	47250	113022000	11302200	473
53	B	BC-11	2960.32	Commercial	50400	149200128	14920013	504
54	B	BC-13	3241.6	Commercial	50400	163376640	16337664	504
55	B	BC-15	2250	Commercial	47250	106312500	10631250	473
56	C	CONVT. SHOP	450	Convt.Shop	49500	22275000	2227500	495
57	F	LMOP-01	244.16	Office Com Residential	37125	9064440	906444	371

58	F	LMOP-02	259.84	Office Com Residential	35438	9208210	920821	354
59	I	CON. SHOPS	2418	Commercial	49500	119691000	11969100	495
60	M	Commr	3400	Commercial	49500	168300000	16830000	495
61	CP	LMNS/PS-01	1091.09	Nursery/ Primary School	23625	25777001	2577700	236
62	M	LMNS/PS-01	1087.93	Nursery/ Primary School	24750	26926268	2692627	248
DEFENCE ENCLAVE SCHEME (PLOTS)								
63	A	HEALTH CENTER	1980	Health Center	52800	104544000	10454400	528
64	B	BC-08	294.19	Commercial Com Residential	64000	18828160	1882816	640
65	B	BC-24	242.4	Commercial Com Residential	64000	15513600	1551360	640
66	B	BC-25	202.5	Commercial Com Residential	64000	12960000	1296000	640
67	B	BC-34	288	Commercial Com Residential	64000	18432000	1843200	640
68	B	BC-35	374.04	Commercial Com Residential	69216	25889553	2588955	692
69	B	COMMR	2000	Commercial	67200	134400000	13440000	672
SHRADHAPURI PHASE-2 SCHEME (PLOTS)								
70	B	GH	9300	Group Housing	68513	637170900	63717090	685
71	C	CP-03	3100	Commercial	87150	270165000	27016500	872
72	D	CS-02	600	Commercial	58800	35280000	3528000	588

SANIK VIHAR SCHEME (PLOTS)						0	0	0
73	B	CS	1139	Commercial	46200	52621800	5262180	462
74	C	LMCS-01	203	Commercial	44000	8932000	893200	440
75	C	LMCS-02	208.2	Commercial	46200	9618840	961884	462
76	C	LMCS-03	192.15	Commercial	46200	8877330	887733	462
77	C	LMCS-04	196.41	Commercial	44000	8642040	864204	440
78	C	LMCP-02	342	Commercial	44000	15048000	1504800	440
79	C	LMCP-03	342	Commercial	44000	15048000	1504800	440
80	C	LMCP-04	342	Commercial	44000	15048000	1504800	440
81	C	LMCP-05	342	Commercial	44000	15048000	1504800	440
82	C	LMCP-18	200.48	Commercial	44000	8821120	882112	440
83	C	LMCP-36	123.2	Commercial	44000	5420800	542080	440
84	C	LMCP-38	123.2	Commercial	44000	5420800	542080	440
85	C	LMCP-39	190	Commercial	44000	8360000	836000	440
86	C	LMCP-40	270	Commercial	46200	12474000	1247400	462
87	C	LMCP-41	262	Commercial	44000	11528000	1152800	440
88	C	LMCP-42	254	Commercial	44000	11176000	1117600	440
PANDAV NAGAR SCHEME (PLOTS)								
89	G	PART-B	212	Commercial	69300	14691600	1469160	693
VED VYAS PURI SCHEME (PLOTS)								
90	1	LOCAL SHOPPING	2550	Commercial	56700	144585000	14458500	567
91	1	LMCP-01	546.8	Commercial	50000	27340000	2734000	500
92	1	LMCP-02	540.06	Commercial	50000	27003000	2700300	500
93	1	LMCC-01	1511.69	Comunity Center	25000	37792250	3779225	250
94	2B	LMCC-01	1519.15	Comunity Center	25000	37978750	3797875	250

95	2C	LMCP-01	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
96	2C	LMCP-02	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
97	2C	LMCP-03	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
98	2C	LMCP-04	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
99	2C	LMCP-05	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
100	2C	LMCP-06	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
101	2C	LMCP-07	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
102	2C	LMCP-08	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
103	2C	LMCP-09	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
104	2C	LMCP-10	495	Commercial	50000	24750000	2475000	500
105	3	C-3	1455.73	Commercial	81000	117914130	11791413	810
106	3	C-9/12	336.75	Commercial	66000	22225500	2222550	660
107	3	C-25	250	Commercial	50000	12500000	1250000	500
108	4B	COMMR	8038.2	Commercial	55000	442101000	44210100	550
109	7-B	GH-01	6683.8	Group Housing	39375	263174625	26317463	394
110	7-B	GH-03	4497.1	Group Housing	39375	177073313	17707331	394
111	7-B	GH-04	4965.1	Group Housing	41250	204810375	20481038	413
112	7-B	COMMR	1811.8	Commercial	52500	95119500	9511950	525
113	8	CS	529.53	Commercial	55000	29124150	2912415	550
114	4B	LMHS-01	2064.67	High School	27500	56778425	5677843	275
SPORTS GOODS COMPLEX SCHEME								
115	B	LMCP-35	116.925	Commercial	116840	13661517	1366152	1168
116	B	LMCP-38	116.925	Commercial	118680	13876659	1387666	1187
117	B	LMCP-39	116.925	Commercial	116840	13661517	1366152	1168
118	B	LMCP-40	116.925	Commercial	125944	14726002	1472600	1259

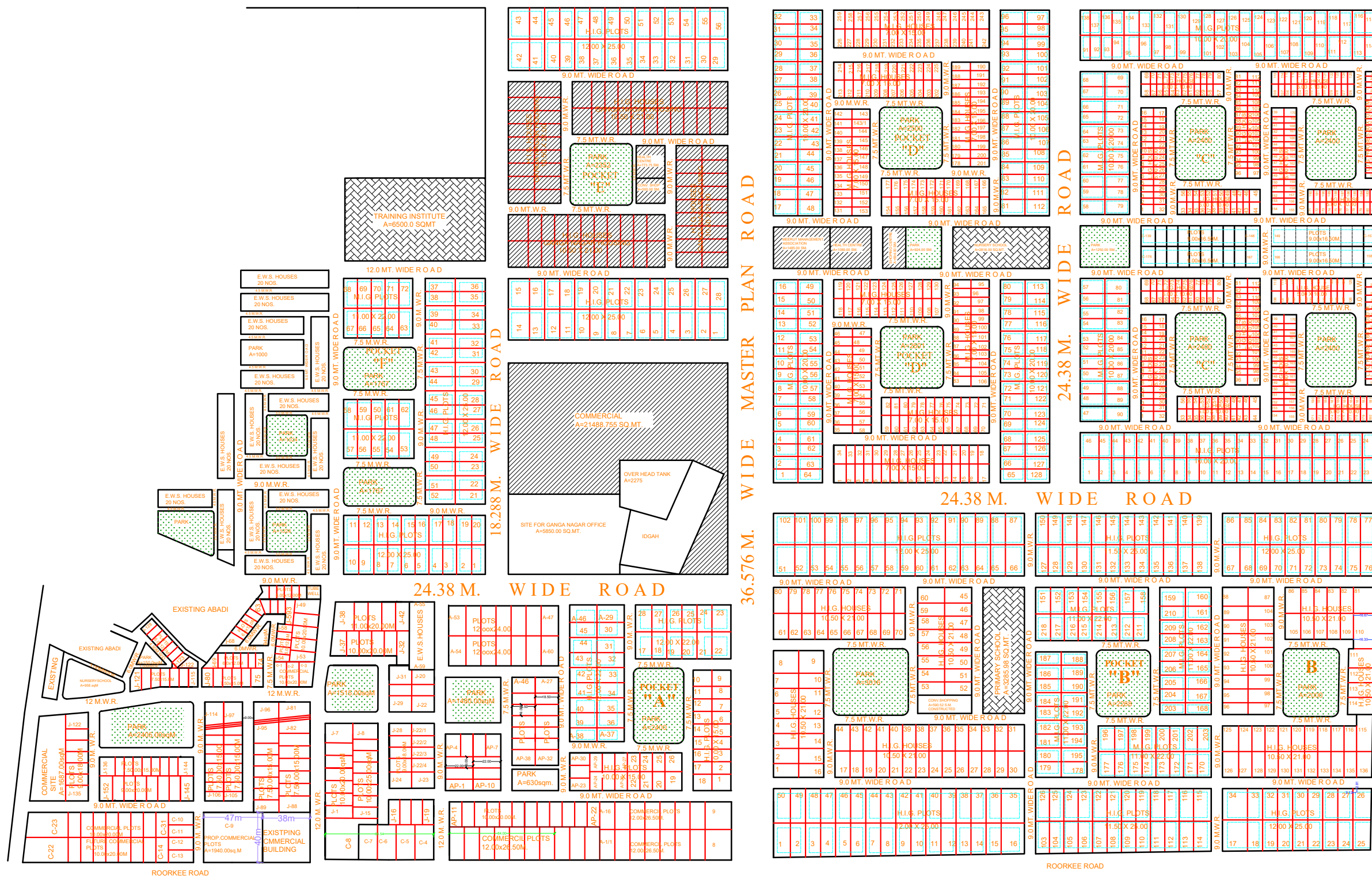
SHATABDI NAGAR SCHEME (PLOTS)								
119	3	Commercial	6656	Commercial	60500	402688000	40268800	605
120	4C-A	Local Shopping Center	12152	Commercial	60500	735196000	73519600	605
121	4C/J	LMCP-02	712.39	Commercial	57750	41140523	4114052	578
122	AIRPORT ENCL AVE	C-1	1933.3	Commercial	60500	116964650	11696465	605
123	AIRPORT ENCL AVE	C-2	1918.2	Commercial	60500	116051100	11605110	605
124	AIRPORT ENCL AVE	C-1	1933.1	Hotel	57750	111636525	11163653	578
125	4B/B	LMNS/PS-01	1974	Nursery/ Primary School	28875	56999250	5699925	289
126	SEC-4B-B	LMCRP-01	1583.9	Commercial Com Residential	60500	95825950	9582595	605
127	SEC-4B-B	LMCP-01	403.52	Commercial	57750	23303280	2330328	578
128	SEC-4B-B	LMCP-02	189.24	Commercial	57750	10928610	1092861	578
129	SEC-4B-B	LMCP-03	170.57	Commercial	57750	9850418	985042	578
130	SEC-4B-B	LMCP-04	152.53	Commercial	57750	8808608	880861	578
131	SEC-4B-B	LMCP-05	136.42	Commercial	57750	7878255	787826	578
132	SEC-4B-B	LMCP-06	120.39	Commercial	57750	6952523	695252	578
133	SEC-4B-B	CONVT SHOP	390	Convt Shop	57750	22522500	2252250	578
SHATABDI NAGAR SCHEME (COMMUNITY CENTER)								
134	2	COMMUNITY CENTER	4664.46	Community Center	30250	191040000	19104000	1910400

PALLAV PURAM SCHEME (PLOTS)								
135	O	EDUCATIO NAL	6500.21	EDUCATION AL	35200	228807392	22880739	352
RAKSHA PURAM SCHEME (PLOTS)								
136	1	C-13	1000	Commercial	72000	72000000	7200000	720
GANGA NAGAR SCHEME (PLOTS)								
137	C	C-04	608	Commercial	54000	32832000	3283200	540
138	G	C-24	300	Commercial	45000	13500000	1350000	450

REVISED LAYOUT PLAN OF PULLAV PURAM PHASE-1
RESIDENTIAL SCHEME ON ROORKEE ROAD MEERUT



36.576 M. WIDE MASTER PLAN ROAD



24.38 M. WIDE ROAD

24.38 M. WIDE ROAD

ROORKEE ROAD

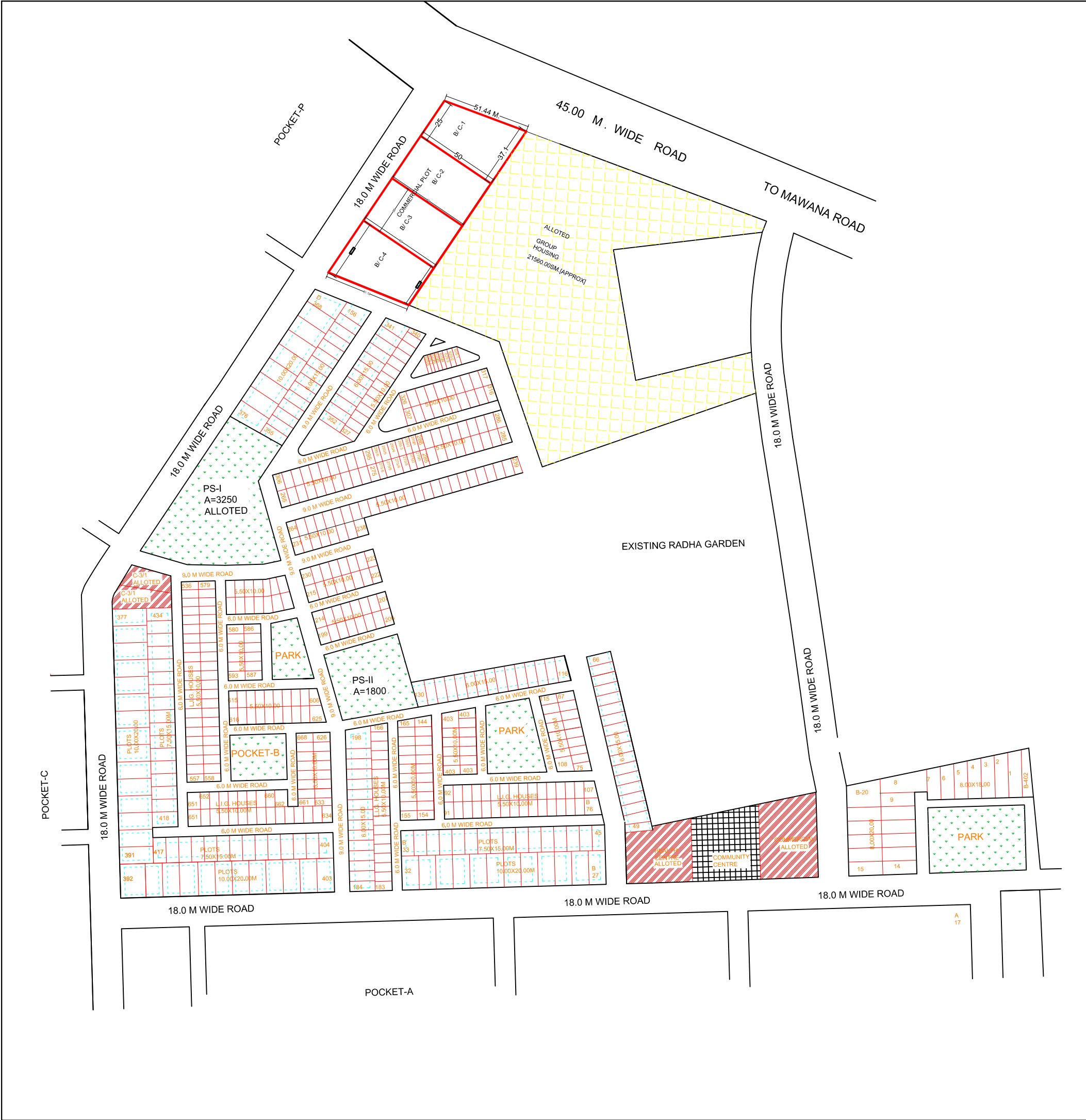


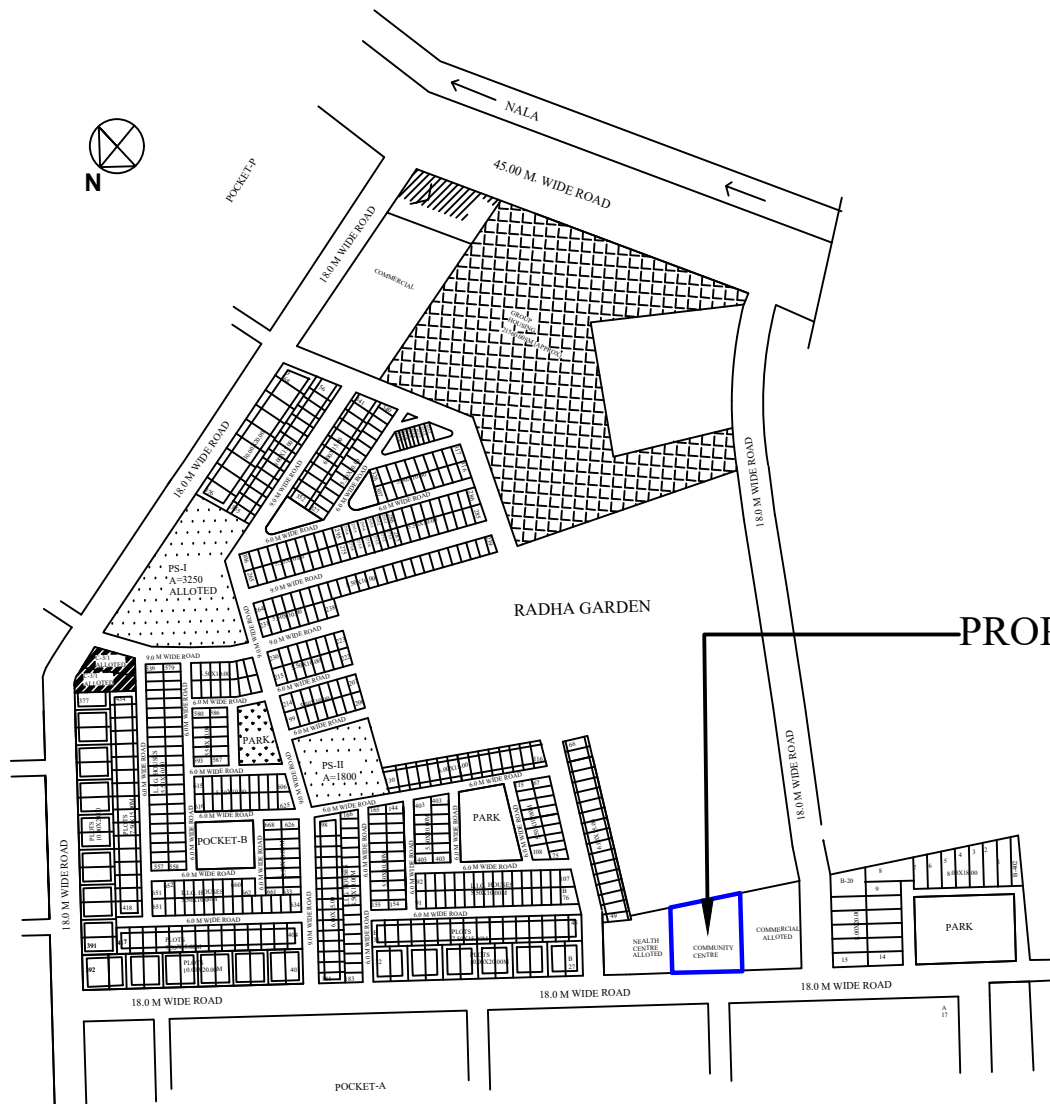
REVISED LAY OUT PLAN FOR COMMERCIAL PLOTS
BLOCK - " B " GANGA NAGAR PHASE -I
MAWANA ROAD, MEERUT.

DETAIL OF PROP. COMMERCAIL PLOTS

PLOT NO.	PLOT AREA	
B/ C-1	1552.50 SQ.M.	
B/ C-2	1500.00 SQ.M.	
B/ C-3	1500.00 SQ.M.	
B/ C-4	1583.25 SQ.M.	

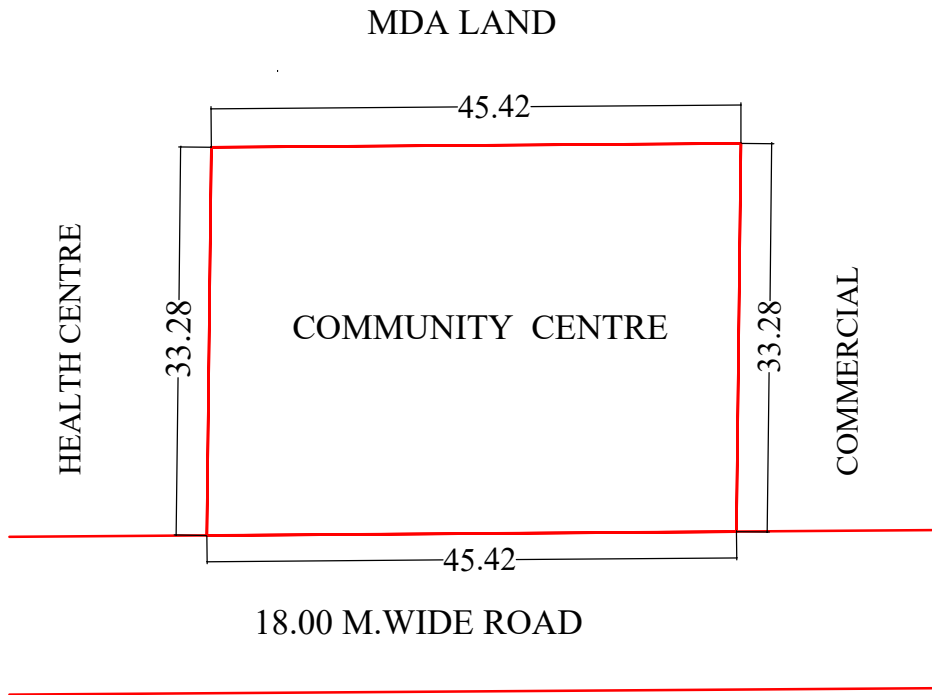
REVISION	DATE 19 - 09 - 2014	
DRAWN BY Sd/- BALBIR SINGH SURVEYOR	SCALE	
Sd/- A.T.P.		T.P.
Sd/- C.T.P.	Sd/- (Dt. 19-09-2014) SECRETARY	Sd/- (Dt. 19-09-2014) VICE CHAIRMAN





LAY OUT PLAN OF GANGANAGAR POCKET -"B"

PROP. SITE (11)



MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION COMMUNITY CENTRE PLOT
AT GANGA NAGAR PHASE-I POCKET-B IN
MEERUT.(EXIST.SITE COMMUNITY CENTRE)

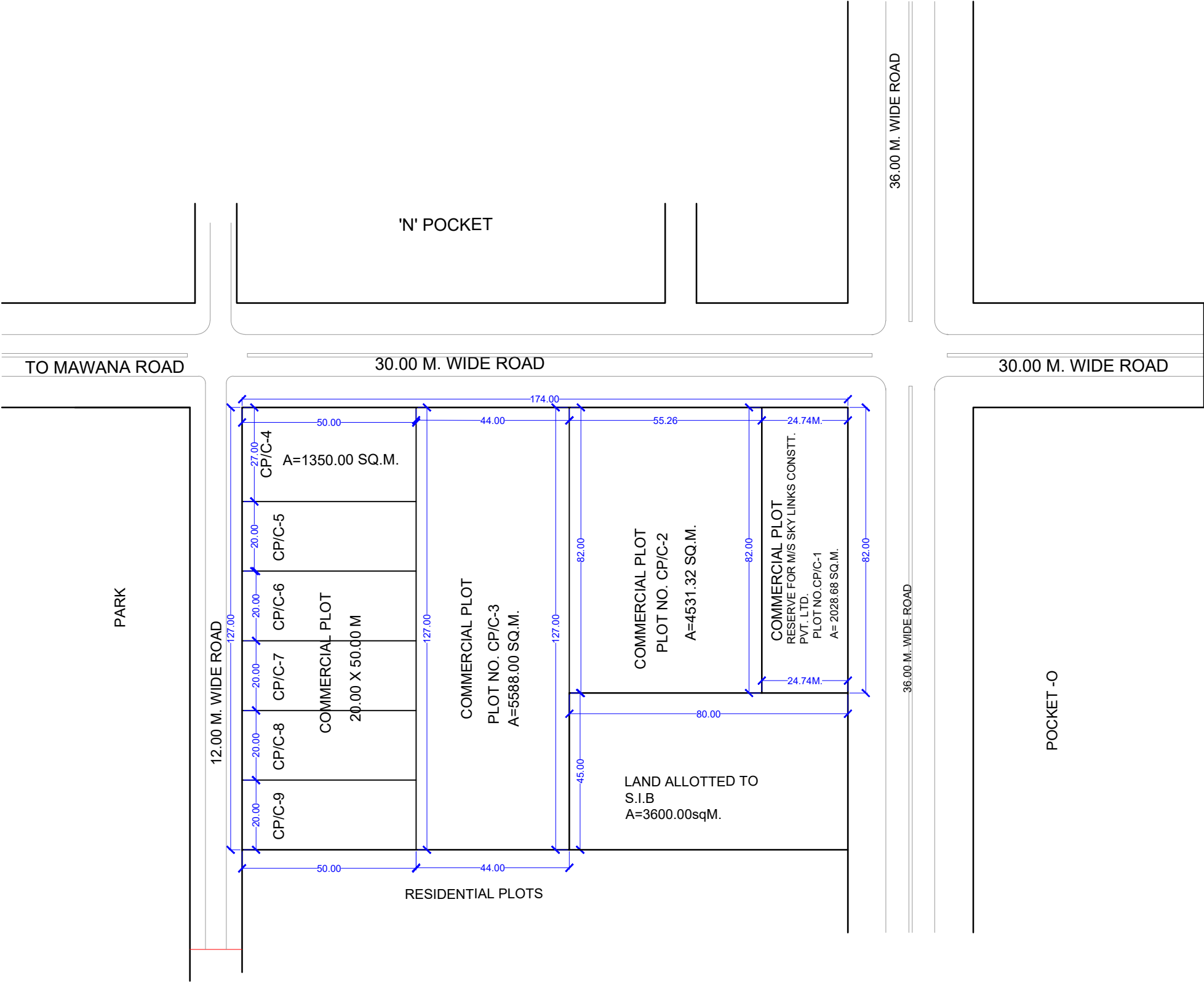
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1511.15 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	1511.15 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1511.15 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMCC-01	01	1511.15

SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	



mda

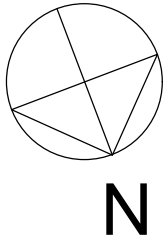
REVISED LAY OUT PLAN OF
PART OF POCKET-'CP' SHOWING
COMMERCIAL PLOTS AT GANGA-
NAGAR III. MEERUT.

DETAIL OF COMMERCIAL PLOTS

PLOT NO.	PLOT AREA	REMARK
CP/ C-1	2028.68 SQ.M.	RESERVE FOR M/S SKY LINK PVT. LTD.
CP/ C-2	4531.32 SQ.M.	
CP/ C-3	5588.00 SQ.M.	
CP/ C-4	1350.00 SQ.M.	
CP/ C-5	1000.00 SQ.M.	
CP/ C-6	1000.00 SQ.M.	
CP/ C-7	1000.00 SQ.M.	
CP/ C-8	1000.00 SQ.M.	
CP/ C-9	1000.00 SQ.M.	

REVISION	DATE 09-06-2016	
DRAWN BY sd/- BALBIR SINGH SURVEYOR	SCALE	
ASSTT. TOWN PLANNER		TOWN PLANNER
sd/- CHIEF TOWN PLANNER	SECRETARY	sd/- VICE CHAIRMAN

GANGA NAGAR POCKET - "I"



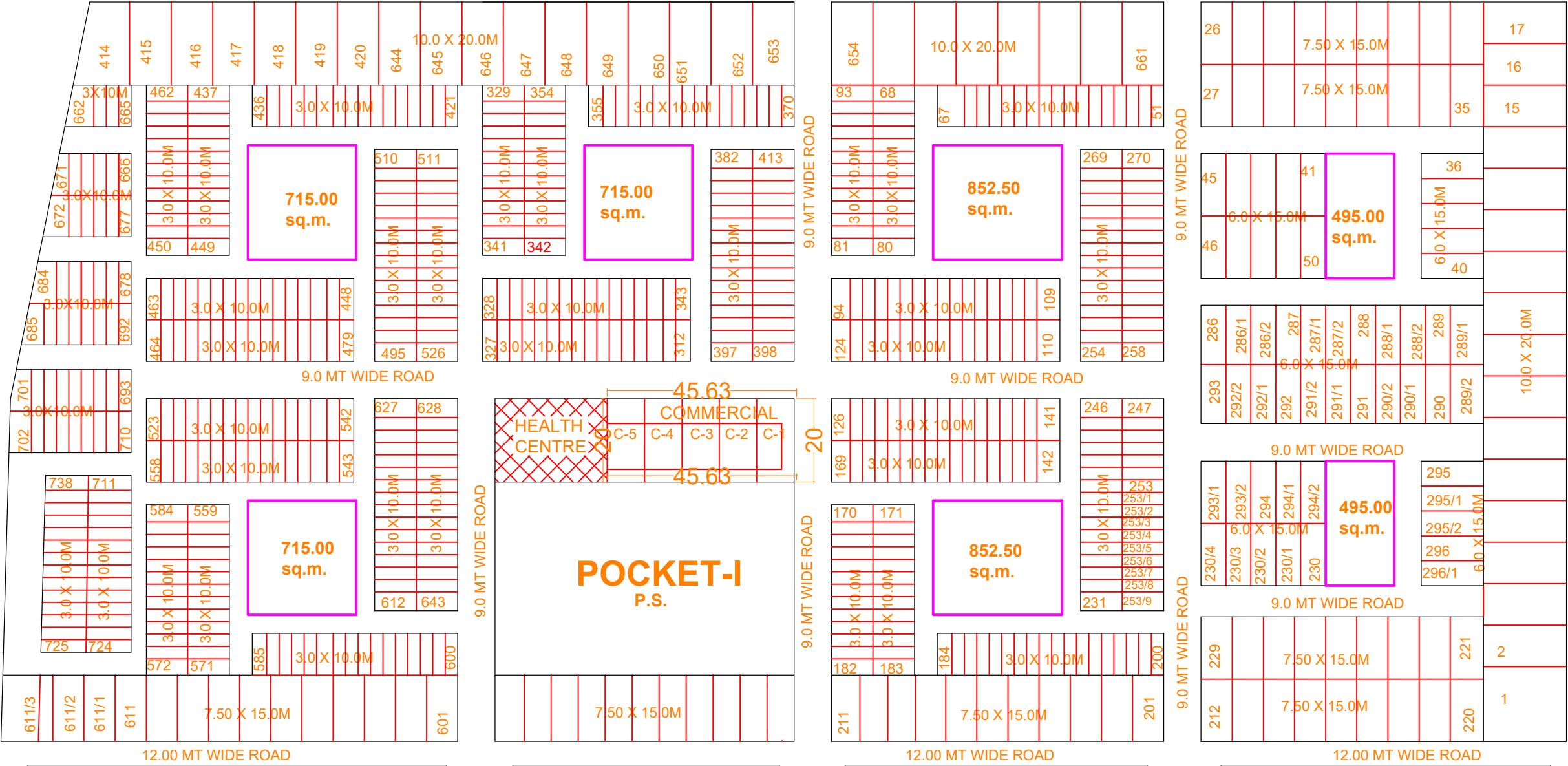
POCKET- H

18.00 MT WIDE ROAD

18.00 MT WIDE ROAD

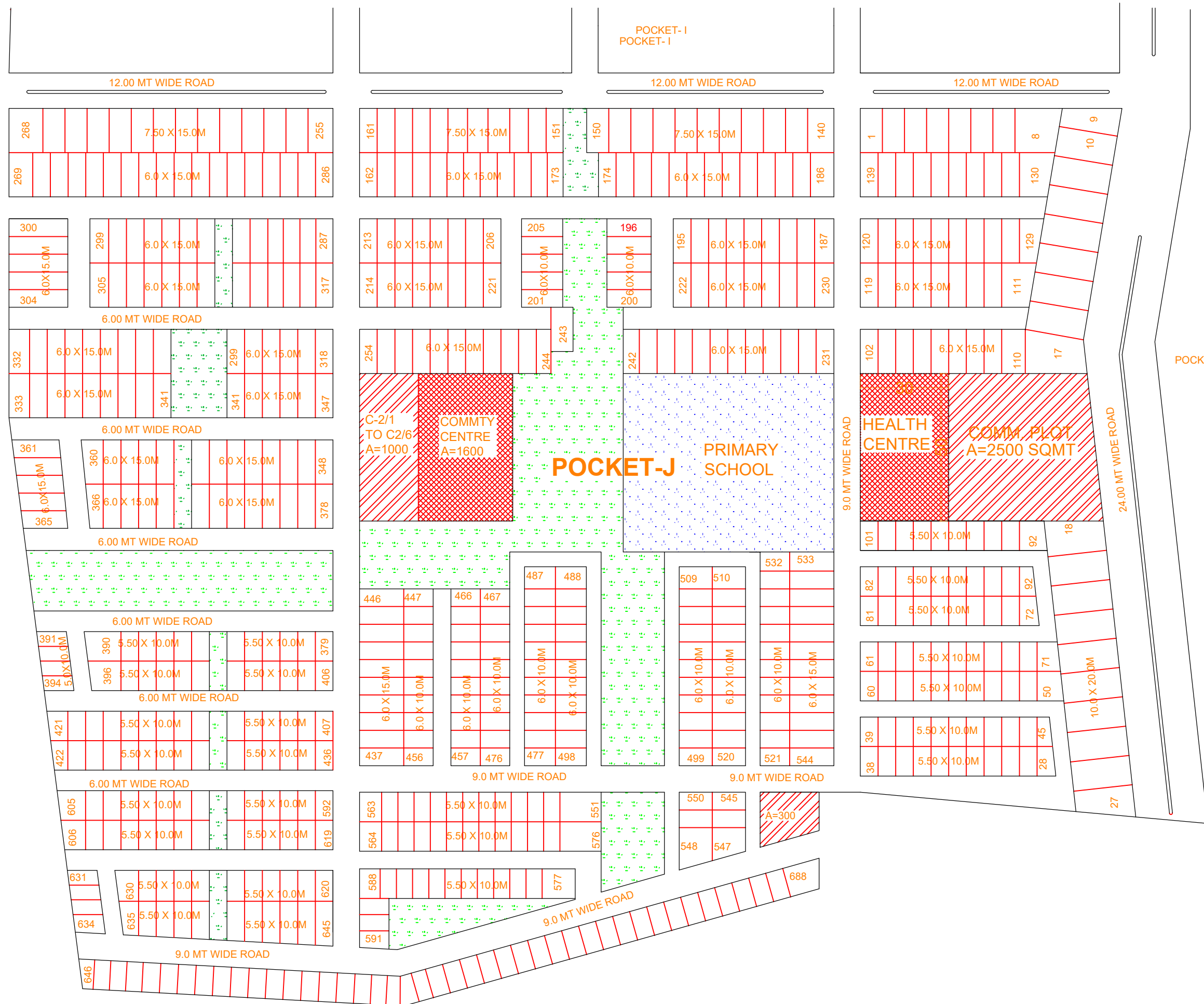
18.00 MT WIDE ROAD

18.00 MT WIDE ROAD

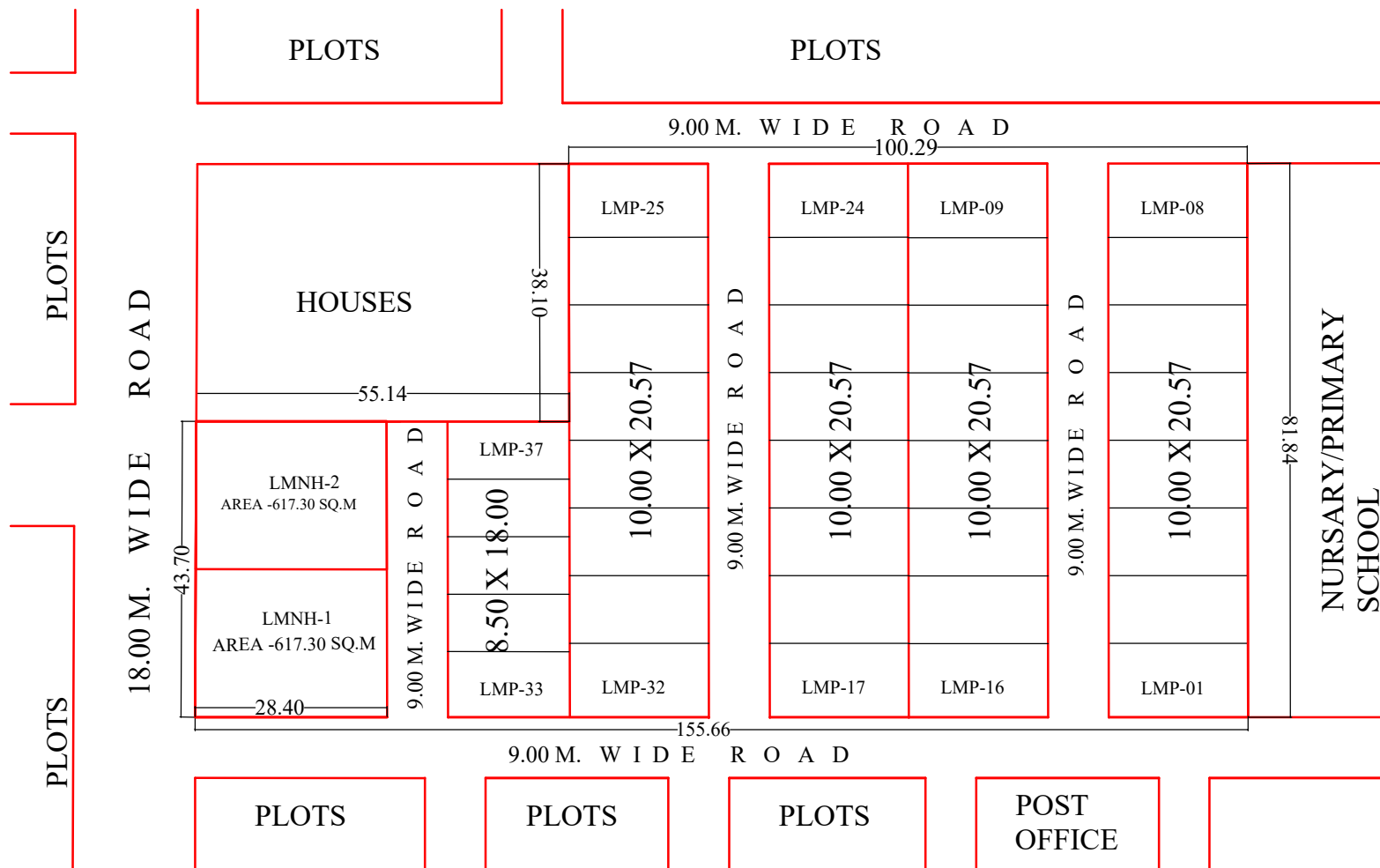
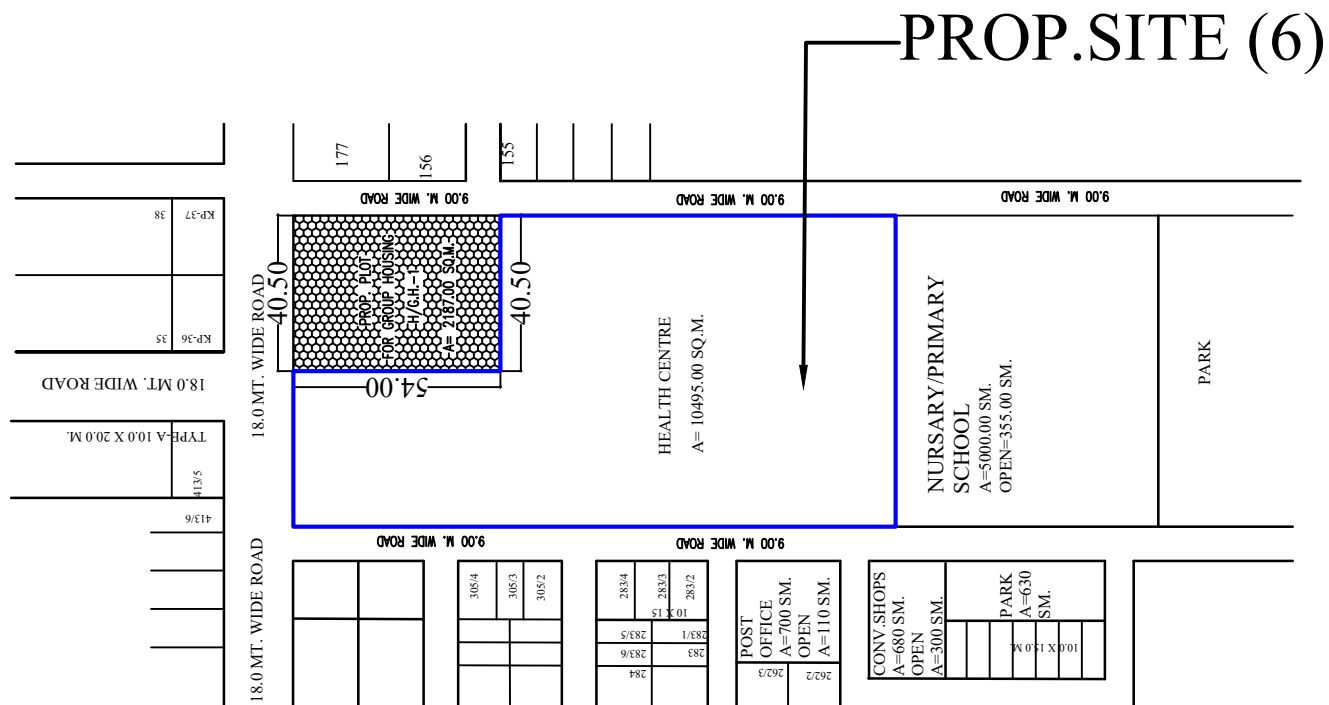


24.00 MT WIDE ROAD

POCKET- F



GANGA NAGAR, PHASE - II, POCKET - "J"



MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF
LAND MONETIZATION RESIDENTIAL
PLOTS & N.H. AT GANGA NAGAR PHASE-III
POCKET-H IN MEERUT.(EXIST.SITE
HEALTH CENTRE)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	10617.14 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	10617.14 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	8741.49 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	1875.65 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-32	32	205.70
2.	LMP-33 TO LMP-37	05	153.00
TOTAL		37	
3.	LMNH-01 ,LMNH-02	02	617.30

ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

DATE :- 01-05-2024

SCALE :-

NORTH :-

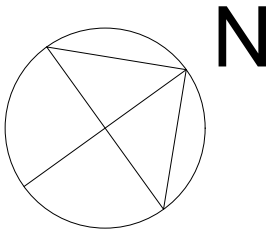


MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

ANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.



30.0 MT. WIDE ROAD

GROUP HOUSING
AREA=0.71 HACT.
G.F. COVERAGE-35%
POPULATION-264 PERSONS
DENSITY-150 P.P.A.
OPEN AREA-2180 SM.

9.0 MT. WIDE ROAD

CONV./SHOPS
A=680 SM.
OPEN
A=300 SM.

PARK
A=630 SM.

NURSARY/PRIMARY
SCHOOL
A=5000.00 SM.
OPEN=355.00 SM.

HEALTH CENTER
A=10000.00 SM.

PARK
A=5495.00 SM.
OPEN=665.00 SM.

30.0 MT. WIDE ROAD

TYPE-A-1 10.0 X 20.0 M.

PARK
A=107.00 SM.

TYPE-A-1 10.0 X 20.0 M.

9.0 MT. WIDE ROAD

TYPE-A-1 10.0 X 20.0 M.

TYPE-A 12.0 X 25.0 M.

36.0 MT. WIDE ROAD

36.0 MT. WIDE ROAD

POCKET-N

18.0 MT. WIDE ROAD

18.0 MT. WIDE ROAD

18.0 MT. WIDE ROAD

36.0 MT. WIDE ROAD

12.0 MT. WIDE ROAD

18.0 MT. WIDE ROAD

12.0 MT. WIDE ROAD

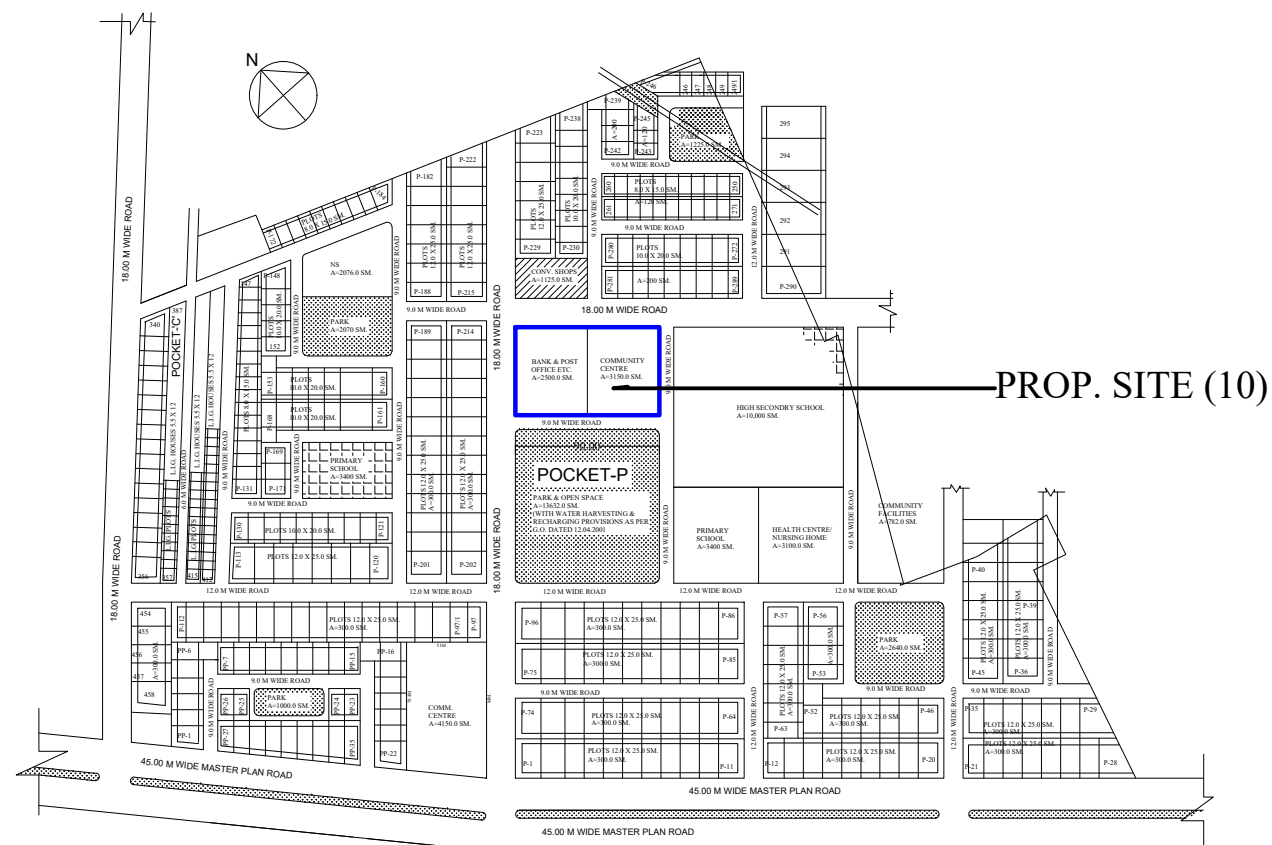
12.0 MT. WIDE ROAD

36.0 MT. WIDE ROAD

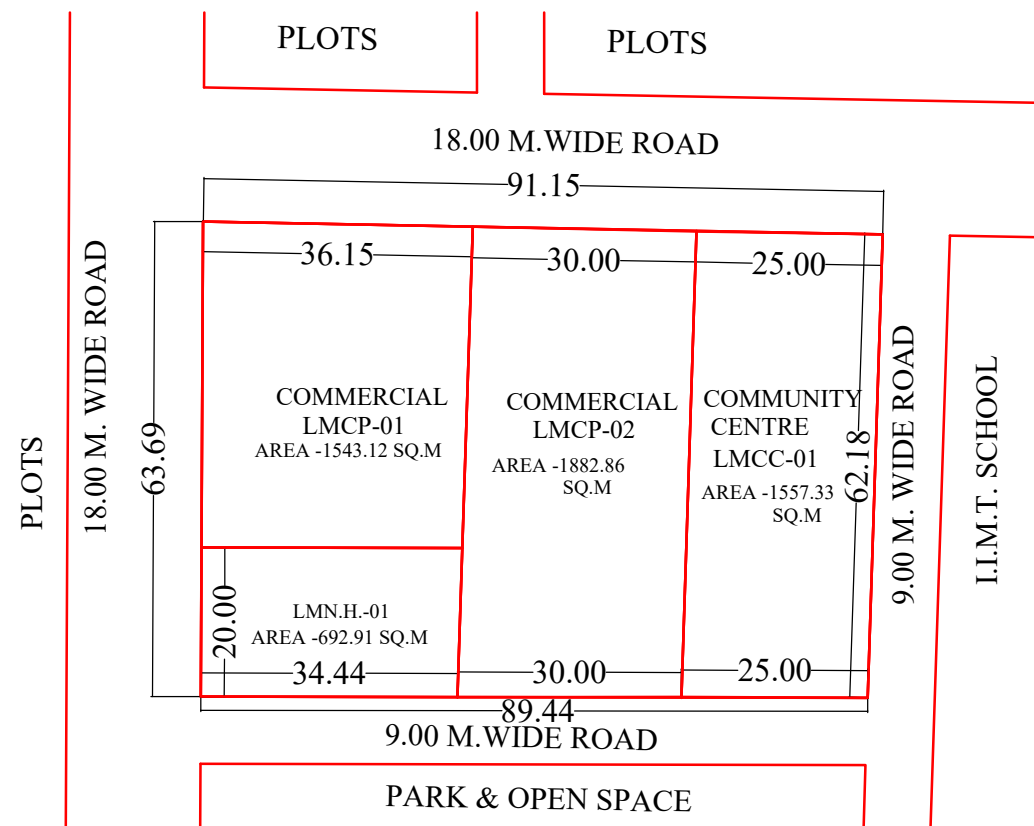
36.0 MT. WIDE ROAD

POCKET-L

GANGA NAGAR ,POCKET - "K"



GANGA NAGAR, PHASE - IIIrd, POCKET - P



MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION COMMUNITY CENTRE,
COMMERCIAL & N.H. PLOT AT GANGA
NAGAR PHASE-III POCKET-P IN
MEERUT.(EXIST.SITE COMMUNITY CENTRE,
BANK & POST OFFICE)

AREA STATEMENT :-

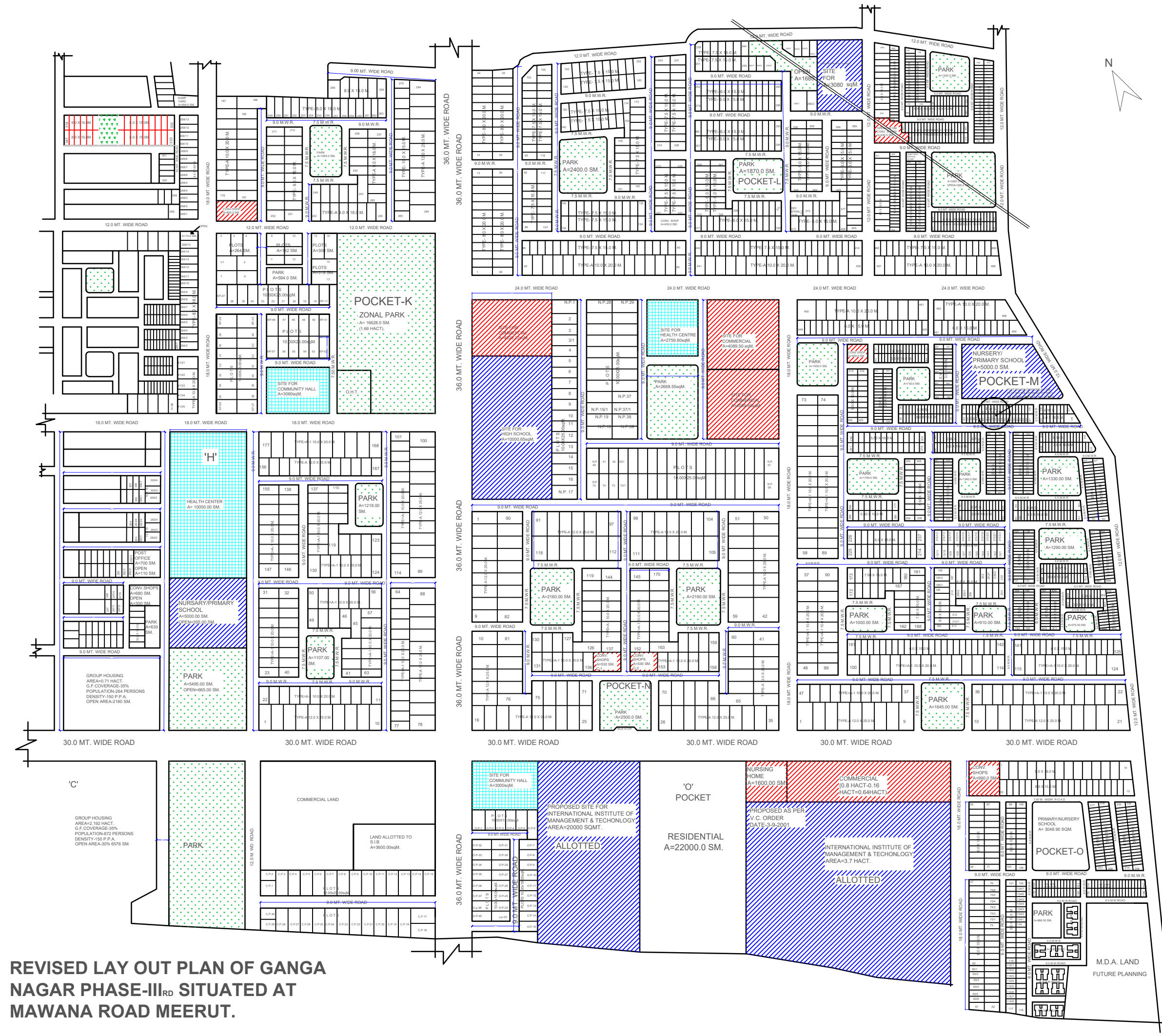
TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	5681.52 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	5681.52 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	5681.52 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

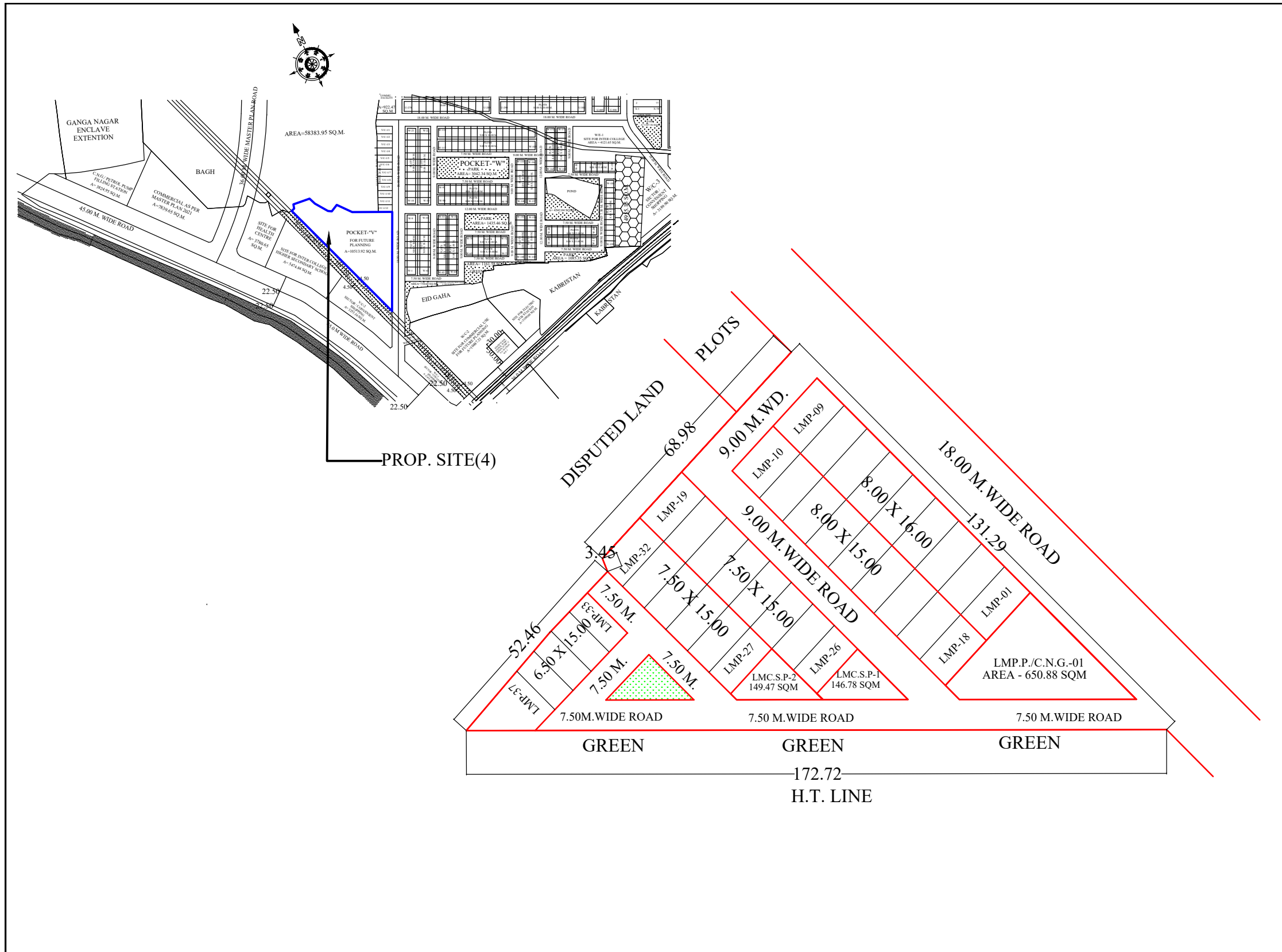
DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMCC-01	01	1557.33
2.	LMN.H.-01	01	692.91
3.	LMCP-01	01	1543.12
4.	LMCP-02	01	1882.86

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

**REVISED LAY OUT PLAN OF GANGA
NAGAR PHASE-III_{RD} SITUATED AT
MAWANA ROAD MEERUT.**





MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS, C.S.
& P.P./C.N.G.AT GANGA NAGAR EXTENTION
POCKET-V INMEERUT.(EXIST.SITE FUTURE
PLANNING)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	8121.31 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	8121.31 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	5407.36 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	2592.75 SQ.M.
AREA UNDER PARK	121.20 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-09	09	128.00
2.	LMP-10 TO LMP-18	09	120.00
3.	LMP-19 TO LMP-32	14	112.50
4.	LMP-33 TO LMP-37	05	97.50
TOTAL		37	
5.	LMCSP-01, LMCSP-02	02	146.78 , 149.47
6.	LMP.P./C.N.G.-01	01	650.88

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

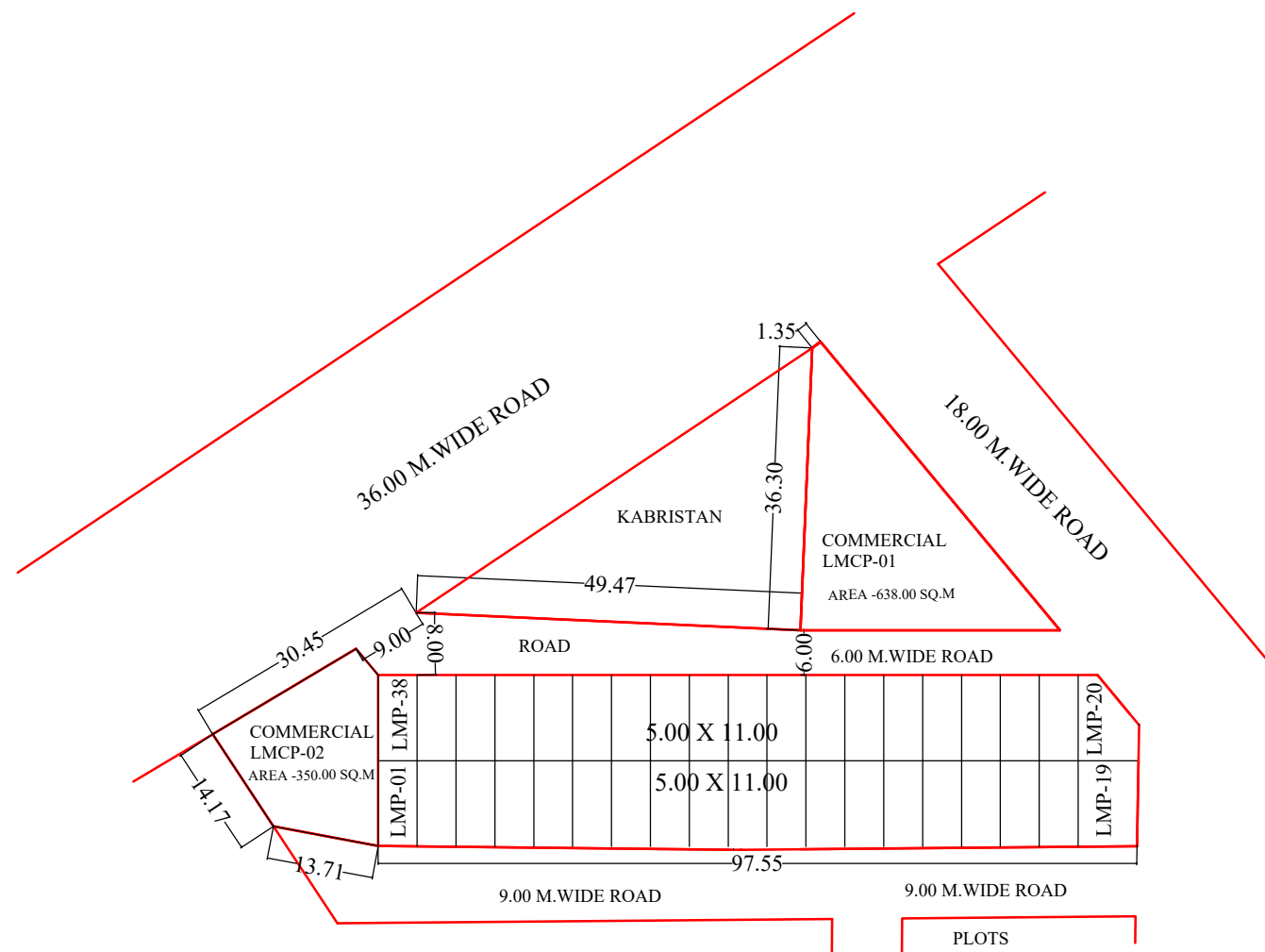
PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESIDENTIAL &
COMMERCIAL PLOTS AT GANGA NAGAR
EXTENTION POCKET-X IN MEERUT.(EXIST.SITE
POLICE STATION)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	3728.40 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3728.40 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3143.46 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	584.94 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-38	38	55.00
TOTAL		38	
2.	LMCP-01	01	638.31
3.	LMCP-02	01	350.00
TOTAL		02	



ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	



REVISED LAYOUT PLAN OF PLOT NO.- W/C-1 (SECTOR / CONVENIENT SHOPPING), W/C-2 (SITE FOR COMMERCIAL USE) & W/P-1 (RESERVE FOR PETROL PUMP / DIESEL PUMP / C.N.G STATION) AT POCKET-W, GANGA NAGAR EXT. MAWANA ROAD, MEERUT

AREA DETAILS OF PLOT NO.- W/C-1 (SECTOR / CONVENIENT SHOPPING)

TOTAL PLOT AREA = 2169.24 SQ.M.

S. NO.	PLOT NO.	AREA IN SQ.M.
1.	W/C-1/1	1072.49
2.	W/C-1/2	1096.75

AREA DETAILS OF PLOT NO.- W/C-2 (SITE FOR COMMERCIAL USE)

TOTAL PLOT AREA = 10487.33 SQ.M.

AREA UNDER PARKING = 828.23 SQ.M.

AREA UNDER INTERNAL ROAD = 3314.46 SQ.M.

S. NO.	PLOT NO.	AREA IN SQ.M.	S. NO.	PLOT NO.	AREA IN SQ.M.
1.	W/C-2/1	434.40	11.	W/C-2/20	148.42
2.	W/C-2/2	900.00	12.	W/C-2/21	146.93
3.	W/C-2/3	914.87	13.	W/C-2/22	147.52
4.	W/C-2/4	251.28	14.	W/C-2/23	144.25
5.	W/C-2/5 TO W/C-2/14	144.00	15.	W/C-2/24	143.15
6.	W/C-2/15	201.67	16.	W/C-2/25	144.62
7.	W/C-2/16	140.47	17.	W/C-2/26	150.28
8.	W/C-2/17	138.35	18.	W/C-2/27	152.76
9.	W/C-2/18	140.30	19.	W/C-2/28	150.66
10.	W/C-2/19	145.81	20.	W/C-2/29	152.52
			21.	W/C-2/30	156.38

AREA OF PLOT NO. W/P-1 (RESERVE FOR PETROL PUMP / DIESEL PUMP / C.N.G STATION) = 900.00 SQ.M.

REVISION :-

DATE :-

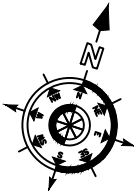
NORTH

19.08.2021

DRAWN BY :-

SCALE :-

ABHISHEK VERMA
(SURVEYOR)



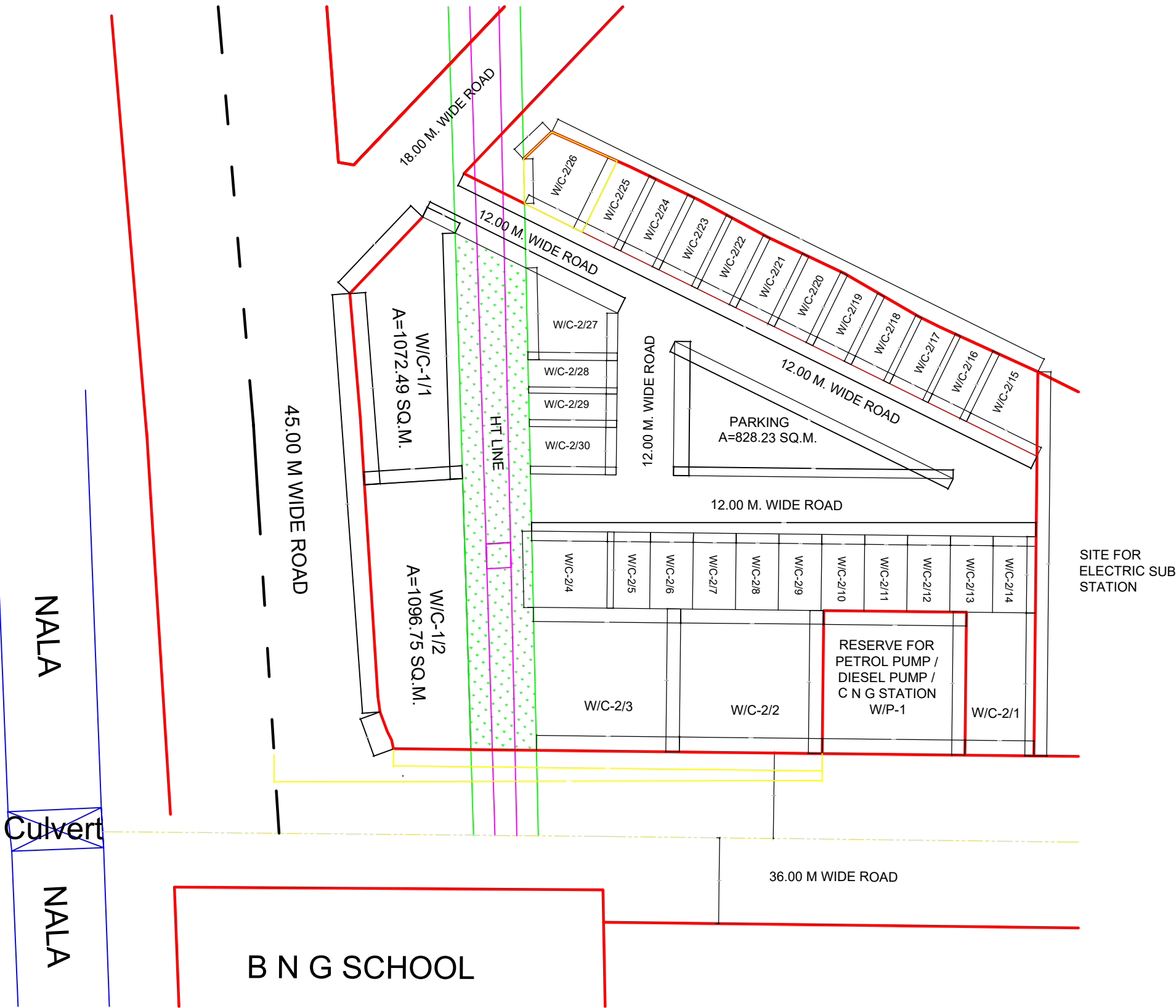
A.T.P.

T.P.

C.T.P.

SECRETARY

VICE CHAIRMAN



REVISED LAY OUT PLAN OF
RAKSHAPURAM SCHEME
MAWANA ROAD, MEERUT

AREA STATEMENT

	SQ.M
AREA UNDER SCHEME	486938.96
AREA UNDER POND	2320.00
AREA ALLOTTED OF A.W.H.O.	73066.40
AREA UNDER ROAD WIDENING	4528.00
AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS/ HOUSES	166834.00
AREA UNDER COMMERCIAL	52991.00
AREA UNDER EDUCATIONAL	10182.00
AREA UNDER COMMUNITY FACILITIES	3681.00
AREA UNDER SHELTER LESS PERSONS	3673.50
AREA UNDER GARBAGE COLLECTOR	490.00
AREA UNDER PARKS	30360.75
AREA UNDER ROADS	107414.31
AREA UNDER BULK SALE	31416.00

DETAILS OF HOUSES / PLOTS

PARTICULARS	SIZE	AREA (SQ.M.)	NOS.	POPULATION
H.I.G. PLOTS "A"	12.00 X 25.00 M	300.00	182	1820
M.I.G. PLOTS "B"	12.00 X 22.00 M	264.00	57	570
H.I.G. HOUSES	10.00 X 20.00 M	200.00	52	520
M.I.G. HOUSES	8.65 X 20.00 M	173.00	82	820
M.I.G. HOUSES	7.50 X 15.00 M	112.50	28	280
TOTAL			741	7410

NOTE :-

MISSING N PLOTS 3/155 TO 3/161, 4/36, 4/37, 4/50
ALLOTTED PLOTS ARE TO BE CHANGED IN SECTOR-3
IN B-TYPE PLOT 4/65, 4/66, 4/68, 4/69, 4/70, 4/71, 4/73, 4/74, 4/75, 4/76, 4/77, 4/79, 4/80
PLOTS ALREADY ALLOTTED IN 1988 
PLOTS PROPOSED TO BE RESERVED FOR BASANT VIHAR SOCIETY 
EXT. TREES ARE SHOWN AS 

PLOTS OF BASANT VIHAR SAHKARI AVAS SAMITEE LTD. MEERUT.
(REVISED -2 PORTION) 

REVISION - 1 DATE 11-01-1991

REVISION-2	DATE 10-07-2009	
DRAWN BY sd- BALBIR SINGH SURVEYOR	SCALE 1:1000	
A.T.P.		T.P.
sd- dt.10-7-2009 CHIEF TOWN PLANNER	sd- dt.10-7-2009 SECRETARY	sd- dt.10-7-2009 VICE CHAIRMAN

TO MEERUT

MAWANA ROAD

TO MAWANA

SITE FOR BULK ALLOTMENT/GROUP
HOUSING
AREA=31416.00 SQ.MT.

BULK ALLOTMENT TO A.W.H.O. FOR 99
YEARS LEASE
AREA=73066.40 SQ.MT.(18.05 ACRE)

24.39 MT WIDE R O A D

24.39 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

12.00 MT WIDE R O A D

12.00 MT WIDE R O A D

12.00 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

12.00 MT WIDE R O A D

12.00 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

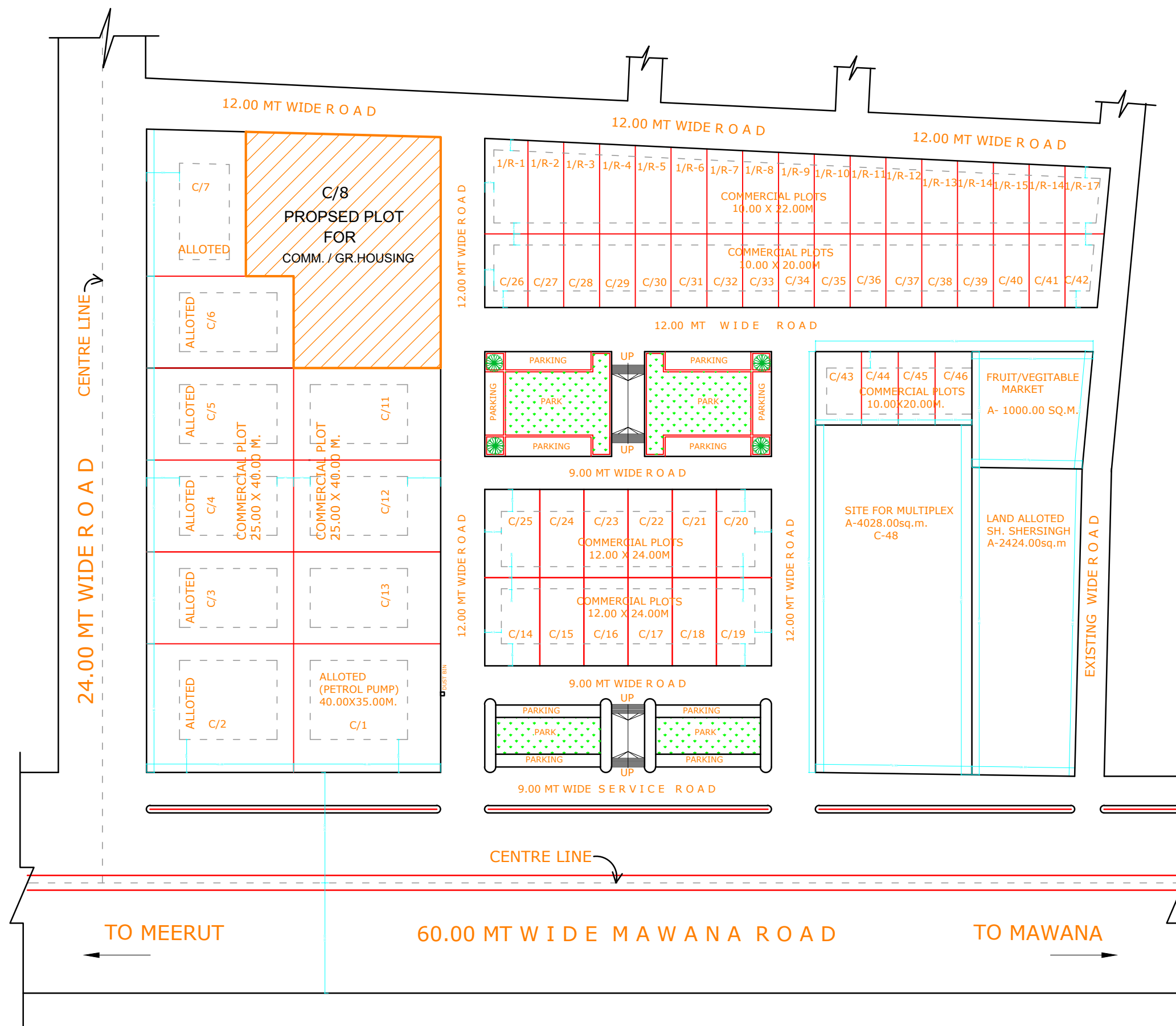
18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

18.29 MT WIDE R O A D

REVISION - 2 (A B C D)



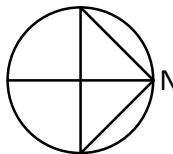
REVISED LAY OUT PLAN OF
COMMERCIAL/RESIDENTIAL PLOTS
AT RAKSHAPURAM RESIDENTIAL
SCHEME MAWANA ROAD, MEERUT

PROPOSED PLOT FOR COMM. / GROUP HOUSING 

AREA OF PLOT = 3043.00 SQ.M.

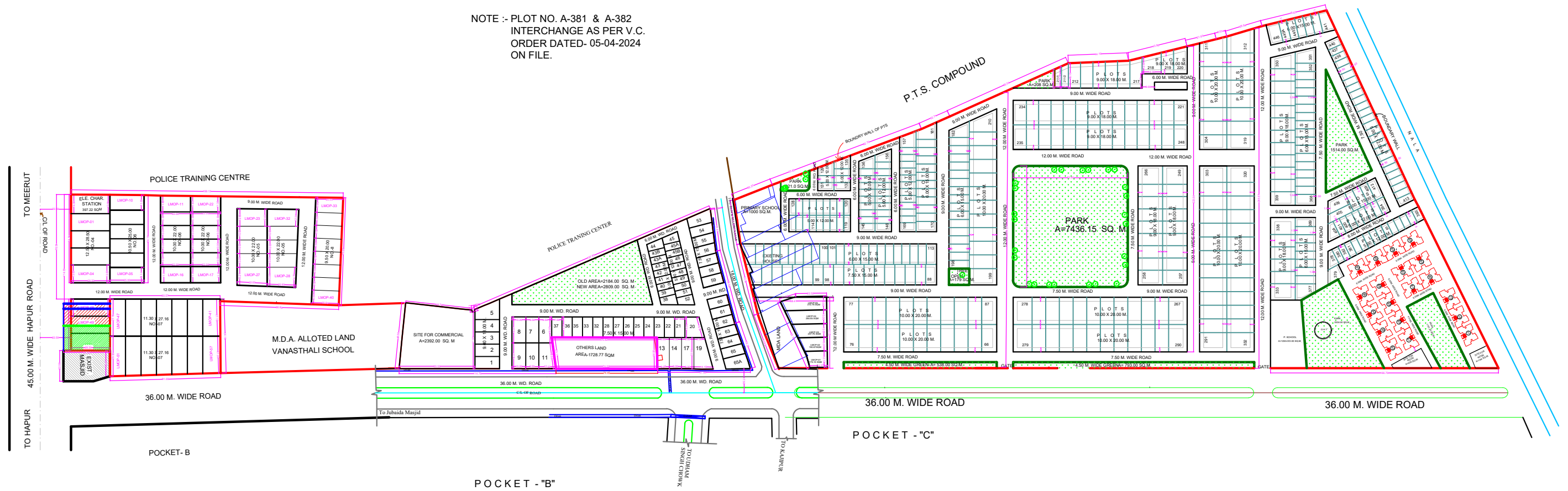
REVISION-1 (DT. 17-10-2003)

REVISION-2 (DT. 28- 3- 2008)

REVISION-3	DATE 27-06-14	
DRAWN BY: sd- BALBIR SINGH SURVEYOR	SCALE	
sd- dt.27-6-2014 A.T.P.		T.P.
sd- dt.27-6-2014 C.T.P.	sd- dt.27-6-2014 SECRETARY	sd- dt.27-6-2014 VICE CHAIRMAN

LOHIA NAGAR POCKET -"A" (SIDDHARTH ENCLAVE)

NOTE :- PLOT NO. A-381 & A-382
INTERCHANGE AS PER V.C.
ORDER DATED- 05-04-2024
ON FILE.





REVISED PART LAY OUT PLAN OF
COMMERCIAL LAND AT POCKET - 'B'
RAM MANOHAR LOHIYA NAGAR
HAPUR ROAD, MEERUT.

AREA STATEMENT	SQ.M.	%
TOTAL SITE AREA	54668.70	100.00
AREA UNDER COMM. PLOTS	41264.72	75.50
AREA UNDER PARKS	5825.37	10.65
AREA UNDER ROADS	5164.36	9.44
AREA UNDER PARKING	2414.25	4.41

PLOTS AREA DETAILS -					
S.NO.	PLOTS NO.	AREA (SQ.M.)	S.NO.	PLOTS NO.	AREA (SQ.M.)
1.	BC-1	3767.99	11.	BC-9	2624.28
2.	BC-2	3214.62	12.	BC-10	2357.04
3.	BC-3	1088.82	13.	BC-11	2960.32
4.	BC-4	1075.27	14.	BC-12	2960.87
5.	BC-5	3006.57	15.	BC-13	3241.60
6.	BC-6	2974.80	16.	BC-14	2438.18
7.	BC-7	1080.00	17.	BC-15	2250.00
8.	BC-7/1	753.91	18.	BC-16	2643.17
9.	BC-8	1573.10			
10.	BC-8/1	1254.18			

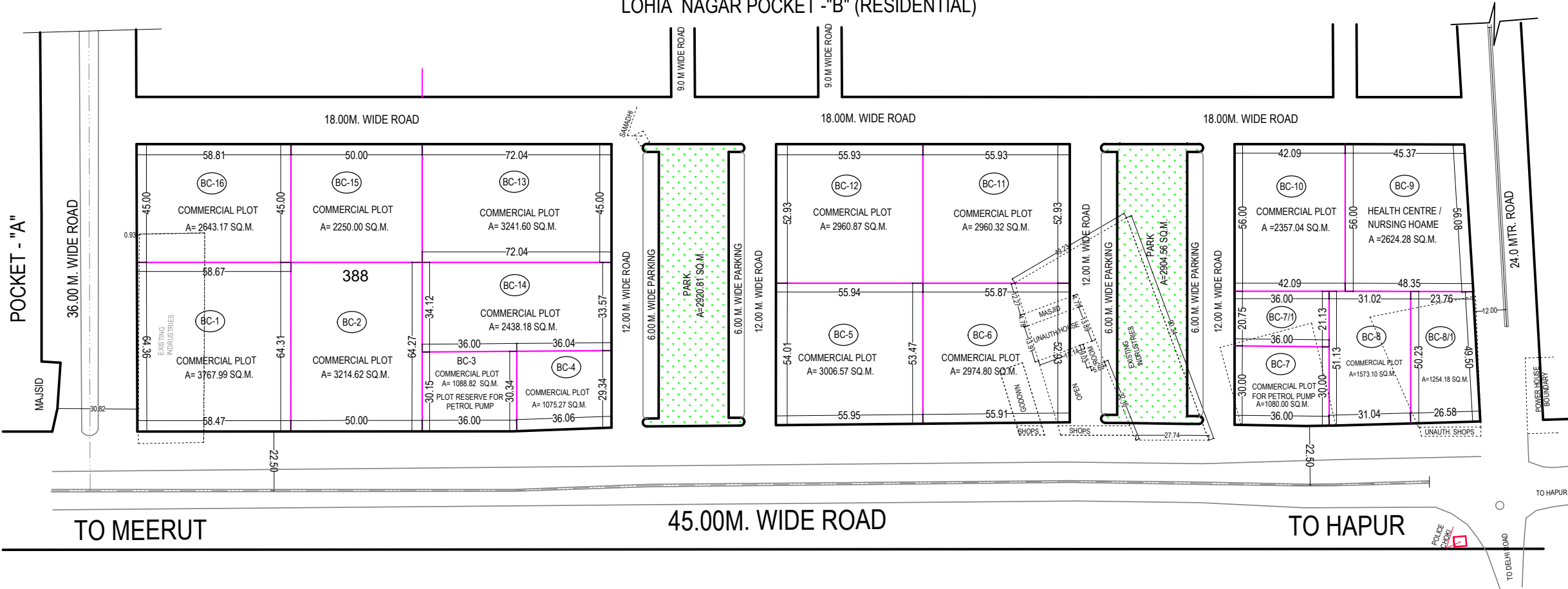
LEGEND -

UNAUTHORISED CONSTRUCTION =

NOTE :- UNAUTHORISED CONSTRUCTION TO BE DEMOLISHED

REVISION - 3	DATE :- 09.12.2016	
DRAWN BY: - sd/- BALBIR SINGH (SURVEYOR)	SCALE :-	
A.T.P.		T.P.
sd/- C.T.P.	sd/- SECRETARY	sd/-17.01.2017 VICE CHAIRMAN

LOHIA NAGAR POCKET -"B" (RESIDENTIAL)





REVISED LAY OUT PLAN OF
SECTOR-" C " LOHIA NAGAR
HAPUR ROAD,MEERUT.

AREA STATEMENT	SQ.M.
TOTAL SECTOR AREA	9456.00
AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	9456.00
NET AREA	7831.00
AREA UNDER PLOT'S	7831.00
AREA UNDER CONV. SHOP'S	8556.50
AREA UNDER EDUCATIONAL	2237.00
AREA UNDER COMMUNITY CENTRE	1000.00
AREA UNDER PARK/OPEN SPACE	1000.00
AREA UNDER INTERNAL ROAD'S	900.00

DETAIL OF PLOTS

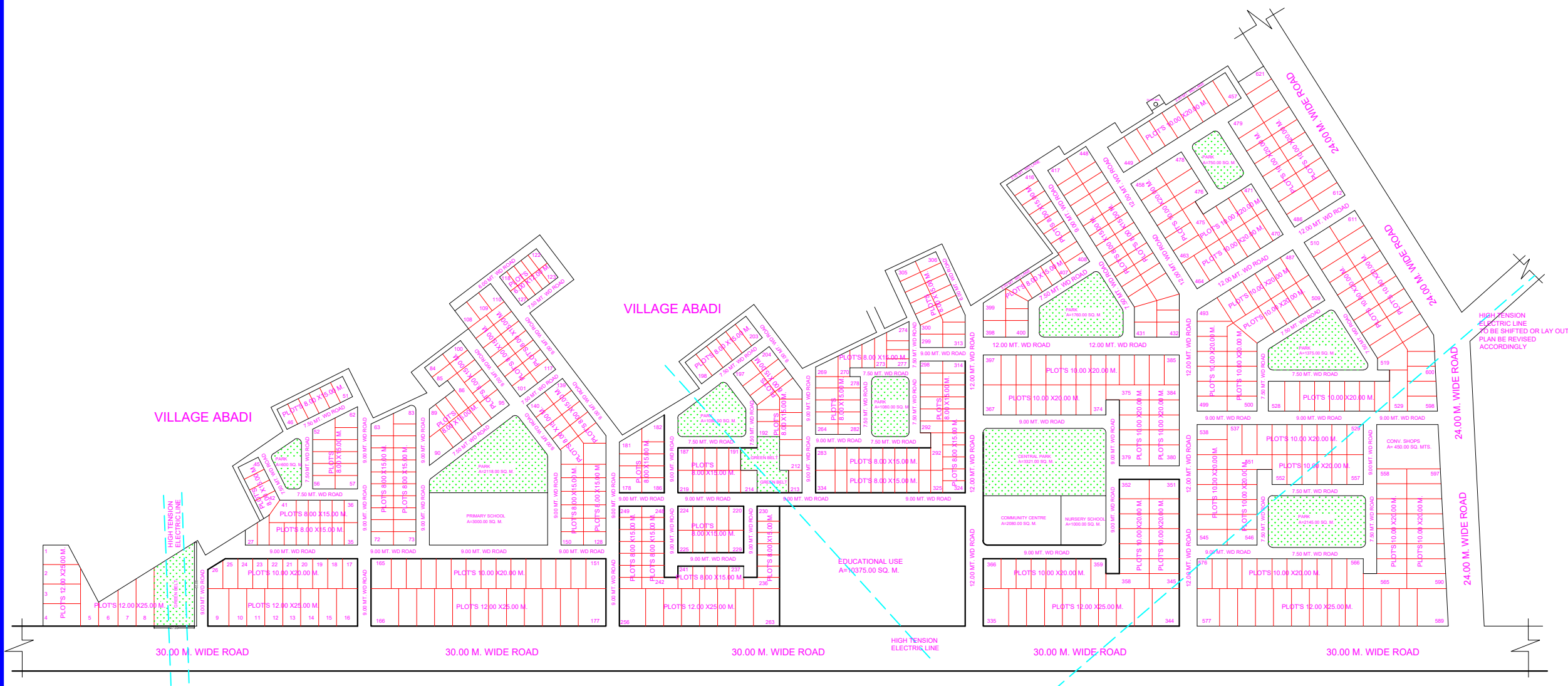
S.NO.	TYPE	SIZE	AREA	NOS
1.	H.I.G.-1	12.00X25.00	300.00	59
2.	H.I.G.	10.00 X20.00	200.00	339
3.	M.I.G.	8.00X15.00	120.00	213
4.	L.I.G.	6.00X15.00	90.00	10

TOTAL NO. 621

NOTE

1. SITE DIMENSION'S ARAE PROVIDED BY ENGINEERING DIVISION
2. HIGH TENSION ELECTRIC LINE TO BE SHIFTED

TRACED BY V.K. BHATT	SCALE: 1:1000	DATE:- 04 - 04 - 91	
A.T.P.	T.P.	COMPUTERISED BY. PAWAN	
C.T.P.	SECRETARY	VICE CHAIRMAN	

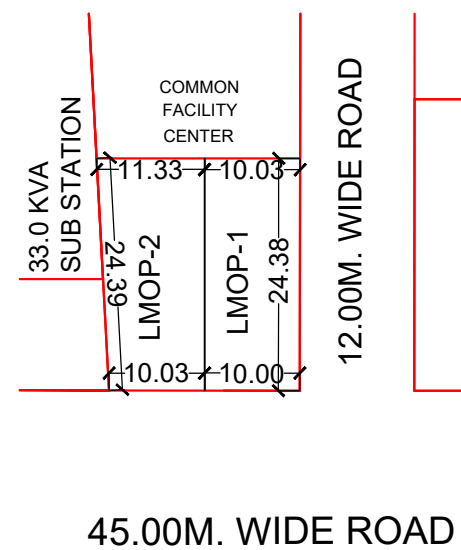
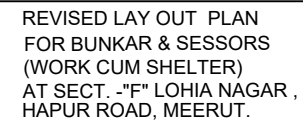


PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION PHASE-2 OFFI. CUM RESI.
PLOTS AT POCKET-F (SESSORS) LOHIYA
NAGAR ,HAPUR ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE
MULTIPURPOSE)

TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	504.00 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	504.00 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	504.00 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

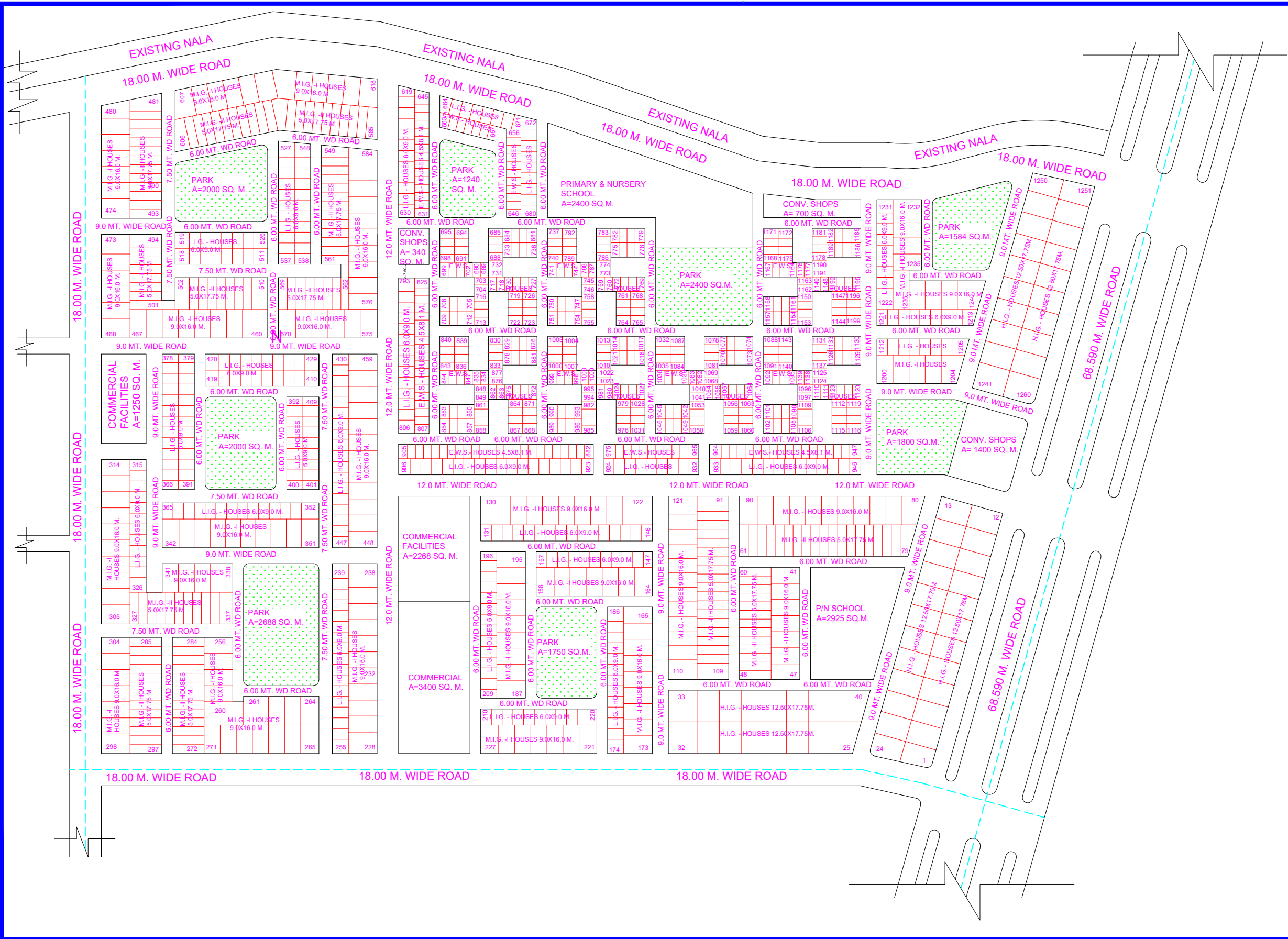
S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMOP-01	01	244.16
2.	LMOP-02	01	259.84
TOTAL		02	

V.C.





RAM MANOHAR LOHIYA NAGAR, SECTOR 'I'



PROPOSED LAY OUT PLAN OF
RAM MANOHAR LOHIYA NAGAR
SECTOR- 'M' HAPUR ROAD,MEERUT.

AREA STATEMENT	SQ.M.	%
1.TOTAL AREA UNDER SECTOR-M	211315.00	
2. AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	12858.75	
3. NETT. AREA UNDER PLANNING	198456.25	
AREA UNDER RESIDENTIAL	92430.50	46.57%
AREA UNDER CONV. SHOPPING	6750.00	3.70 %
AREA UNDER EDUCATIONAL	7515.00	3.78 %
AREA UNDER PARK/PLAY GROUND	20651.00	10.42 %
AREA UNDER ROAD'S	68811.75	34.67 %
COMMUNITIES FACILITIES	2285.00	1.14 %
GRAND TOTAL	198456.00	100 %

DETAIL OF HOUSES				
S.NO.	TYPE	SIZE	AREA	NOS
1.	H.I.G. HOUSES	12.50X17.75	221.88	60
2.	M.I.G.-I HOUSES	9.00X16.00	144.00	203
3.	M.I.G.-II HOUSES	5.00X17.75	88.75	161
4.	L.I.G. HOUSES	6.00X9.00	54.00	339
5.	E.W.S. HOUSES	4.50X8.10	36.45	497
TOTAL NO.				1260

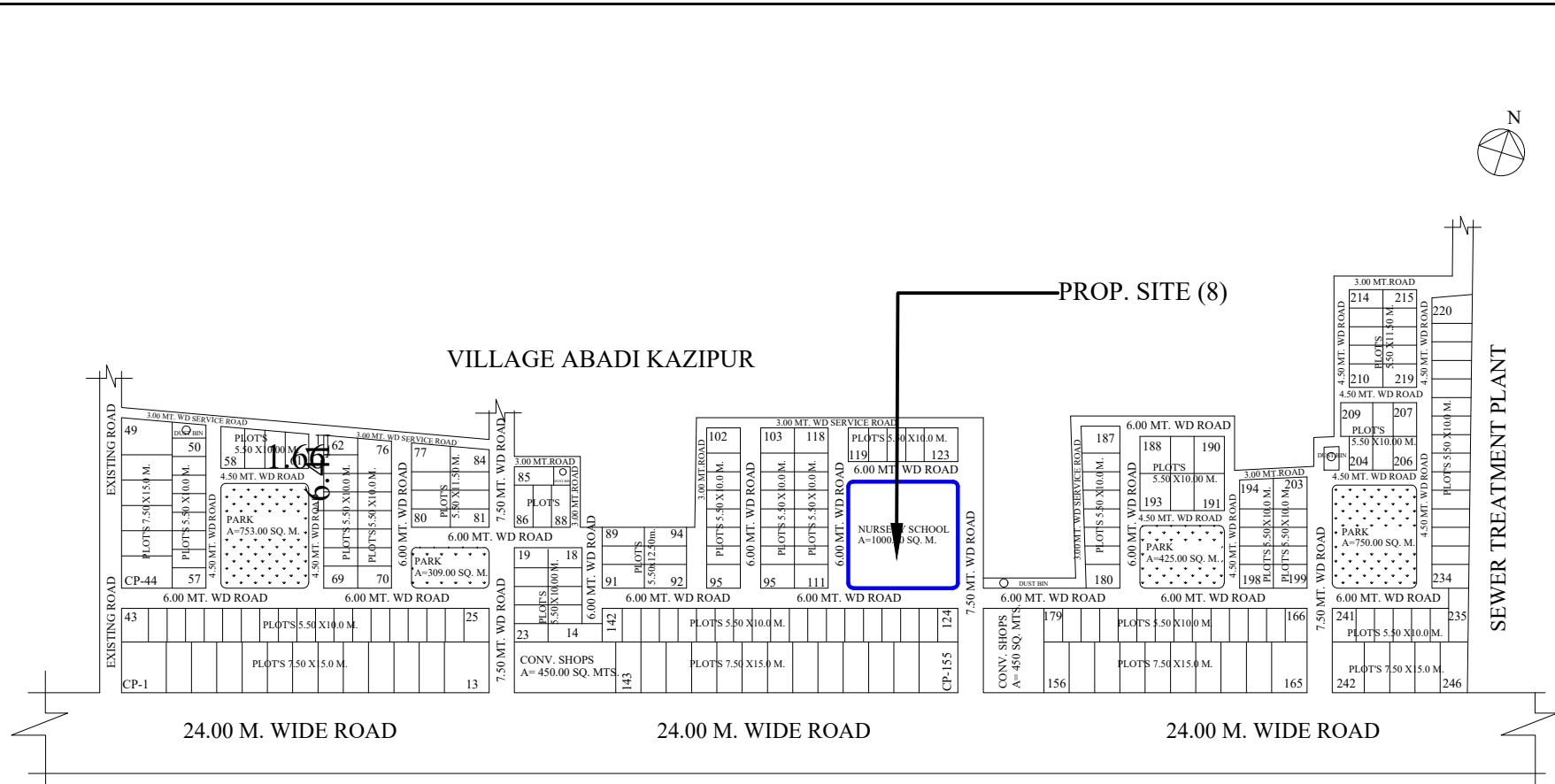
NOTE

1. ANY DISCREPANCY IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT IN THE NOTICE OF THE TOWN PLANNER

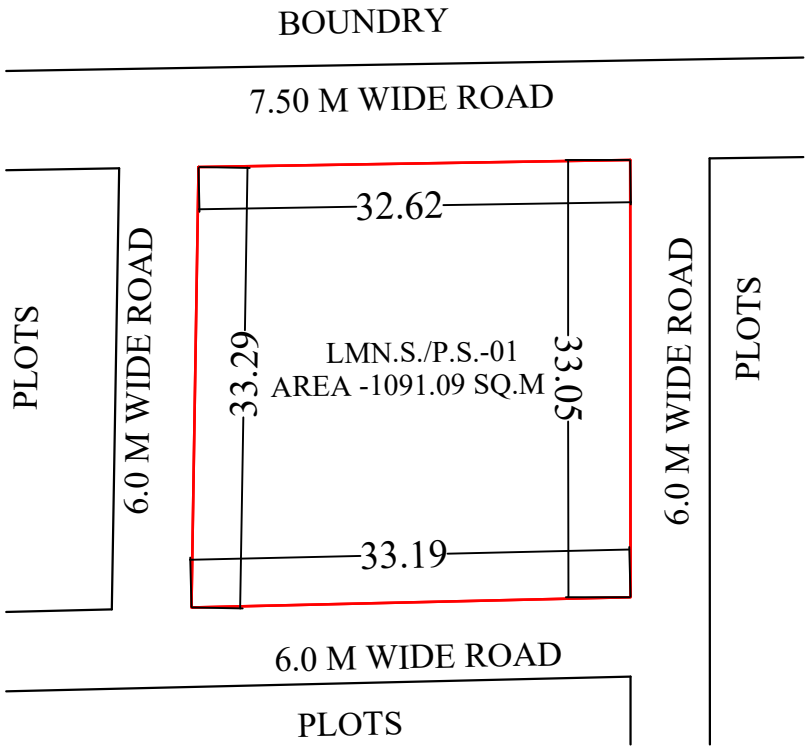
2. FIGURED DIMENSION'S ARE TO BE FOLLOWED

3. THIS DRAWING IS A SOLE PROPERTY OF M.D.A.

COMPUTERISED BY. PAWAN			N
DRG. NO.	SCALE: 1:1000	DATE:- 23 - 04 - 91	
H.P. SINGH YADAV DRAUGHT MAN	VIJAY KUMAR ASSTT. ARCHITECT(C)	YASH PAL SINGH ASSTT. ARCHITECT	
(S.C. GHILDIAL) TOWN PLANNER	(C.L. MARAL) VICE CHAIRMAN	(R.P. TYAGI) VICE CHAIRMAN	



LOHIA NAGAR SECTOR-" C "PART-" CP"



MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

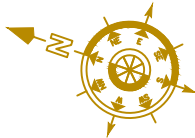
PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION N.S. / P.S. PLOT AT
POCKET-CP LOHIYA NAGAR ,HAPUR
ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE NURSURY
SCHOOL)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1091.09 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	1091.09 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1091.09 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMN.S./P.S.-01	01	1091.09

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESIDENTIAL, N.H. &
N.S./P.S. PLOT AT POCKET-M LOHIYA NAGAR
,HAPUR ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE PRIMARY /
NURSURY SCHOOL)

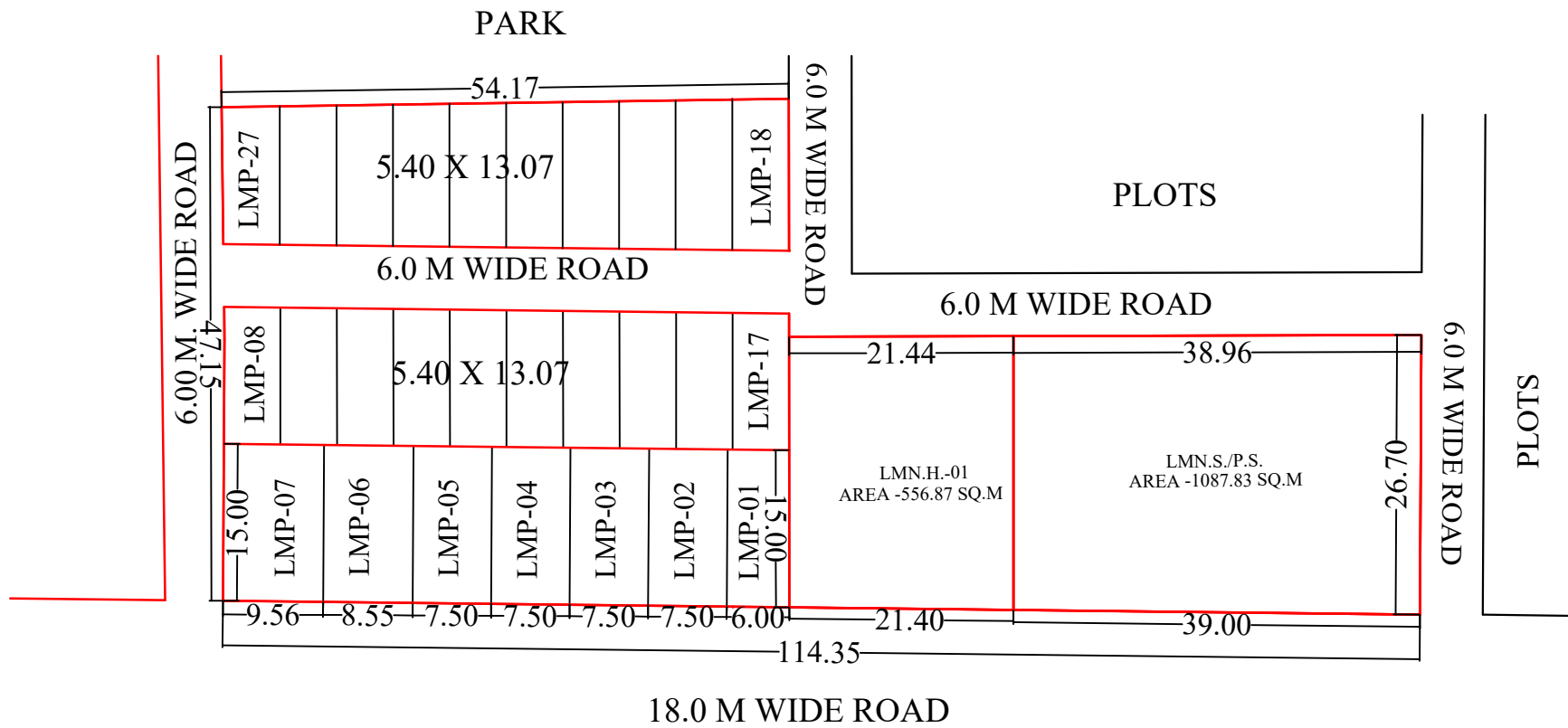
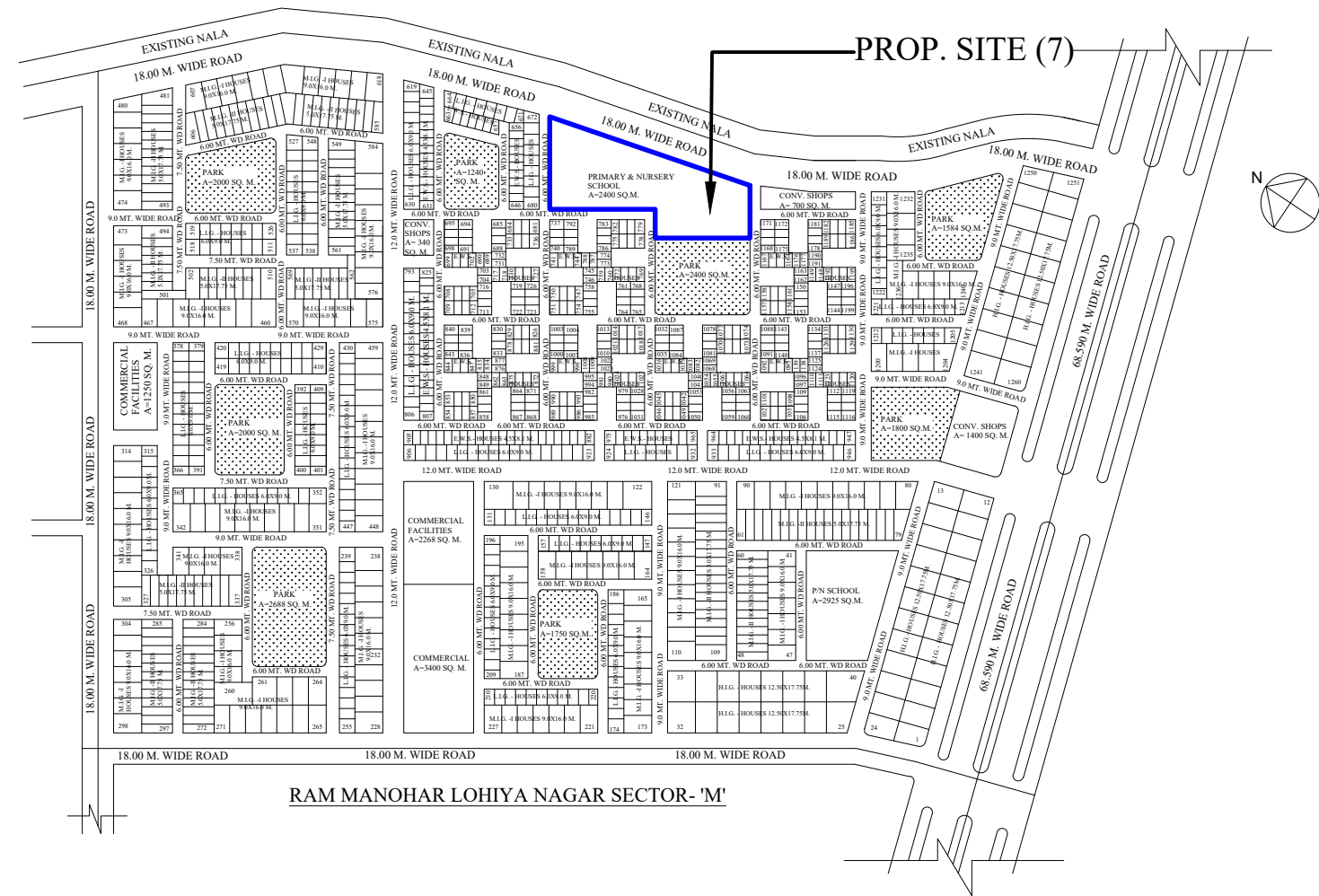
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	4171.07 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	4171.07 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3847.11 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	323.96 SQ.M.

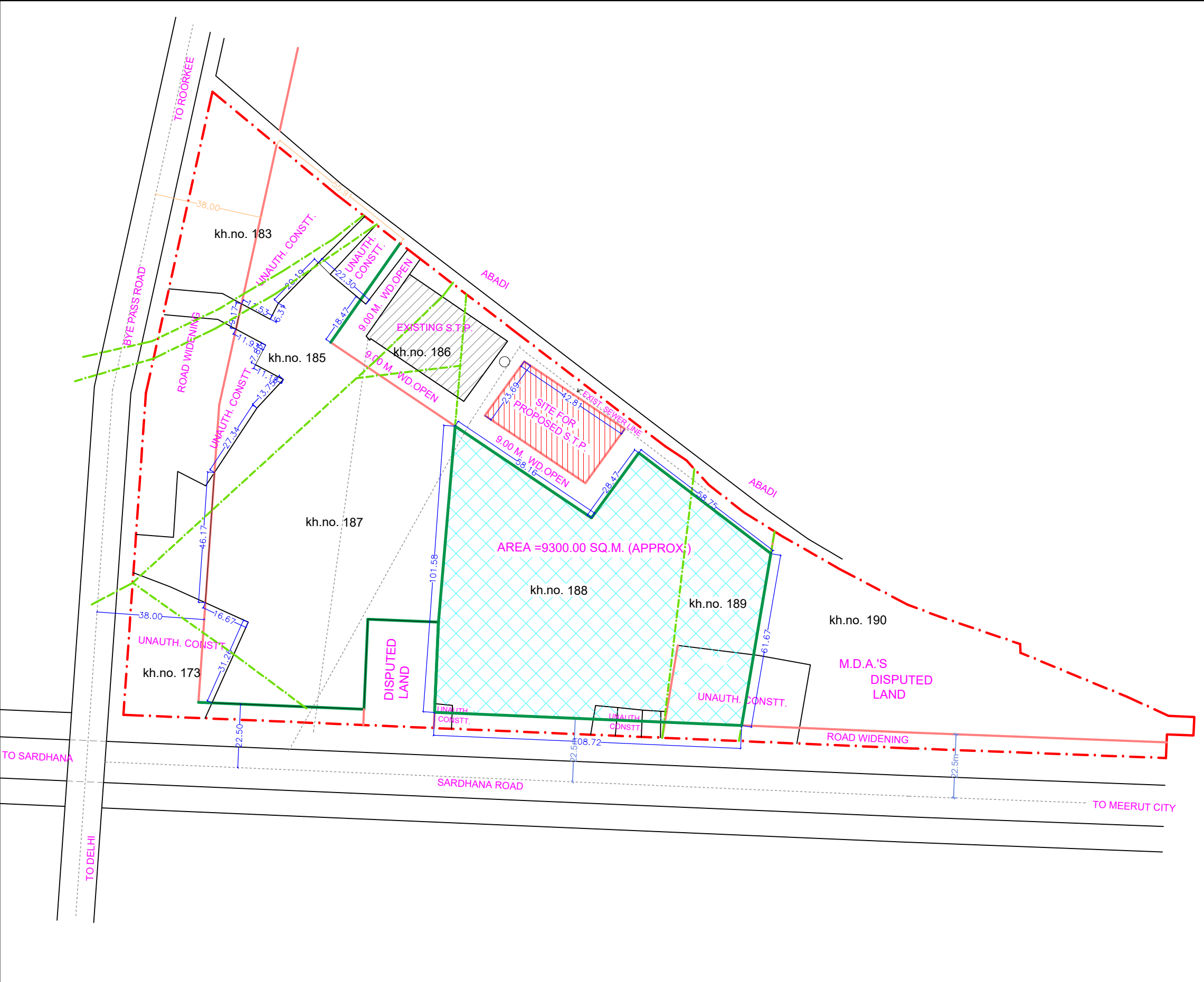
DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01	01	90.00
2.	LMP-02 TO LMP-05	04	112.50
3.	LMP-06	01	128.25
4.	LMP-07	01	143.40
5.	LMP-08 TO LMP-27	20	70.58
TOTAL		27	
6.	LMNH-01	01	556.87
7.	LMN.S./P.S.	01	1087.83

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
AANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	







REVISED LAY OUT PLAN FOR GROUP HOUSING PLOT & S.T.P. PLOT AT SHRADDHAPURI PHASE -II, SARDHANA ROAD, MEERUT.

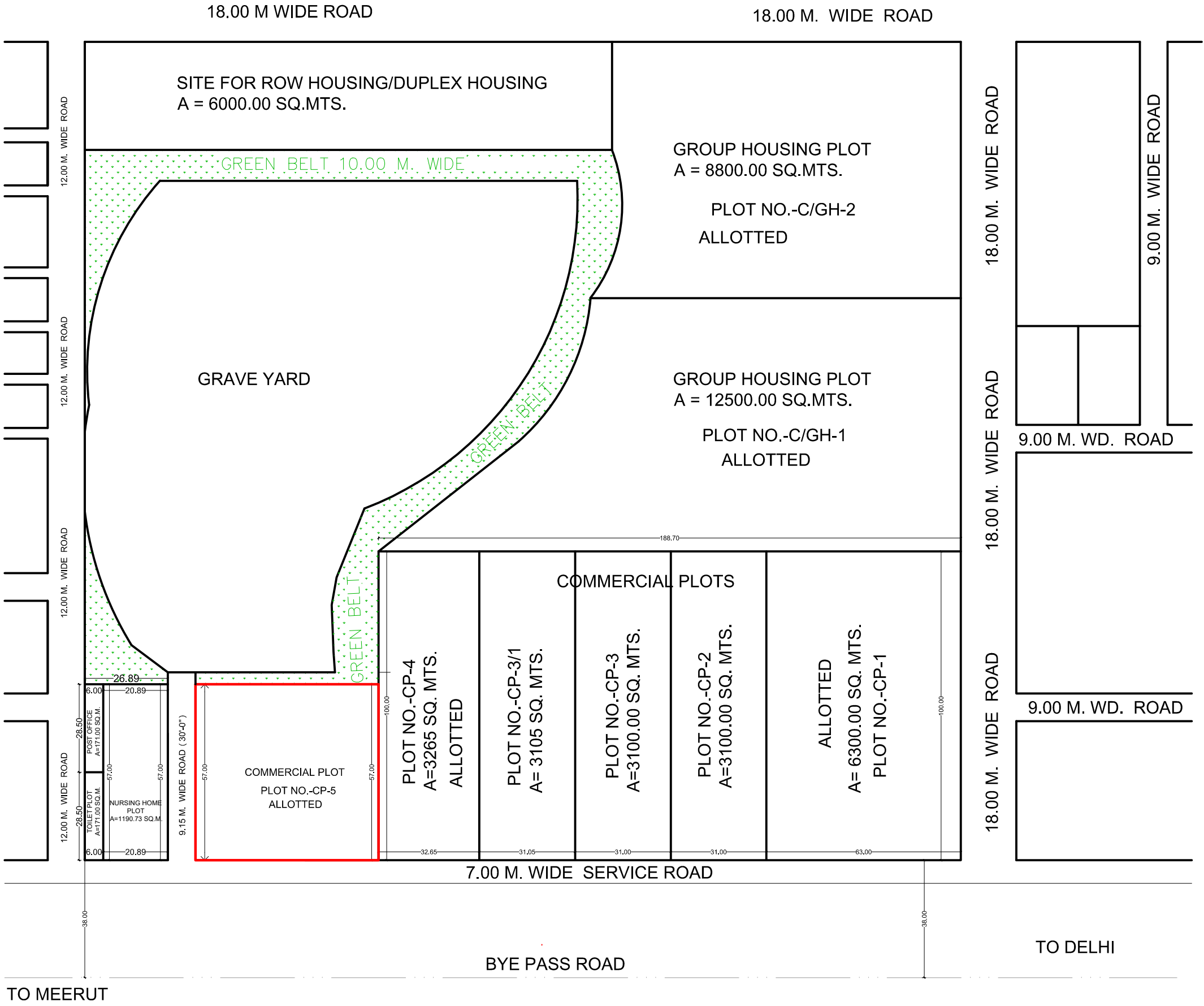
AREA OF GROUP HOUSING PLOT = 9300 SQ. M. (APPROX.)
AREA OF PROPOSED S.T.P. PLOT = 1013.35 SQ. M.

LEGEND :-

- GROUP HOUSING PLOT
- PROPOSED S.T.P. PLOT

REVISION	DATE	NORTH :-
	16-06-2015	
DRAWN BY	SCALE	
BALBIR SINGH (SURVEYOR)		
A.T.P.		sd/- T.P.
sd/- C.T.P.	sd/- SECRETARY	sd/- 23.06.2015 VICE CHAIRMAN

DEFENCE ENCLAVE



mda

AREA DETAIL OF REVISED PLOTS

S.NO.	PLOT NO.	AREA (SQ.M.)	
1	CP-5		

REVISION

DATE

DRAWN BY:

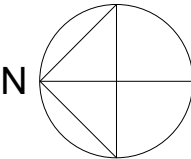
SCALE

T.P.

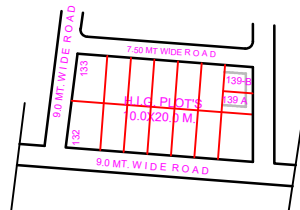
C.T.P.

SECRETAY

VICE CHAIRMAN



REVISED LAYOUT PLAN OF SAINIK VIHAR SHRADDHA PURI
PHASE-III ON SARDHANA ROAD MEERUT



SUB DIVISION OF PLOT NO C-139
AS PER V.C. ORDER
DT. 07-02-12

LAND FOR BULK SALE
AREA = 106378.00 SQ. MTS.

SITE FOR
FUTURE PLANNING
AREA = 106378.00 SQ. MTS.
DENSITY ASSUMED 400 PERSONS/HACT.
4255 PERSON'S

AREA ANALYSIS OF SITE FOR
FUTURE PLANNING
RESIDENTIAL = 59571.68 SQ. MTS.
ROAD'S = 26594.50 SQ. MTS.
PARK'S = 8510.24 SQ. MTS.
EDUCATIONAL = 6382.68 SQ. MTS.
COMMERCIAL = 5318.90 SQ. MTS.

NALA

NALA

NALA

NALA

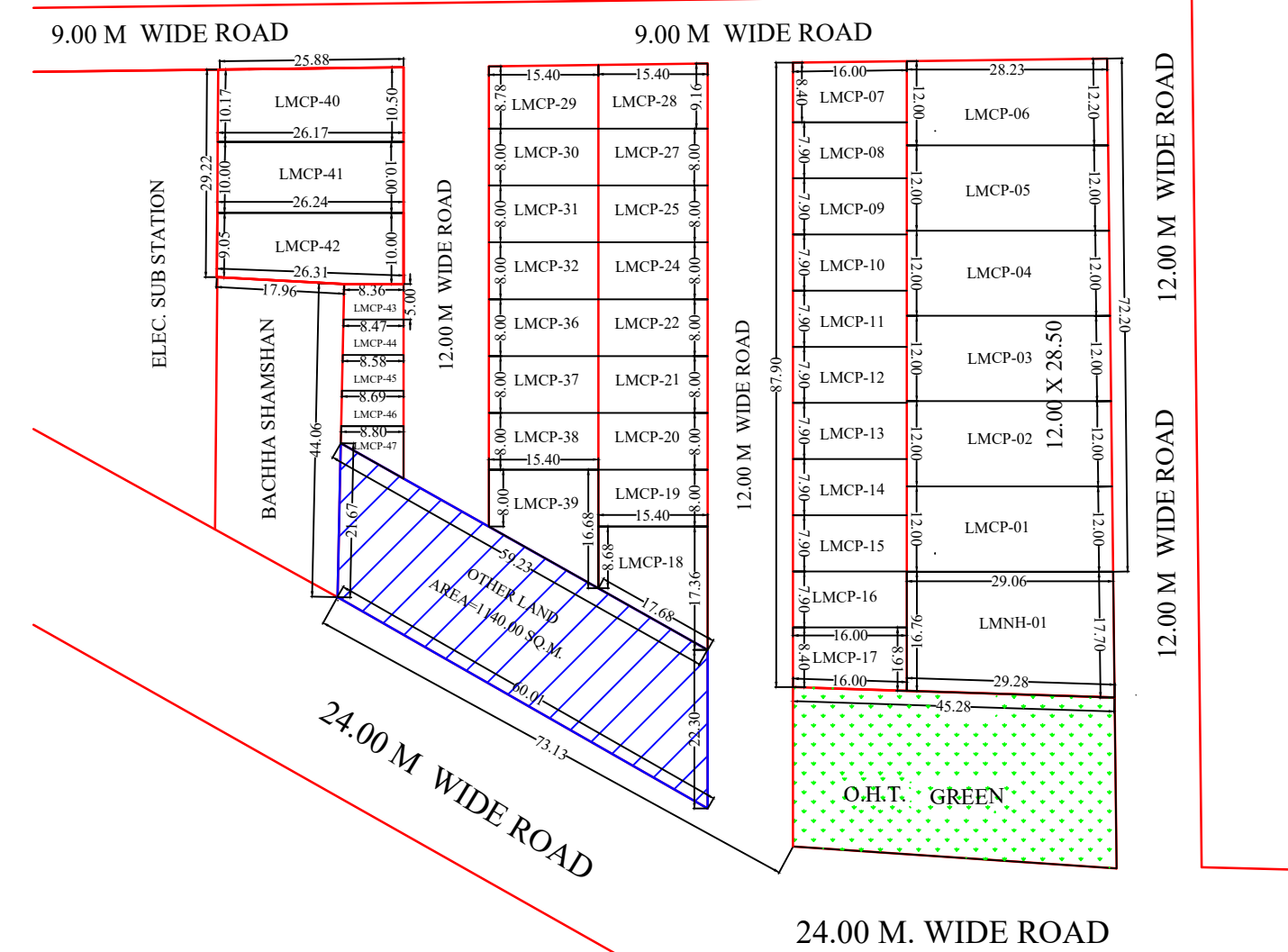
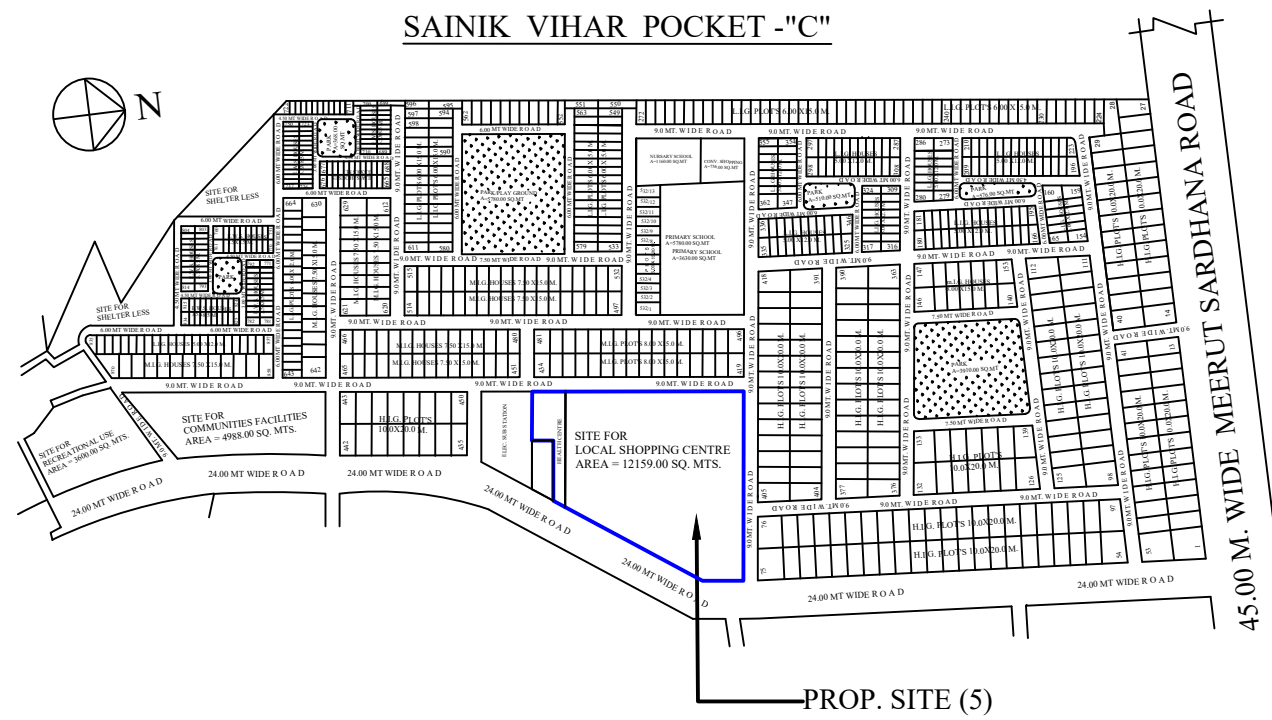
NALA

NALA

VILLAGE ABADI

45.00 M. WIDE MEERUT SARDHANA ROAD





MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

REVISED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION COMMERCIAL PLOTS
AT SAINIK VIHAR POCKET-C IN
MEERUT.(EXIST.SITE LOCAL SHOPPING CENTER &
HEALTH CENTRE)

AREA STATEMENT :-

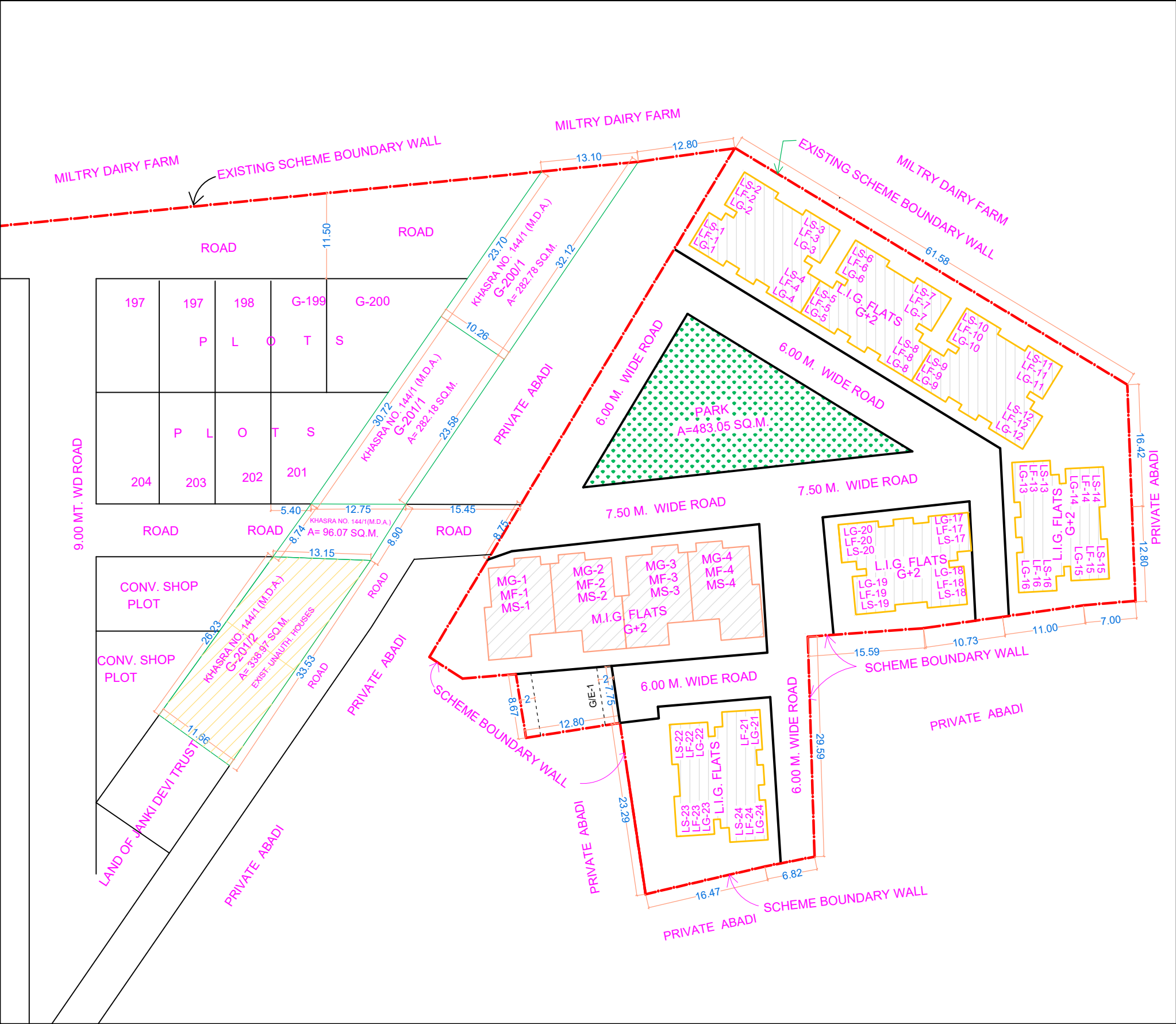
TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	10638.20 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	10638.20 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	7198.75 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	2296.45 SQ.M.
OTHER'S LAND	1140.00 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMCP-01 TO LMCP-06	06	342.00
2.	LMCP-07 TO LMCP-17	11	126.40
3.	LMCP-18	01	200.48
4.	LMCP-19 TO LMCP-22 & LMCP-24,LMCP-25 & LMCP-27,LMCP-28	08	123.20
5.	LMCP-29 TO LMCP-32 , LMCP-36 TO LMCP-38 & LMCP-39	08	123.20,190.00
6.	LMCP-40 , LMCP-41, LMCP-42	03	270.00,262.00,254.00
7.	LMCP-43 TO LMCP-46 & LMCP-47	05	42.50, 43.00
TOTAL		42	
8.	LMNH-01	01	502.31

NOTE:- MISSING PLOTS NOS.:- LMCP-23,LMCP-26,LMCP-33,LMCP-34,LMCP-35

M. ALI 07-12-2024 D.MAN	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 09-12-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 11-12-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 12-12-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 17-12-2024 V.C.	



mda

REVISED PART LAY OUT PLAN OF
OF POCKET -"G " PANDAV NAGAR , MEERUT.

DETAIL OF FLATS / PLOTS

M.I.G. FLATS = 2 X 2 X 3 = 12
L.I.G. FLATS = 6 X 4 X 3 = 72
L.I.G. PLOTS = 1
PROP. H.I.G. PLOT NO. 200/1, 201/1 & 201/2

REVISION-1 (DT. 12-7-2011)

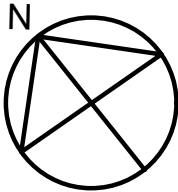
REVISION-2 (DT. 13-12-2013)

REVISION-3

DATE
17-05-2014

DRAWN BY:
Sd/-
BALBIR SINGH
SURVEYOR

SCALE
1:500



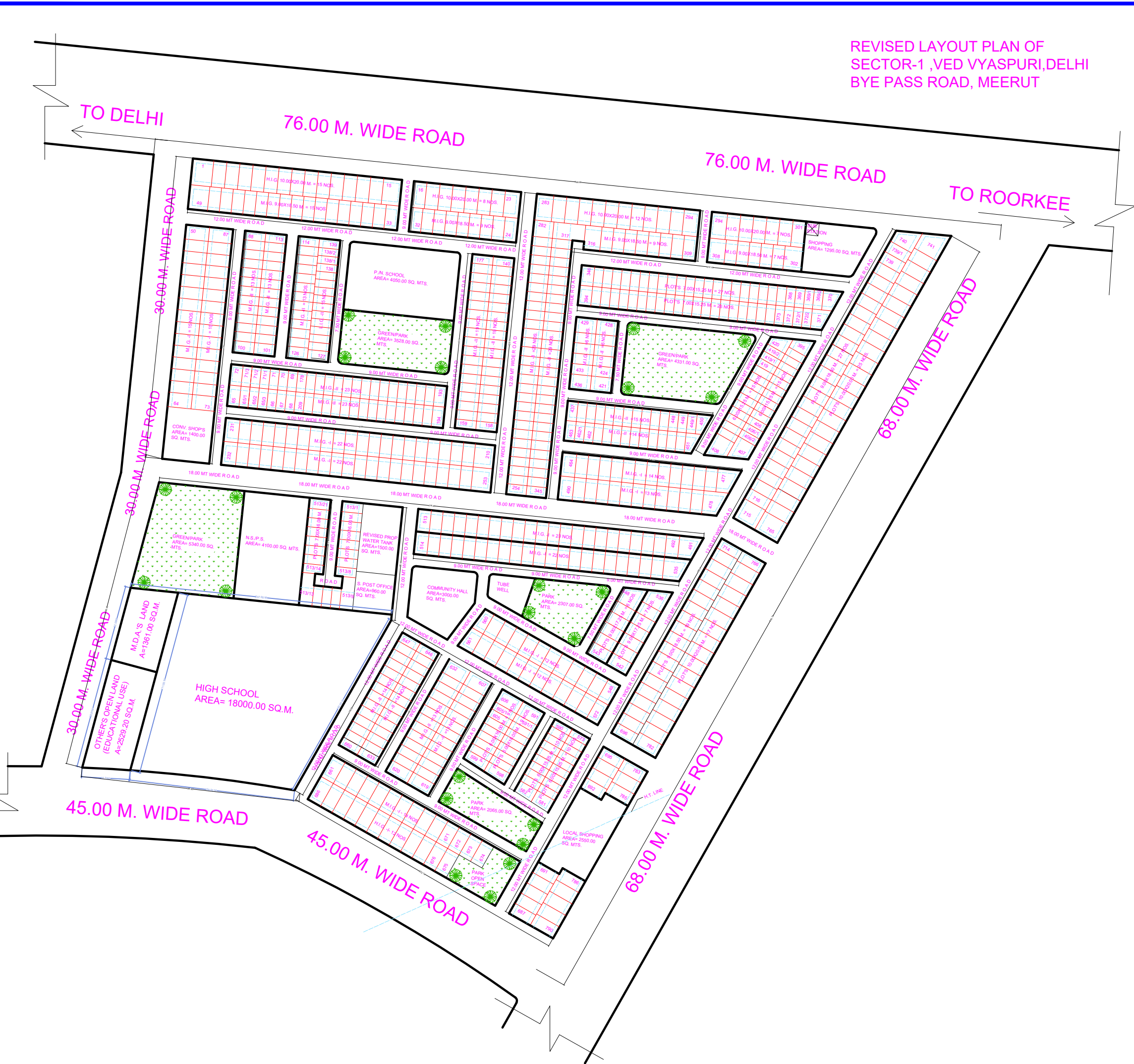
A.T.P.

T.P.

Sd/-
C.T.P.

Sd/-
SECRETARY

Sd/-
(DT. 17-05-2013)
VICE CHAIRMAN



REVISED LAYOUT PLAN OF
SECTOR-1 ,VED VYASPURI,DELHI
BYE PASS ROAD, MEERUT

DETAIL OF PLOTS				
S.NO.	PARTICULARS	SIZE	AREA	NOS
1	H.I.G.	10.00 X 20.00M.	200.00 SQ. MTS.	104
2		9.00X18.00 M.	162.00 SQ. MTS.	184
3	M.I.G. -I	9.00X18.50 M.	166.50 SQ. MTS.	97
4		9.00X17.25 M.	155.25 SQ. MTS.	13
5		7.00X16.00 M.	112.00 SQ. MTS.	297
6	M.I.G.-II	7.00X15.25 M.	106.75 SQ. MTS.	53
7	L.I.G.-I	6.00X16.00 M.	96.00 SQ. MTS.	33
8		6.00X15.25 M.	91.50 SQ. MTS.	50

TOTAL 831

TOTAL 7410

REVISION			
DRAWN BY.	SCALE:	DATE:-	
BALBIR SINGH	1:1000	21.12.1990	
ASST.TOWN PLANNER	TOWN PLANNER	COMPUTERISED BY.	
		PAWAN	
CHIEF TOWN PLANNER	SECRETARY	VICE CHAIRMAN	



MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION COMMERCIAL PLOTS AT
VEDVYASPURI SECTOR-1 IN MEERUT.
(EXIST.SITE POST OFFICE)

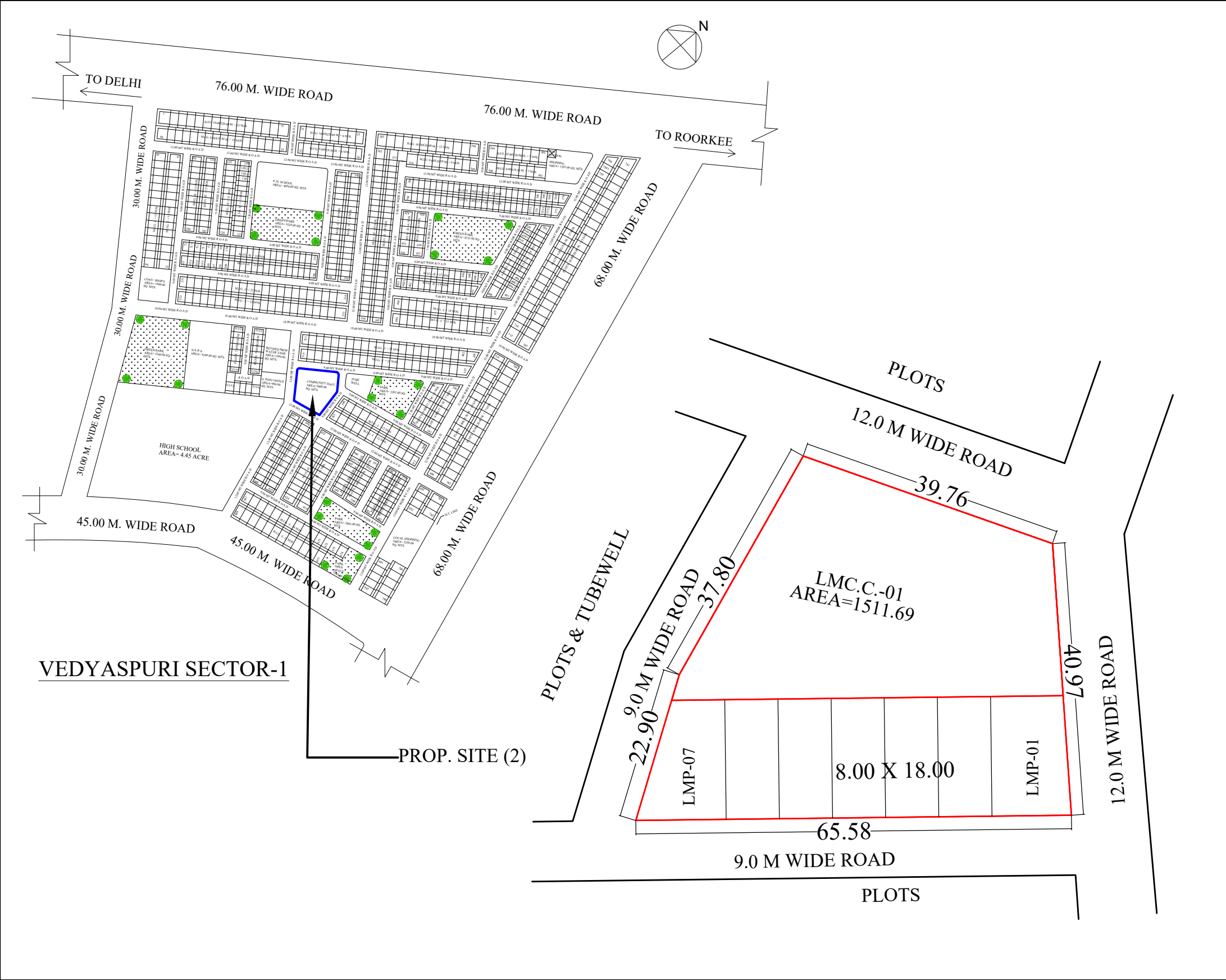
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1086.86 SQM
TOTAL AREA OF PLANNING	1086.86 SQM
TOTAL SELLABLE AREA	1086.86 SQM
AREA UNDER ROAD	NIL

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMCP-01	01	546.80
2.	LMCP-02	01	540.06
TOTAL		02	

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	



MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS &
COMMUNITY CENTRE AT VEDVYASPURI
SECTOR-1 IN MEERUT.(EXIST.SITE
COMMUNITY HALL)

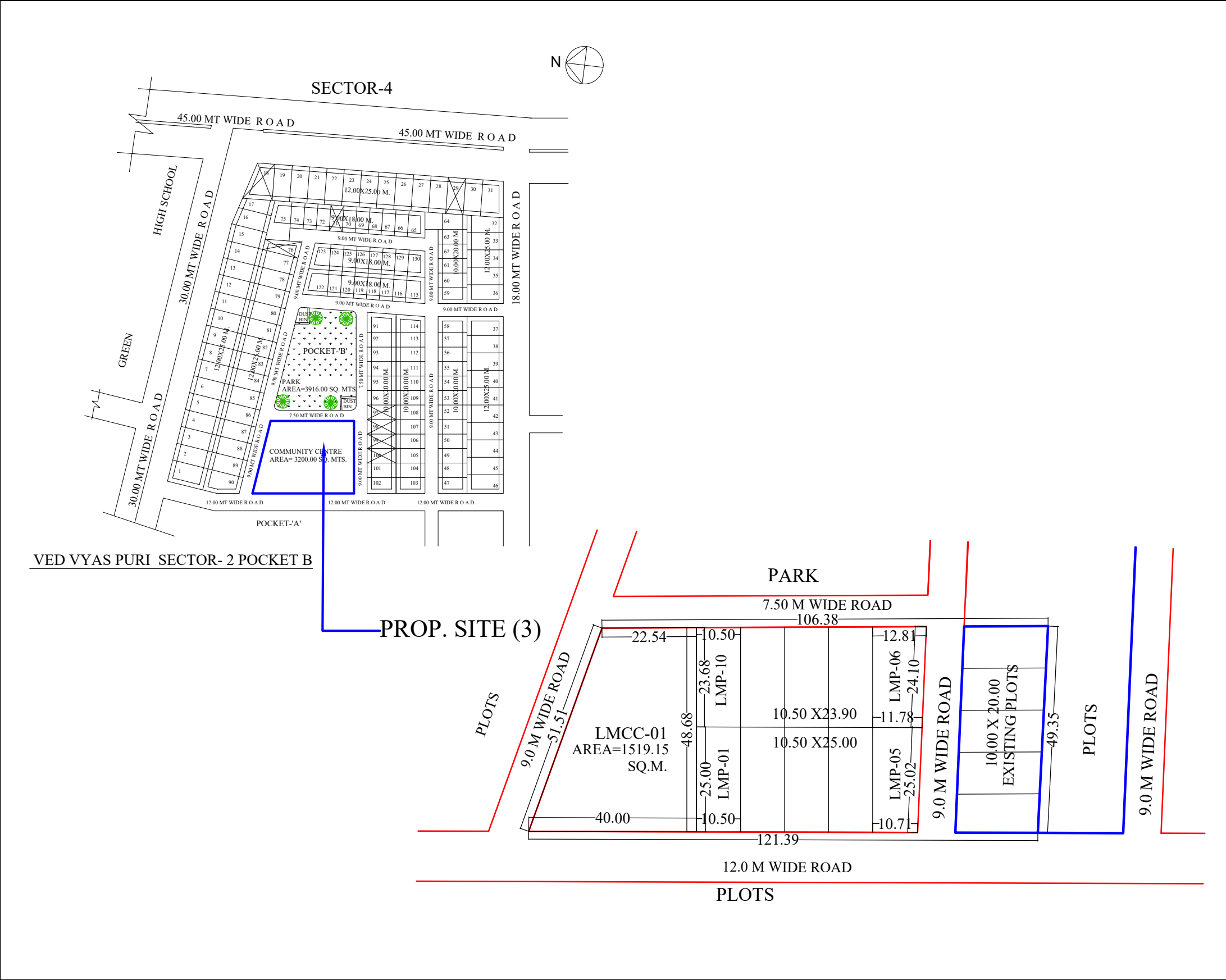
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	2632.18 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	2632.18 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2632.18 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-07	07	144.00
2.	LMCC-01	01	1511.69

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01-05-2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	



MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY			
PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND MONETIZATION RESIDENTIAL PLOT & COMMUNITY CENTRE AT VEDVYASPURI SECTOR-2 POCKET-B IN MEERUT. (EXIST.SITE COMMUNITY CENTRE)			
AREA STATEMENT :-			
TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.		5565.93 SQM	
TOTAL AREA OF PLANNING		4149.50 SQM	
TOTAL SELLABLE AREA		4149.50 SQM	
AREA UNDER ROAD		NIL	
DETAILS OF PLOTS :-			
S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-05	05	262.50
2.	LMP-06 TO LMP-10	05	250.95
TOTAL		10	
2.	LMCC -01	01	1519.15
ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN		DATE :- 01-05-2024 SCALE :-	NORTH :-
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING		VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY		ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	

33/11 KV ELECTRIC
SUB- STATION
A=1500.00 SQ.M.

**PROPOSED REVISED PART LAYOUT PLAN FOR
COMMERCIAL PLOTS & OFFICE USE PLOTS AT
COMMERCIAL / OFFICE USE LAND POCKET VED
VYASPURI MEERUT.**

TOTAL AREA UNDER SCHEME = 312155.19 SQ. MT.

DETAILS OF COMMERCIAL PLOTS :-

PLOT NO. NO.	PLOT AREA (SQ.M.)	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)
C-1	1725.00	C-19 TO C-26	250.00 (EACH)
C-2	1222.00	C-28 & C-41	367.50 (EACH)
C-3	1119.87	C-29 TO C-40	245.00 (EACH)
C-4	1398.70	C-42 & C-55	367.50 (EACH)
C-5	1510.00	C-43 TO C-54	245.00 (EACH)
C-6 & C-7	1250.00 (EACH)	C - 56 & C-69	369.30 (EACH)
C-8	1584.45	C-57 TO C-68	246.20 (EACH)
C-9	12309.55	C-70 & C-83	368.70 (EACH)
C-9/1	336.75	C-71 TO C-82	245.80 (EACH)
C-9/2 TO C-9/11	250.00 (EACH)	C-84 & C-97	372.30 (EACH)
C-9/12	336.75	C-85 TO C-96	248.20 (EACH)
C-10, C-10/1 & C-11	3680.97 (EACH)	C-98 & C-111	369.30 (EACH)
C-12	6322.38	C-99 TO C-110	246.20 (EACH)
C-13	767.62	C-112 & C-125	367.50 (EACH)
C-14	657.98	C-113 TO C-124	245.00 (EACH)
C-15	706.15	C-126 & C-139	367.50 (EACH)
C-16	756.67	C-127 TO C-138	245.00 (EACH)
C-17	1046.07		
C-18 & C-27	390.75		

DETAILS OF OFFICE PLOTS :-

PLOT NO. NO.	PLOT AREA (SQ.M.)	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)
OF-1	1614.68	OF-28	917.41
OF-2 TO OF-12	562.50 (EACH)	OF-29 TO OF-40	336.45 (EACH)
OF-13 & OF-14	750.00 (EACH)	OF-41	448.60
OF-15 TO OF-25	562.50 (EACH)	OF-42	449.40
OF-26	767.70	OF-43 TO 53	337.05 (EACH)
OF-27	1396.50	OF-54	900.57

REVISION :- 1 (DT. 30-03-2015)

REVISION :- 2 (DT. 02-11-2021)

REVISION :- 3

DATE:- 26/07/2022



SCALE :- 1:1000

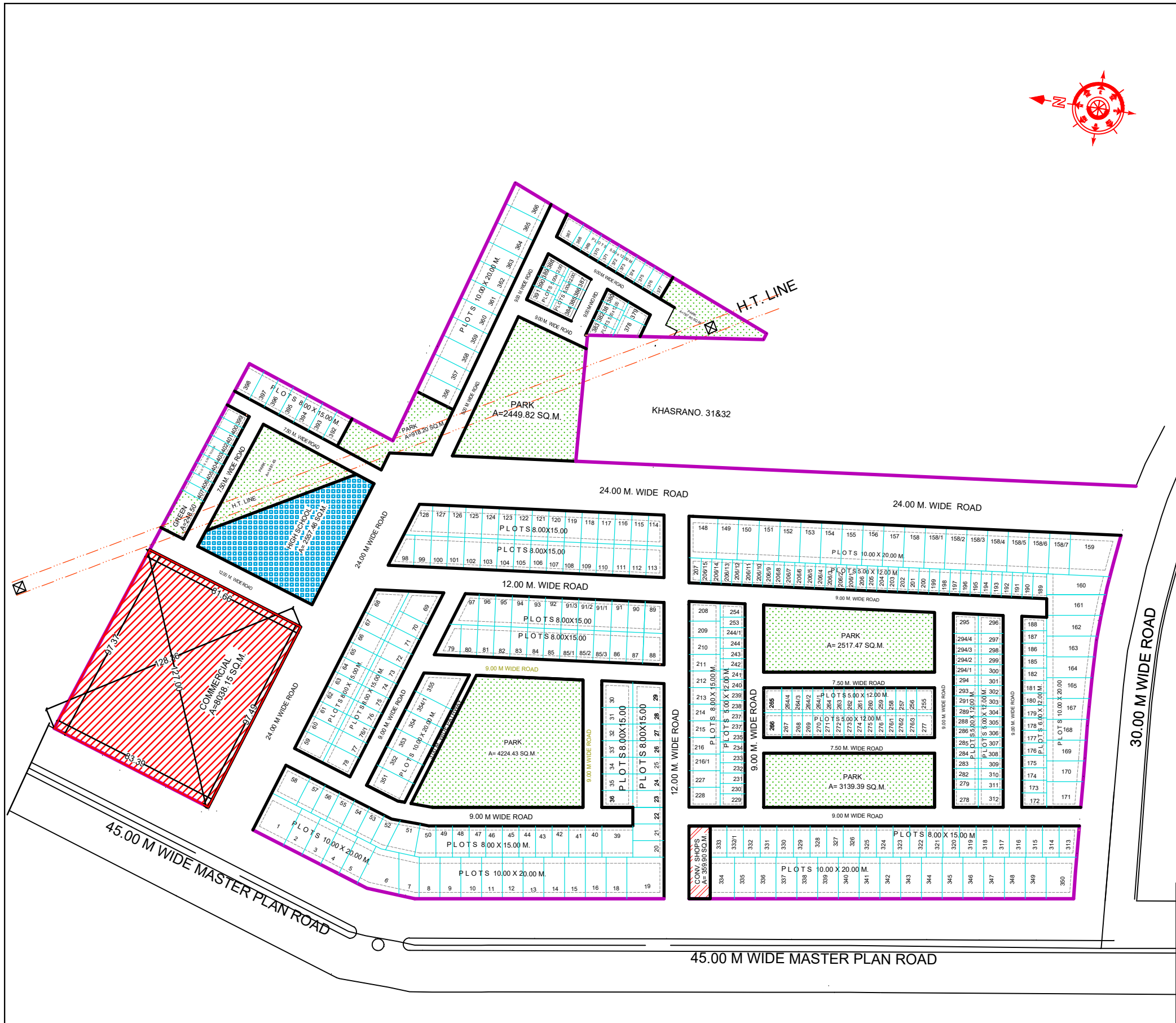
sd.- 26/07/2022
SUR./ D.MAN

sd.- 26/07/2022
TOWN PLANNER

sd.- 26/07/2022
C.T.P.

sd.- 26/07/2022
SECRETARY

sd.-02/09/2022
VICE CHAIRMAN



REVISED LAY OUT PLAN OF SECTOR - "4B"
OF VEDVYAS PURI SCHEME AT BYE PASS
ROAD, MEERUT.

REVISED LAY OUT PLAN OF SECTOR - "4B"
OF VEDVYAS PURI SCHEME AT BYE PASS
ROAD, MEERUT.

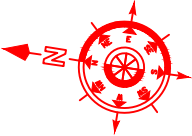
AREA STATEMENT	SQ. M.	%
TOTAL AREA UNDER SECTOR - "4B"	119942.84	
AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	27578.00	
NET AREA UNDER SITE	92364.84	100.00
AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS	47886.85	51.85
AREA UNDER COMMERCIAL/ CONV. SHOPS	8398.05	09.09
AREA UNDER HIGH SCHOOL	2557.46	02.77
AREA UNDER PARKS / GREENS	15747.16	17.04
AREA UNDER INTERNAL ROADS	17775.32	19.25

DETAIL OF PLOTS

S. NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA	NOS.
1	10.00 X 20.00 M.	200.00 SQ.M.	82
2	8.00 X 15.00 M.	120.00 SQ.M.	155
3	6.00 X 12.00 M.	72.00 SQ.M.	15
4	5.00 X 12.00 M.	60.00 SQ.M.	151
TOTAL			403

NOTE:

EXTRA PLOT NOS. 76/1, 85/1, 85/2, 85/3, 91/1, 91/2, 91/3, 158/1 TO 158/7, 206/1 TO 206/15 , 264/1 TO 264/4, 276/1 TO 276/3, 294/1 TO 294/4, 332/1 & 354/1 = 42
MISSING PLOT NOS. 17, 37, 38, 129 TO 147, 166, 183, 184, 217 TO 226, 245 TO 252, 280, 281, 287, 290 & 292 = 48 NOS.

REVISION	DATE 02-08-2014	
DRAWN BY: Sd/- BALBIR SINGH SURVEYOR ASHOK SHARMA D/MAN	SCALE	
Sd/- A.T.P.		T.P.
Sd/- C.T.P.	Sd/- SECRETARY	Sd/- (DT. 02-8-14) VICE CHAIRMAN



PROPOSED REVISED PART LAY-OUT PLAN
OF SECTOR - 7 (POCKET - "B"),
VEDVYAS PURI (BYE-PASS ROAD), MEERUT.

AREA STATEMENT		%
TOTAL SITE AREA	48517.76 SQ.M.	
AREA LEFT FOR ELE. SUB-STATION	10120.00 SQ.M.	
NET AREA OF SITE	38397.76 SQ.M.	100.00
AREA UNDER GROUP HOUSING PLOTS	21028.86 SQ.M.	54.76
AREA UNDER L.I.G. HOUSES (BLOCKS)	2384.70 SQ.M.	06.21
AREA UNDER COMMERCIAL PLOT	1811.80 SQ.M.	04.71
AREA UNDER KIOSK	154.56 SQ.M.	00.40
AREA UNDER PARKS/GREEN	6479.71 SQ.M.	16.88
AREA UNDER PARKING	566.04 SQ.M.	01.47
AREA UNDER ROADS/CIRCULATION AREA	5212.09 SQ.M.	13.58
AREA UNDER RESIDENTIAL PLOT(PH-5/7)	760.00 SQ.M.	01.99

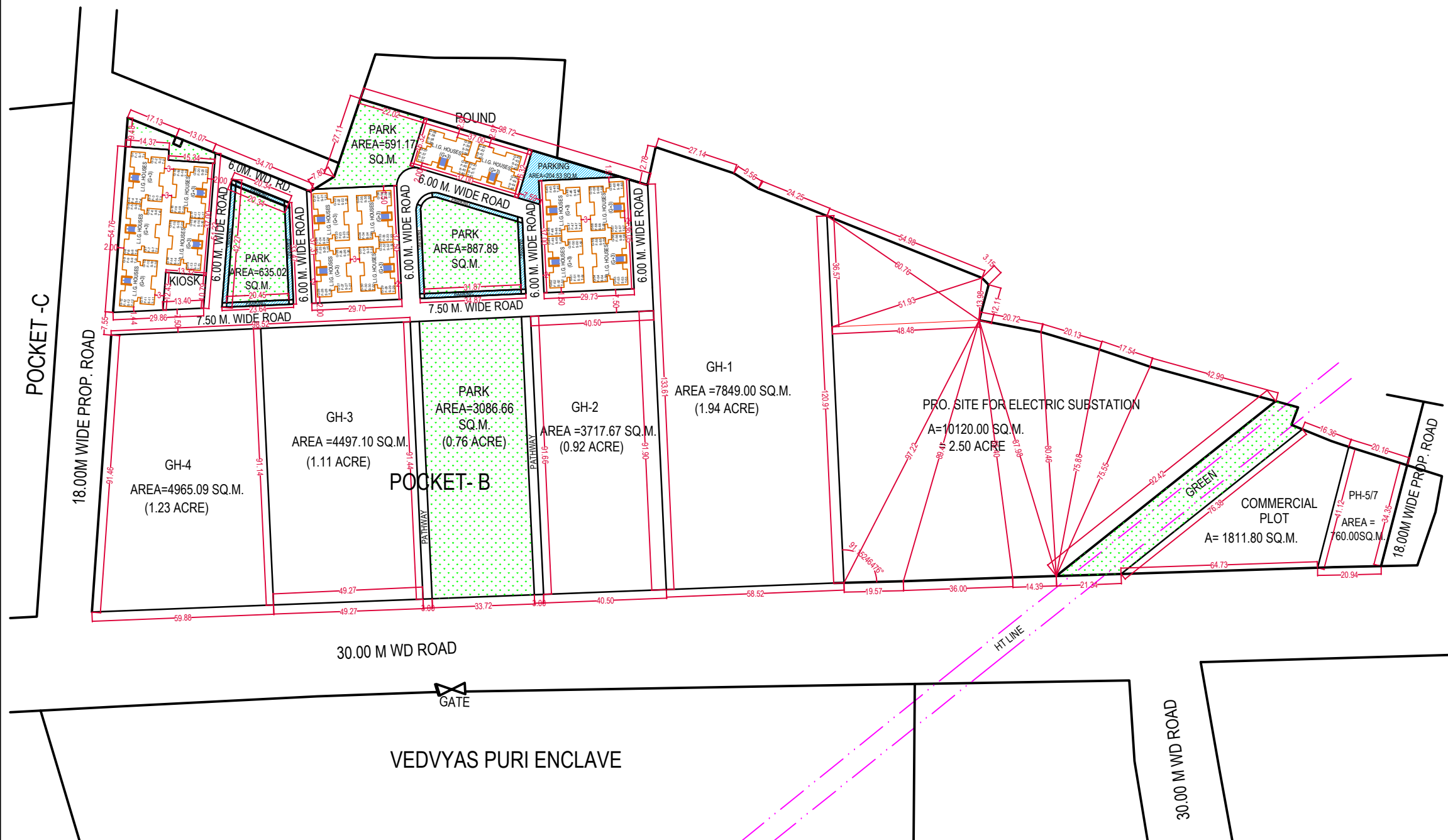
DETAIL OF GROUP HOUSING PLOTS		
S.NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA
1.	GH - 1	7849.00 SQ.M.
2.	GH - 2	3717.67 SQ.M.
3.	GH - 3	4497.10 SQ.M.
4.	GH - 4	4965.09 SQ.M.
TOTAL		21028.86 SQ.M.

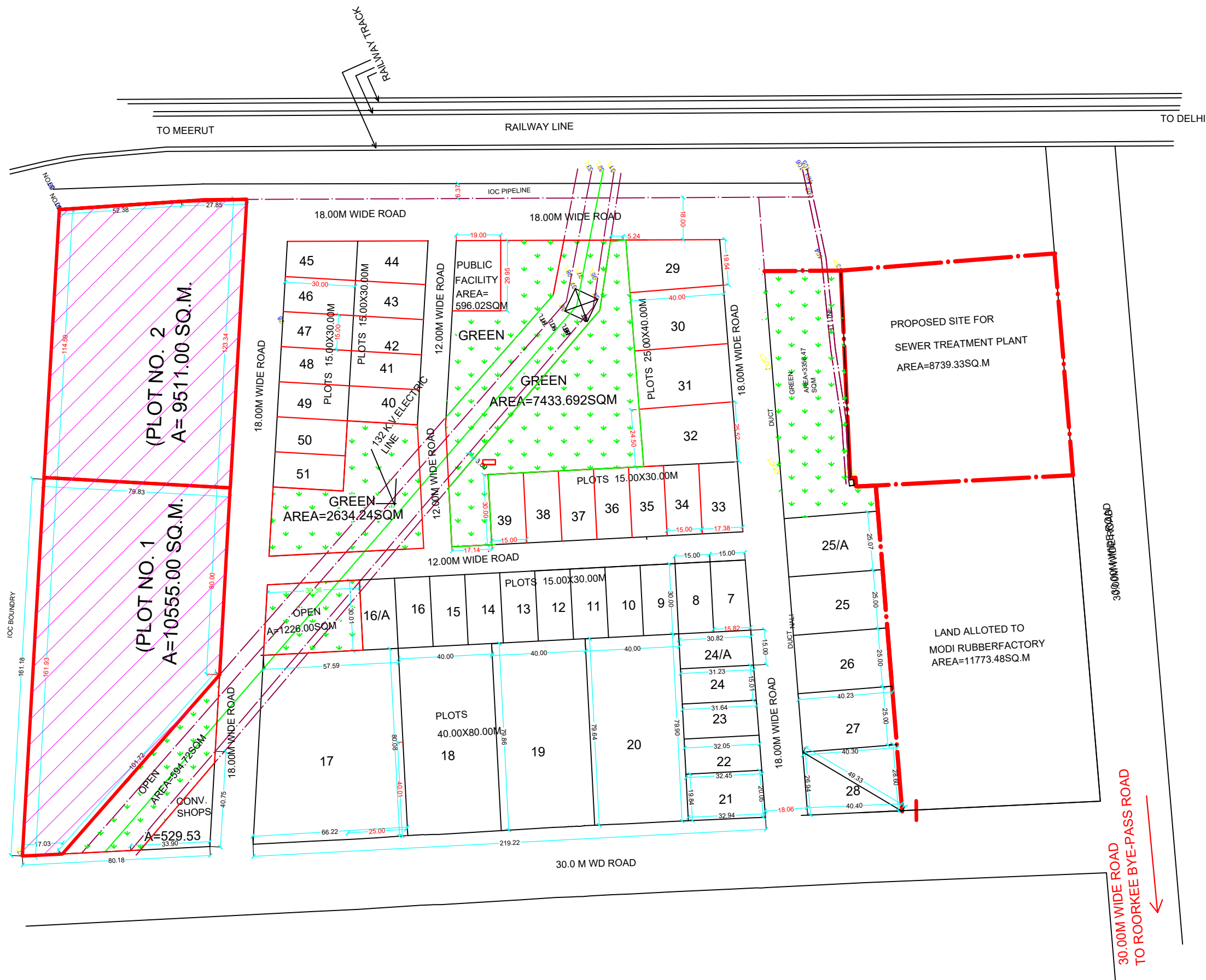
TOTAL NOS. OF L.I.G. UNITS = 15X4X4 = 240

PROP. SITE FOR 132 KV ELECTRIC SUB STATION

REVISION - 4	DATE 09-10-2014	NORTH
DRAWN BY: BALBIR SINGH SURVEYOR ASHOK KUMAR D/MAN	SCALE 1:1000	

A.T.P.	T.P.	
CHIEF TOWN PLANNER	SECRETARY	VICE CHAIRMAN





mda

REVISED PROPOSED LAY OUT PLAN OF
INDUSTRIAL PLOTS AT VEDVYAS PURI
BYE PASS ROAD MEERUT

AREA STATEMENT	SQ.M.	%
TOTAL AREA UNDER SITE	103312.25	
AREA UNDER SEWER TREATMENT PLANT	8739.33	
NET. AREA UNDER SITE	94572.92	
AREA UNDER INDUSTRIAL PLOTS	62173.44	65.73
AREA UNDER CONV. SHOPS	529.53	0.55
AREA UNDERGREEN/OPEN SPACE	14197.03	15.01
AREA UNDER INTERNAL ROAD	17076.90	18.08
AREA UNDER PUBLIC FACILITY	596.02	0..63

DETAIL OF PLOTS			
SR.N.	SIZE [M.]	AREASQM.	NOS.
1.	15.00X30.00M	450.00	35
2	25.00X40.00	1000.00	09
3	40.00x80.00	3200.00	10

DETAIL OF PLOTS =54 NOS

NOTE :-
LAYOUT PLAN REVISED AS PER REQUIREMENT
OF ENG.DIVISION
SERVEY GIVEN BY ENG. DIVISION

REVISION:-3

DRG.NO.	DATE 07-07-2011	
DRAWN BY ASHOK KUMAR D/MAN	SCALE 1:1000	

VED PRAKASH
T.A.P.

Y.P. SINGH CHIEF TOWN PLANNER	ANURAG PATEL SECRETARY	J.C.ADARSH VICE CHAIRMAN
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------

MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION COMMERCIAL & RESIDENTIAL
PLOT'S AT MAJOR DHYANCHAND NAGAR
POCKET-B IN MEERUT.(EXIST.SITE SPACE FOR
ROW MATERIAL)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	1859.35 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	1859.35 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1859.35 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-27 TO LMP-33	07	116.25
2.	LMCP-34 TO LMCP-40	07	116.925
TOTAL		14	

NORTH :-



ABHISHEK VERMA
25-07-2024
SUR./D.MAN

DATE :- 01/05/2024

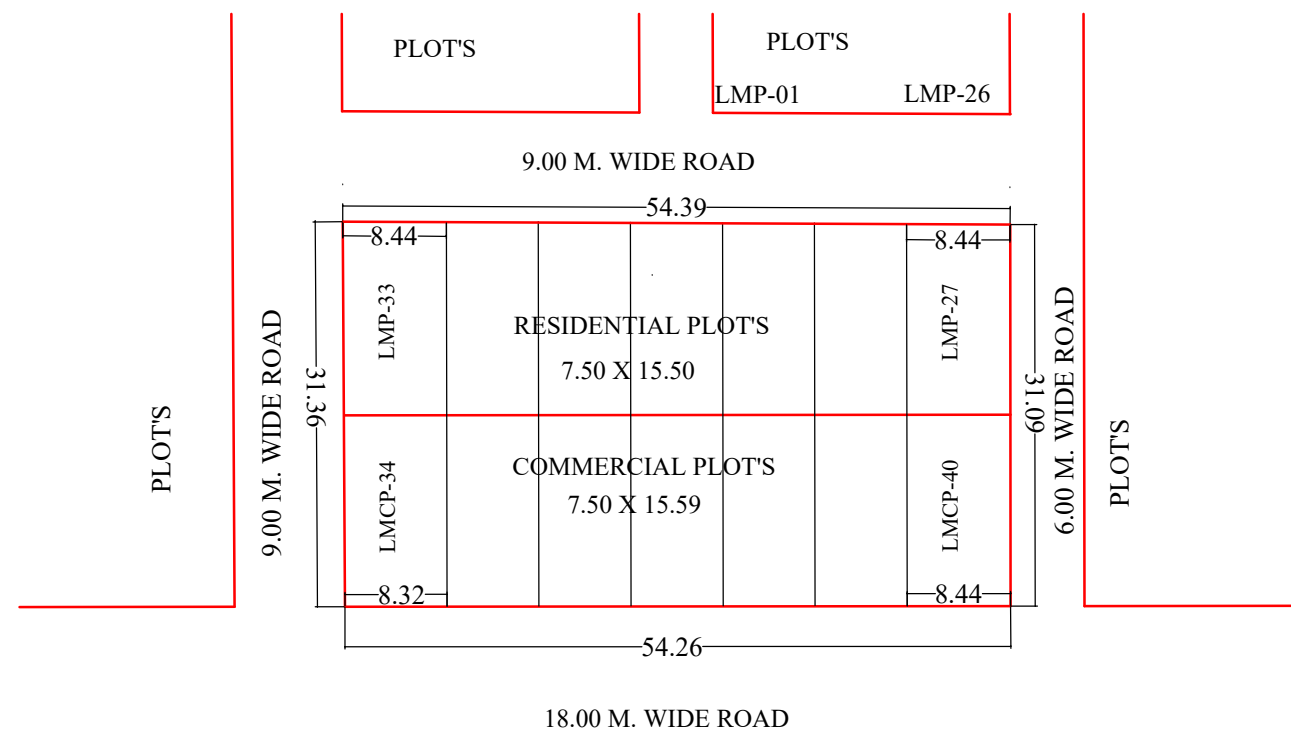
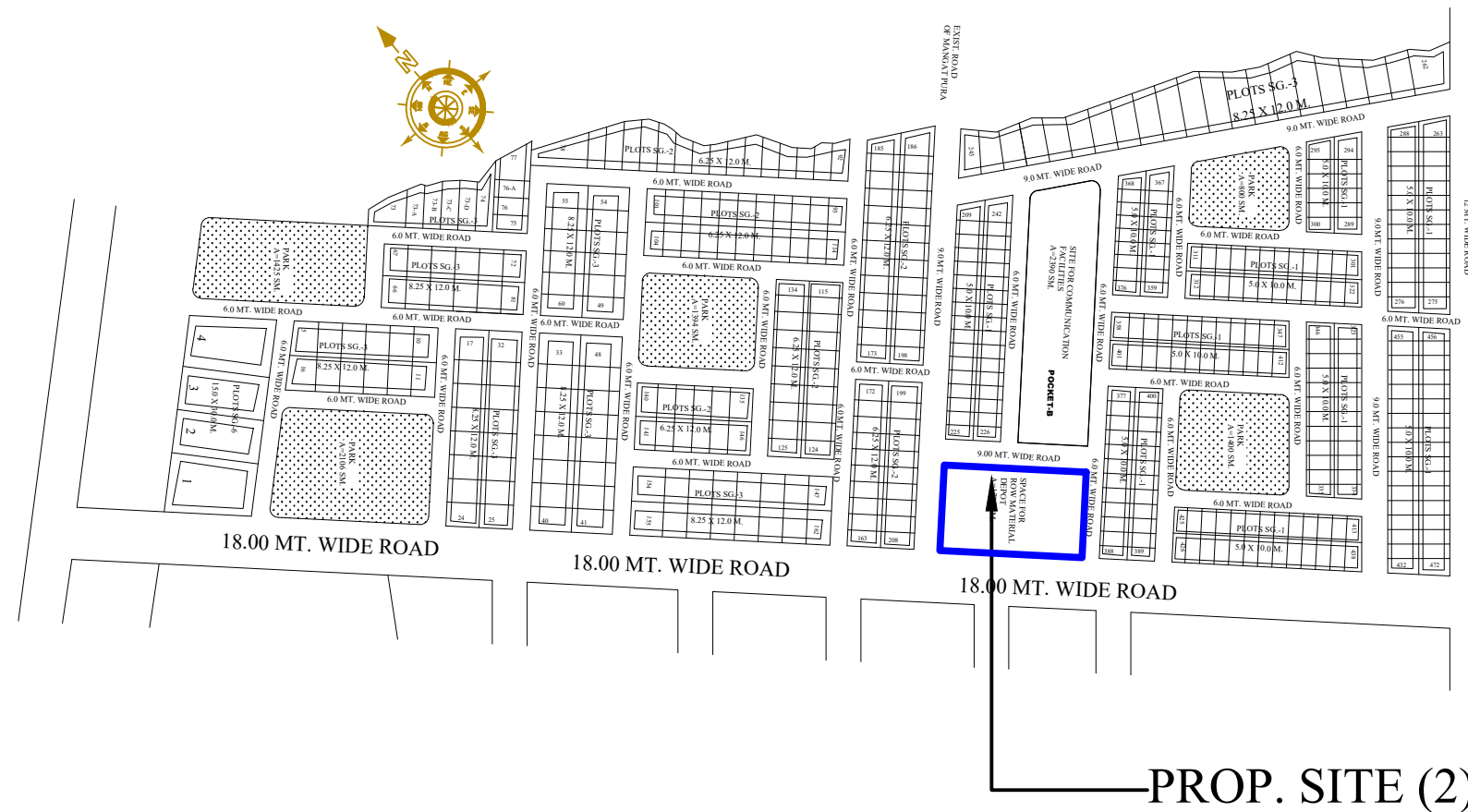
SCALE :-

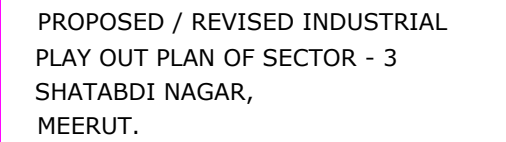
MANOJ TIWARI
25-07-2024
A.E.PLANNING

VIJAY KUMAR SINGH
25-07-2024
T.P./C.T.P.

ANAND KUMAR SINGH
25-07-2024
SECRETARY

ABHISHEK PANDEY
25-07-2024
V.C.





TOTAL AREA OF SECTOR	271612.35 SQ.M.	
AREA UNDER MASTER PLAN ROAD	20670.00 SQ.M.	
AREA OF ALLOTTED LAND TO U.P.S.E.B.	48902.00 SQ.M.	
NET AREA OF SECTOR	202040.00 SQ.M.	
AREA UNDER INDUSTRIAL PLOTS	126525.00 SQ.M.	62.62%
AREA UNDER COMMERCIAL USE	6656.00 SQ.M.	3.29%
AREA UNDER HEALTH CENTRE	1750.00 SQ.M.	0.57%
AREA UNDER PARKS/OPEN SPACES	24982.00 SQ.M.	12.36%
AREA UNDER INTERNAL ROADS	42127.00 SQ.M.	20.86%

S.NO.	PLOT SIZE	PLOT AREA	NO.
1	40.00 X 80.00 M.	3200.00 SQ.M.	5
2	30.00 X 70.00 M.	2100.00 SQ.M.	2
3	25.00 X 40.00 M.	1000.00 SQ.M.	20
4	20.00 X 40.00 M.	800.00 SQ.M.	9
5	15.00 X 30.00 M.	450.00 SQ.M.	38
6	12.00 X 25.00 M.	300.00 SQ.M.	178
7	25.00 X 48.00 M.	1200.00 SQ.M.	1
8	40.00 X 60.00 M.	2400.00 SQ.M.	1
TOTAL			254

REVISION (DT .03-07-2012)
REVISION (DT .22-09-2014)

REVISION-1	DATE 17-03-2017	
DRAWN BY: BALBIR SINGH SURVEYOR	SCALE 1:1000	
ASSTT. TOWN PLANNER		TOWN PLANNER
C .T. P.	SECRETARY	VICE CHAIRMAN

REVISED LAYOUT PLAN OF SECTOR-4C AT SHATABDI NAGAR RESIDENTIAL SCHEME DELHI ROAD MEERUT

The plan shows a large central area of forest land, with residential plots and roads surrounding it. Key features include a stadium site, a public school, a local shopping area, and various community facilities. The plan is divided into several pockets (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) and includes a legend for symbols and colors. The roads are labeled with their widths, and the plots are numbered. The plan is a technical drawing with precise lines and text.

**PROPOSED PART LAYOUT PLAN
OF SECTOR-4C AT SHATABDI
NAGAR RESIDENTIAL SCHEME
DELHI ROAD MEERUT**

DETAIL OF HOUSES/PLOTS			
S.NO.	TYPE	SIZE	AREA IN SQ. MTS.
1.	H.I.G. PLOT	10.0X20.0	200.00
2.	H.I.G. HOUSE	10.0X20.0	200.00
3.	M.I.G. PLOT	7.50X15.0	112.50
4.	M.I.G. HOUSE	7.50X15.0	112.50
5.	L.I.G. HOUSE	5.00X10.00	50.00
6.	E.W.S. HOUSE	3.0X10.0	30.00

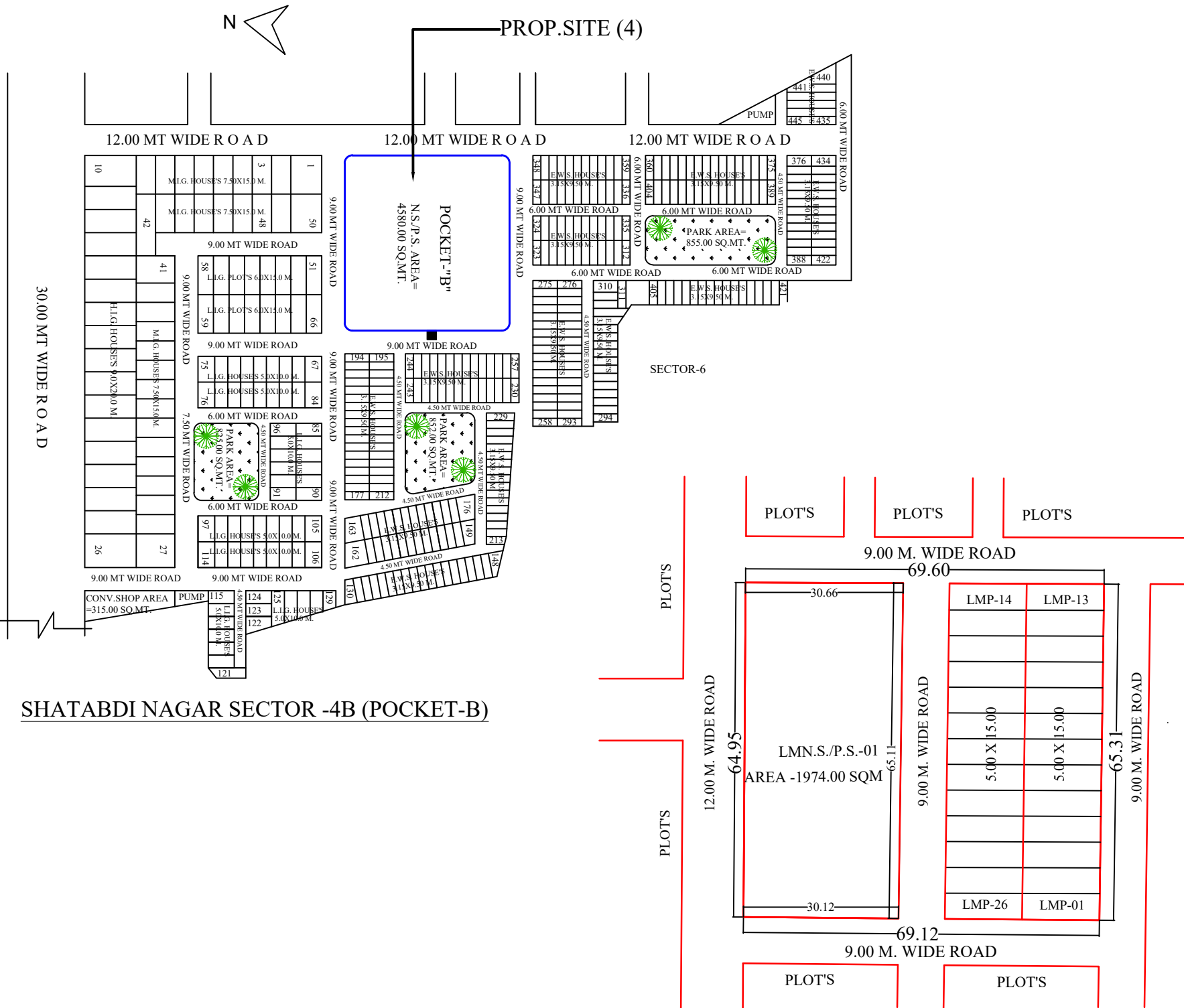
AREA OF GROUP HOUSING IS NOT TAKEN IN ACCOUNT FOR ANALYSIS ALL THE REQUIREMENT OF OPEN SPACE AND FACILITIES ETC. SHALL BE FULFILLED WITH IN THE GROUP HOUSING SITE.

POCKET C - 225,295,296,358,356,533,579,
1089,1090,1091,1092,1093,1725 TO 1732,1580 TO 1597

RAJIV KUMAR
VICE CHAIRMAN



AIRPORT ENCLAVE SHATABDI NAGAR, SECTOR-10, MEERUT



SHATABDI NAGAR SECTOR -4B (POCKET-B)

MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS &
N.S./P.S. AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4B
POCKET-B IN MEERUT.
(EXIST.SITE N.S./P.S.)

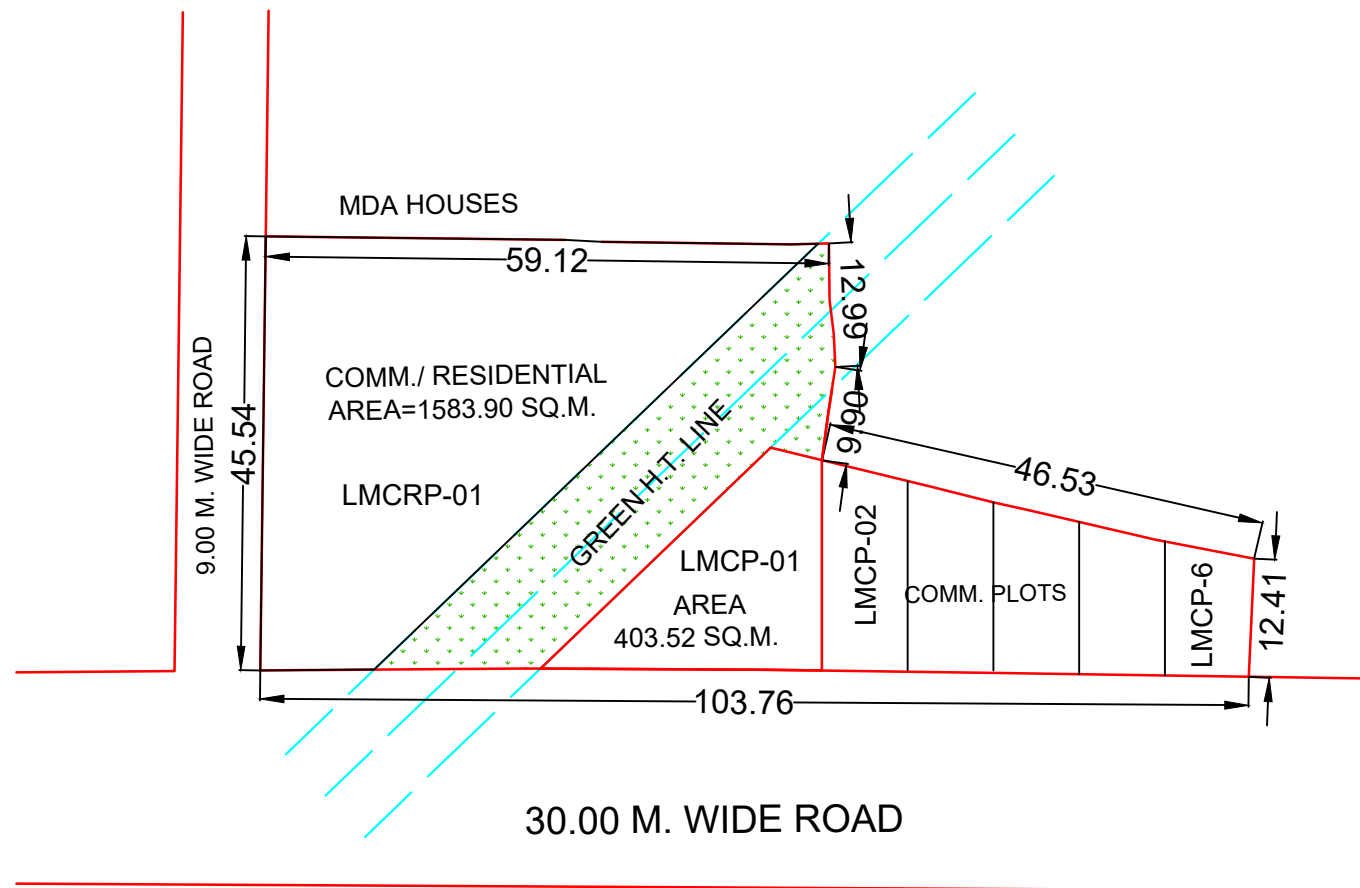
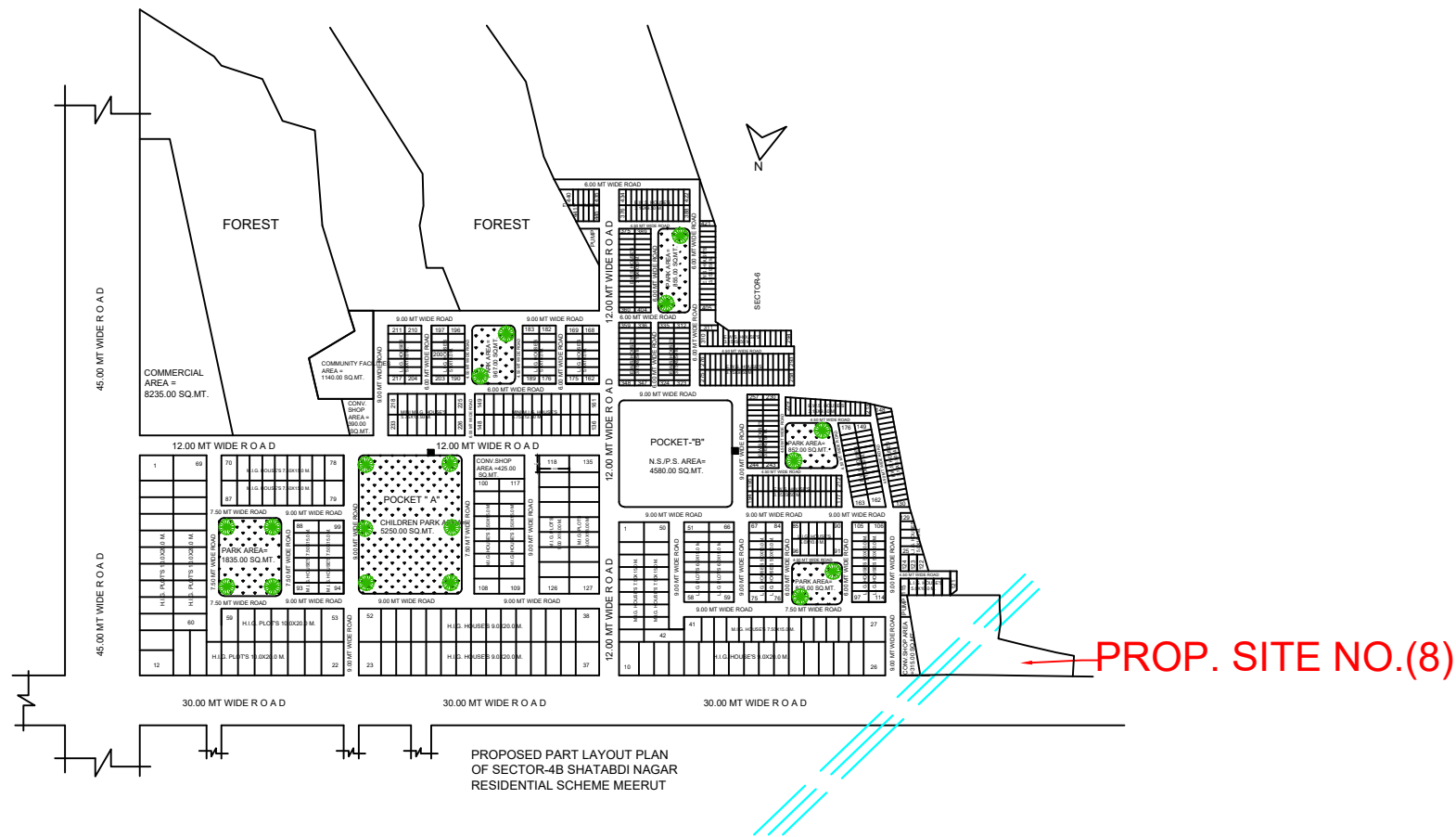
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER SURVEY BY DIV.	4516.95 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	4516.95 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	3930.95 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	586.00 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-26	26	75.00
2.	LMN.S./P.S.-01	01	1974.00

ABHISHEK VERMA 25-07-2024 SUR./D.MAN	DATE :- 01/05/2024	NORTH :- 
	SCALE :-	
MANOJ TIWARI 25-07-2024 A.E.PLANNING	VIJAY KUMAR SINGH 25-07-2024 T.P./C.T.P.	
ANAND KUMAR SINGH 25-07-2024 SECRETARY	ABHISHEK PANDEY 25-07-2024 V.C.	



MEERUT DEVELOPMENT AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION PHASE-2 COMM.&RESI. PLOTS
AT SHATABDI NAGAR SECTOR-4B POCKET-B IN
MEERUT.(EXIST.SITE PUMP & CONV.SHOPS)

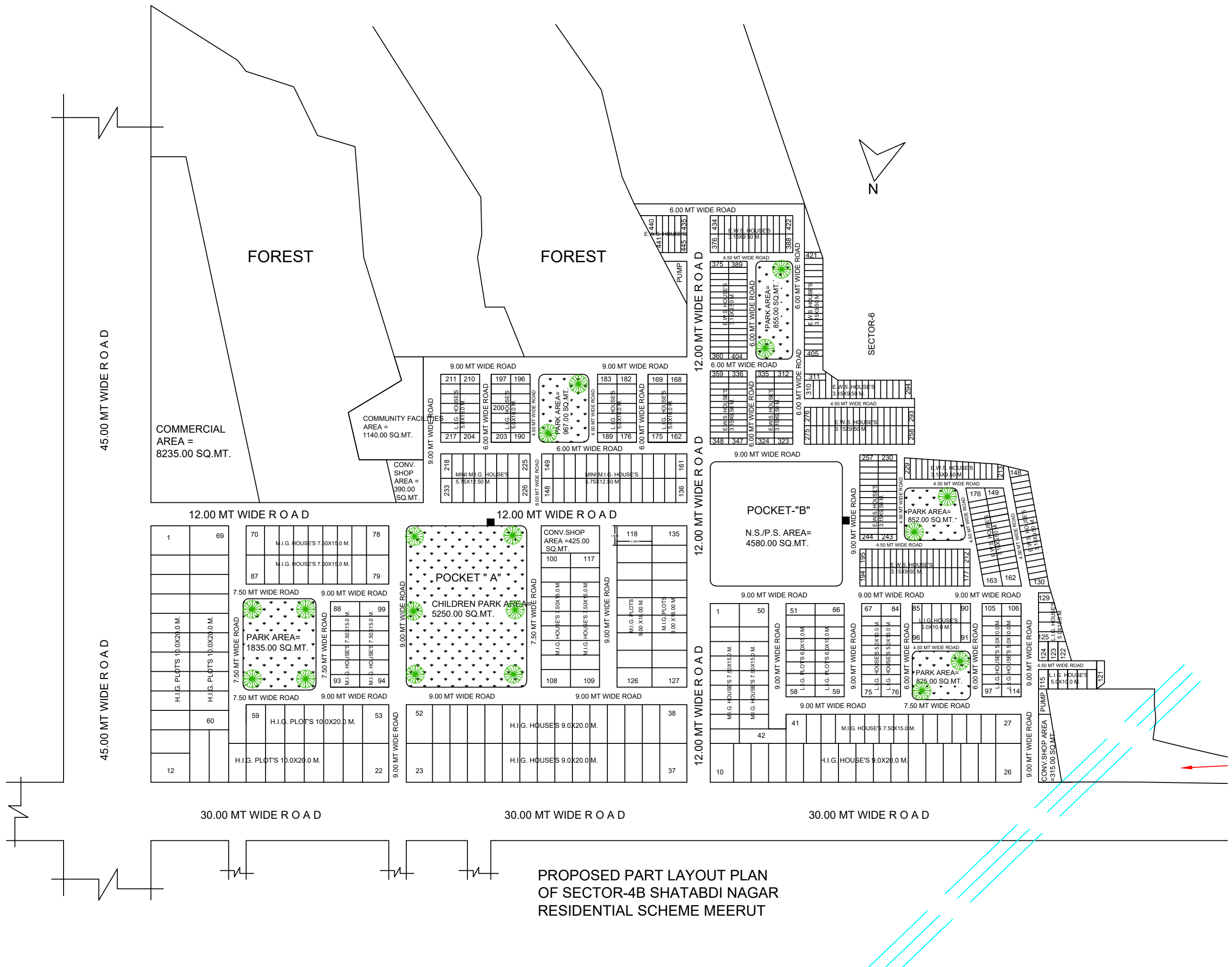
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	3429.57 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3429.57 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2756.57 SQ.M.
GREEN H.T. LINE	673.00 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMCRP-01	01	1583.90
2.	LMCP-01	01	403.52
3.	LMCP-02	01	189.24
4.	LMCP-03	01	170.57
5.	LMCP-04	01	152.53
6.	LMCP-05	01	135.04
7.	LMCP-06	01	120.39
TOTAL		07	

D.MAN /J.E.PLANNING	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	



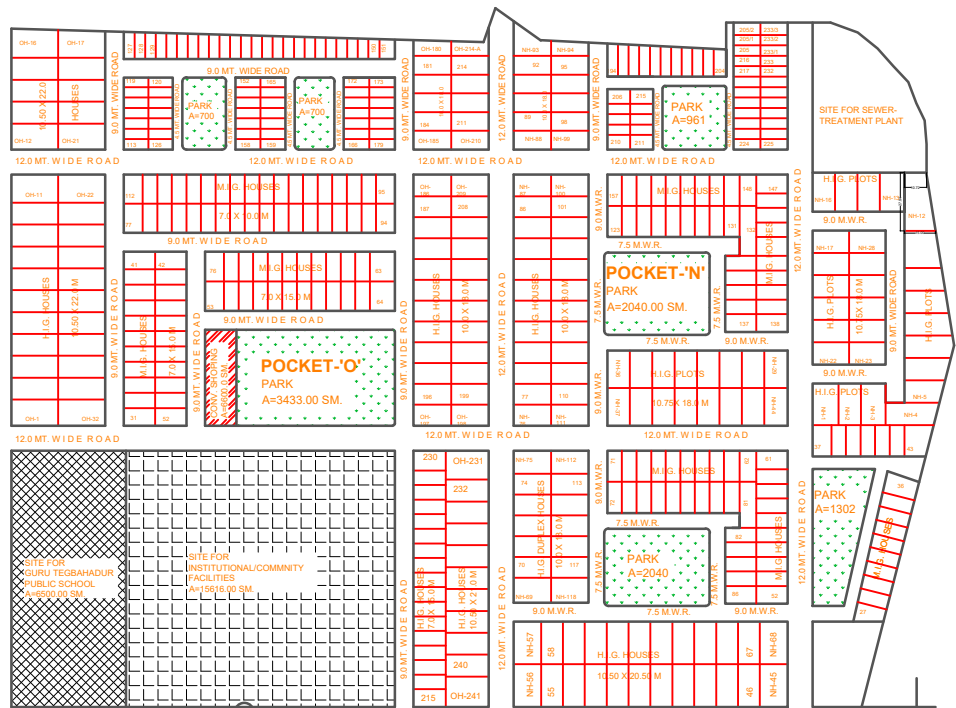
REVISED LAYOUT PLAN OF PULLAV
PURAM PHASE-II SHOWING
H.I.G./M.I.G. PLOTS



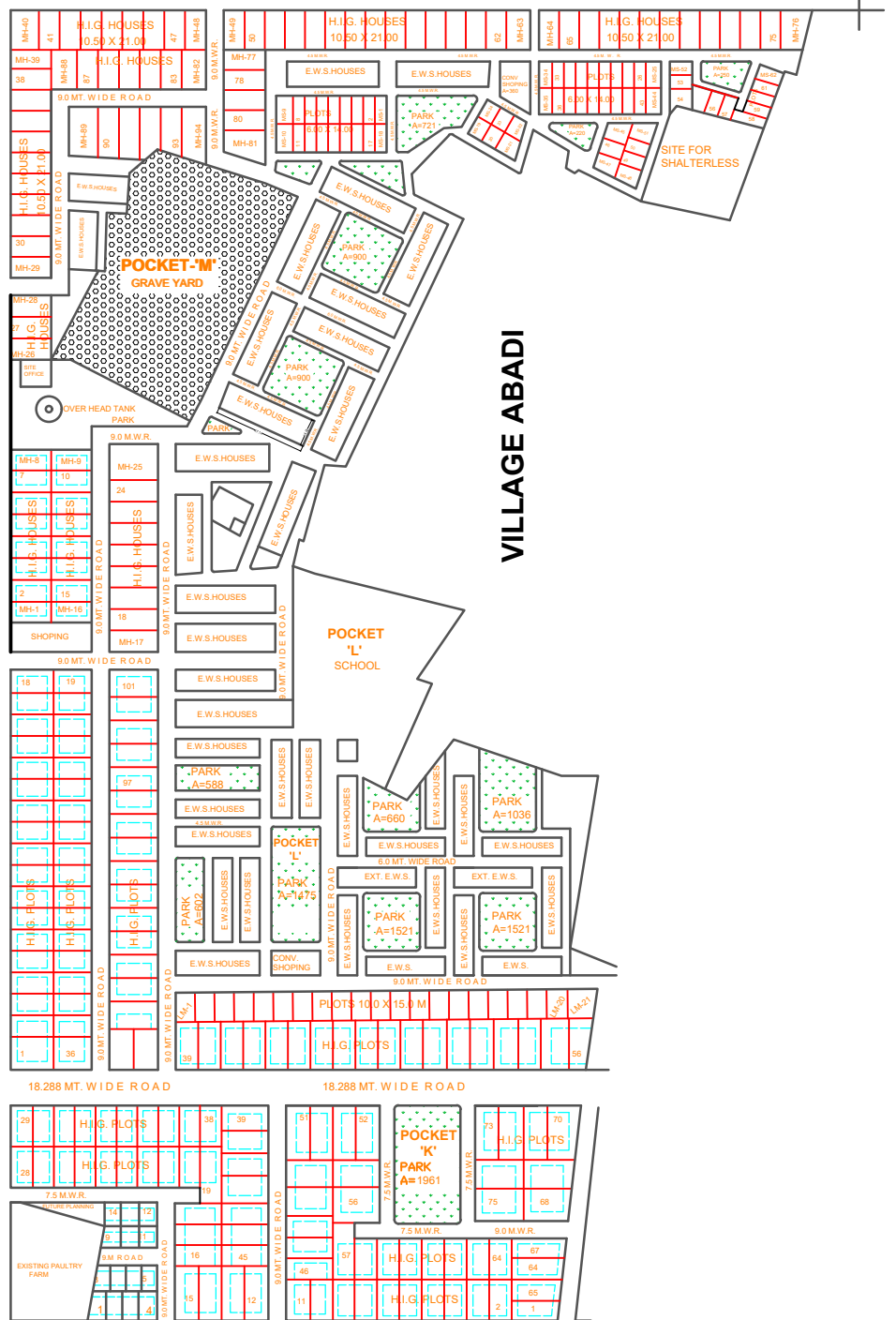
36.00 MT WIDE ROAD

36.00 MT WIDE ROAD

36.00 MT WIDE ROAD



36.00 MT WIDE ROAD



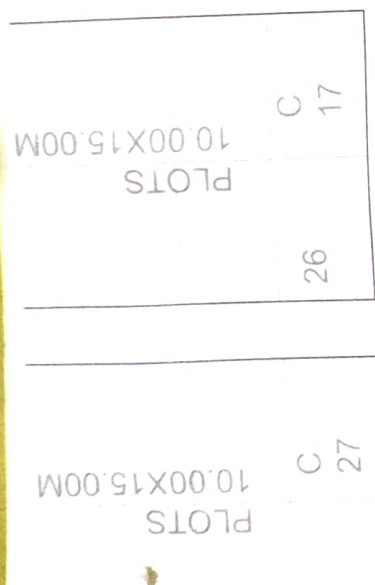
VILLAGE ABADI

TO ROORKEE

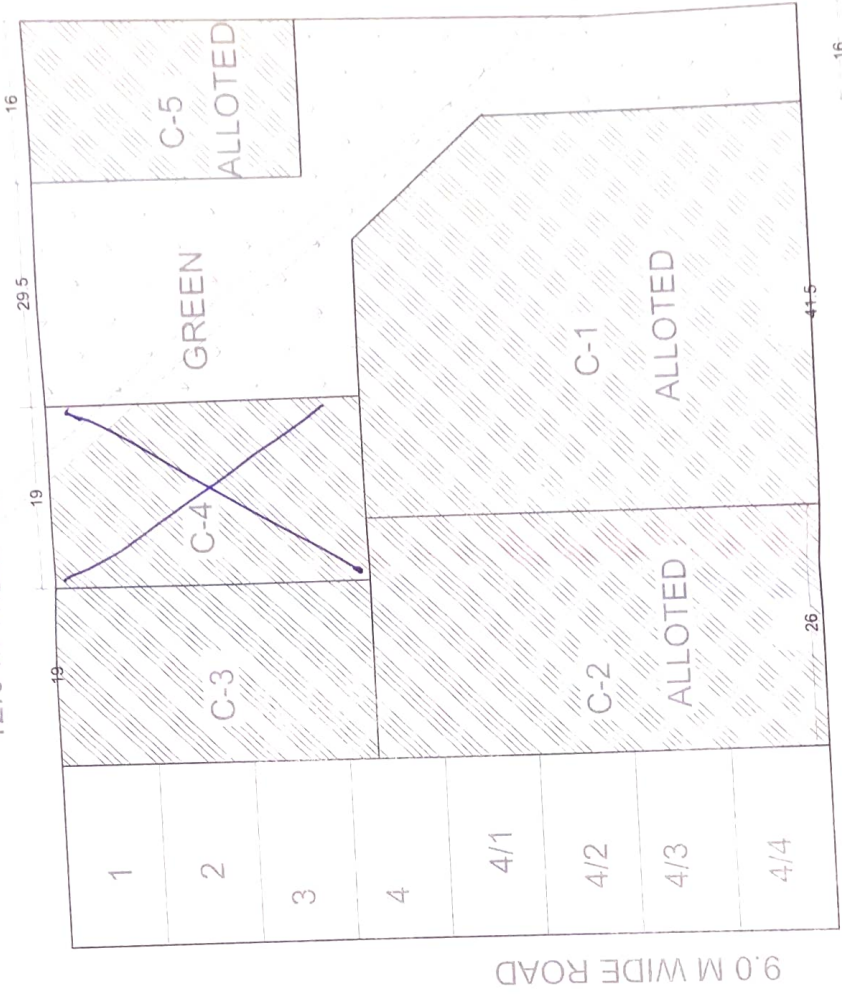
76.00 M.

ALLOTTED

18.0 M WIDE



12.0 M WIDE ROAD



9.0 M WIDE ROAD



30.0 M WIDE ROAD

DE ROAD

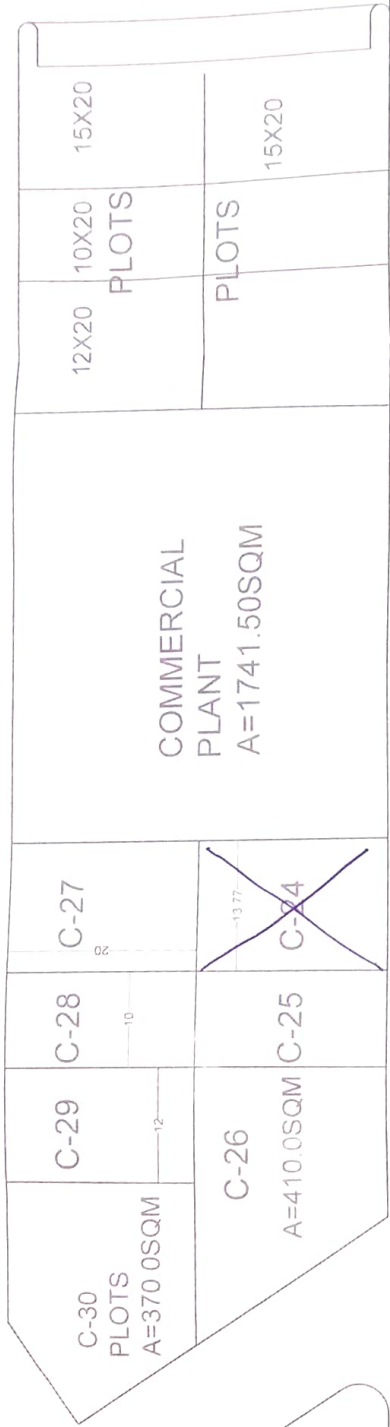
TS
0.050M

3.0 M

PARKING

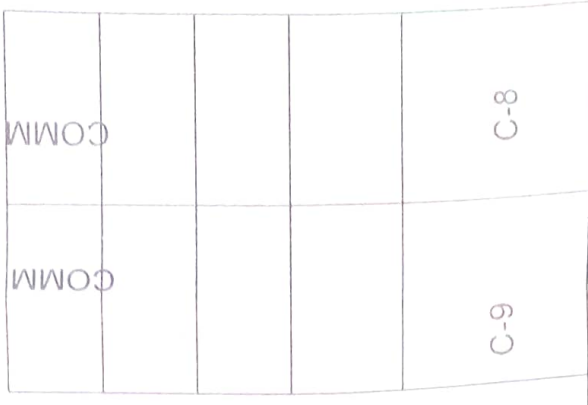
3.0 M

12.0 MT WIDE ROAD



12.0 MT WIDE ROAD

PARK



12.0 MT WIDE ROAD

9.0 MT WIDE ROAD

G

40/1

1:100

G.P.122/1	G.P.121/1
G.P.122	G.P.121

MT WIDE ROAD

संख्या

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

e-Auction विवरण पुस्तिका

आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों/भवन/फ्लैट
एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों
को

“जहाँ है, जैसा है,” के आधार पर

e-Auction पद्धति से

आवंटन हेतु नियम व शर्तें

e-Auction का दिनांक 25-08-2026 से 13-09-2026 तक का प्रोग्राम
प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url
<https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है।

विवरण पुस्तिका का 18 प्रतिशत GST सहित कुल मूल्य रुपये 590/- मात्र
(विवरण पुस्तिका मूल्य ₹ 500/- + 18 प्रतिशत GST ₹ 90/-)

मेरठ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में आवासीय भूखण्डों/भवनों/प्लैट्स एवं लघु उद्योग कम आवासीय भू-उपयोग के भूखण्डों को e-AUCTION पद्धति से आवंटन हेतु नियम व शर्तें—

1. आवासीय श्रेणी के भूखण्डों/भवनों/प्लैट्स का विवरण, स्थल का मैप, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण तथा e-Auction का प्रोग्राम प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in पर url [https:// mda.procure247.com/](https://mda.procure247.com/) लिंक पर उपलब्ध है।

2. **e-Auction में भाग लेने हेतु पात्रता—**

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(ख) आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिये।

(ग) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी/कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(घ) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म/सोसायटी/कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(ङ.) व्यक्तिगत स्वामी।

(च) रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।

(छ) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।

(ज) एच0यू0एफ0।

(झ) पंजीकृत कंसोर्टियम (Consortium) फर्म।

(ण) अन्य (यदि आवेदनकर्ता किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।)।

(त) आवेदकों को ई-ऑक्शन में संयुक्त नाम से प्रतिभाग करने हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु “यूजर टाईप” पर “जोईन्ट होल्डर” को चुनना होता है। किन्तु संयुक्त नाम से प्रतिभाग करने लिये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते समय प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसके पिता/पति के नाम सहित उल्लेख करते हुए प्रॉपर स्थान पर पंक्तिबद्ध विवरण देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक/आवेदकों द्वारा ऐसा किया जाने में कोई त्रुटि अथवा चूक की/हो जाती है और एकल नाम से ही प्रतिभाग कर लिया जाता है तो उसके ई-ऑक्शन में सफल होने के पश्चात् मेरठ विकास प्राधिकरण के समक्ष छूटा हुआ नाम सफल आवेदक के रूप में शामिल करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र आदि

देने का अधिकार न होगा और न ही ऐसे किसी प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

3. आवेदक को e-Auction में भाग लेने के लिये निम्नलिखित अभिलेख अपनी टेक्निकल बिड में अपलोड करने होंगे:-

- (1) भूखण्डों की स्वःहस्ताक्षरारित विवरण पुस्तिका।
 - (2) निर्धारित Document Fee व EMD के सफल (SUCCESSFULL) भुगतान की रसीदें।
 - (3) पैन कार्ड की प्रति।
 - (4) आधार कार्ड की सम्पूर्ण स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (5) कैंन्सिल चैक की प्रति।
 - (6) यदि आवेदनकर्ता कम्पनी, फर्म, समिति, ट्रस्ट आदि की ओर से भाग ले रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
 - (7) कम्पनी/फर्म आदि की स्थिति में GST के अन्तर्गत पंजीयन होने प्रमाण/साक्ष्य की स्वः प्रमाणित छाया प्रति।
4. प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर, आवासीय सम्पत्तियों का विवरण, पुस्तिका, e-Auction में शामिल सम्पत्तियाँ का विवरण एवं e-Auction का प्रोग्राम, url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर उपलब्ध है जिनके सापेक्ष नियत दिनांक को e-Auction Programme के अन्तर्गत आवेदकों की On Line Bids आमन्त्रित है।
5. e-Auction में भाग लेने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तत्पश्चात् e-Auction में भाग लेने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित Document Fee & EMD धनराशि का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते के Link पर Challan के माध्यम से जमा करानी होगी।
6. प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत e-Auction पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदकों/फर्म/कम्पनीज़ आदि को इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष e-Auction हेतु 18 प्रतिशत GST सहित विवरण पुस्तिका शुल्क (Documets Fee) रुपये 590/- मात्र ऑन लाईन गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका लिंक प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> पर उपलब्ध है, पर करना होगा तथा इसी प्रकार इच्छित सम्पत्ति के सापेक्ष निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-Auction हेतु निर्धारित खाते, जिसका लिंक प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> पर उपलब्ध है, पर करना होगा।

7. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा स्वयं के खाते से ही EMD की धनराशि प्रेषित की जाय तथा असफल होने के पश्चात् उसी खाते में धनराशि वापस प्राप्त होगी।
8. आवेदक/फर्म/कम्पनी द्वारा किसी अन्य के खाते से EMD की धनराशि प्रेषित करने की दशा में वापसी की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
9. यदि कोई आवेदक किसी एक सम्पत्ति के सापेक्ष सफल हो जाता है तथा उसकी EMD धनराशि अधिक जमा है तो वह आवेदक को वापस नहीं की जायेगी, बल्कि सफल सम्पत्ति के सापेक्ष आवेदक को जारी किये जाने वाले आवंटन-कम किश्त पत्र में समायोजित की जायेगी।
10. e-Auction के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें किसी भी दशा में कम/वापस नहीं किया/लिया जा सकेगा।
11. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (Document Fee) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नियत दिनांक को प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdameerut.in पर url <https://mda.procure247.com/> लिंक पर e-AUCTION में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इच्छित सम्पत्ति के निर्धारित धरोहर राशि (EMD) का भुगतान गेट-वे के माध्यम से अपने खाते से e-AUCTION हेतु निर्धारित खाते में जमा कर दी है, नियत दिनांक को केवल वें आवेदक ही e-AUCTION में भाग ले सकते हैं।
13. आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर अर्थात् निर्धारित समयावधि समाप्त होने से पूर्व टेण्डर फीस (डोकुमेन्ट फीस) व EMD की धनराशि प्रेषित करनी होगी। निर्धारित समयावधि के पश्चात् धनराशि प्राप्त होने पर या अन्य तकनीकी कारणों से विलम्ब होने पर यदि आवेदक E-Auction में प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. विवरण पुस्तिका में प्रकाशित रिक्त भूखण्डों की तालिका के अन्तिम कॉलम में प्रत्येक भूखण्ड के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम प्रति वर्ग मीटर बिड MINIMUM PER SQM BID for Auction का उल्लेख है तथा रिक्त भवनों/प्लैट्स की तालिका के अन्तिम कॉलम में भवनों/प्लैट्स के मूल्य के सापेक्ष प्रत्येक भवनों/प्लैट्स के सम्मुख आवेदकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम बिड MINIMUM BID for Auction उल्लिखित है, के सापेक्ष (MINIMUM BID) से कम अपनी बिड नहीं दें सकेंगे।

15. e-Auction की निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात् e-Auction समिति द्वारा आवेदकों द्वारा e-Auction में दी गयी दरों के प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदकों की प्राप्त दरों का आंकलन किया जायेगा। आवेदकों की उच्चतम् दर के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति पर विचार करते हुए उच्चतम् दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को होगा। उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवम् इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
16. e-Auction के माध्यम से प्राप्त दर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के निर्णय तक उच्चतम् दर देने वाले आवेदक/ e-Auction पद्धति से उच्चतम् दर देने वाले आवेदक की जमा धरोहर राशि (EMD), e-Auction हेतु निर्धारित खाते में जमा रहेगी। उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को छोड़कर शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि (EMD) उनके खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी।
17. आवेदकों के पक्ष में e-Auction पद्धति से अनावसीय सम्पत्ति आवंटित हो जाने के पश्चात्, सम्पत्ति का फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट सहित मूल्य” पचास लाख या उससे अधिक होने की स्थिति “भूखण्ड के फ्रीहोल्ड सहित मूल्य+देय ब्याज+देय दण्ड ब्याज सहित कुल देय धनराशि” पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 194IA के अन्तर्गत देय 01 (एक) प्रतिशत टी0डी0एस0 की धनराशि सब्याज देय किश्त/देय धनराशि में से कटौती करके आवेदकों द्वारा अपने पेन कार्ड के माध्यम से स्वयं अपने खाते से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पेन नं0 AAALM0124D पर निर्धारित/नियत तिथियों तक भुगतान करते हुए आयकर की साईट से डाउनलोड किये Challan एवं Form 141(Challan-cum-statement of deduction of tax under section 393(1)) की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् ही टी0डी0एस0 के मद जमा की गयी धनराशि, आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष दर्ज करायी जा सकेगी। इसी प्रकार टी0डी0एस0 के पश्चात् शेष देय धनराशि का भुगतान आवंटियों के द्वारा स्वयं के खाते से प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक अथवा गढ़ रोड़, सूर्याश प्लाजा स्थित एच0डी0एफ0सी0 बैंक में जमा करना होगा।
18. सम्पत्ति के आवंटन-कम-किश्त में उल्लिखित आवंटन धनराशि व सब्याज निर्धारित देय किश्तें तथा अन्य देय धनराशि जो एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सूर्यान्श प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ (Details For RTGS Account No. 50100056171918, IFSC CODE : HDFC0001911) अथवा मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर स्थित इण्डियन बैंक (Details For RTGS Account No. 21066035769, IFSC CODE : IDIB000M679) में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट जो मेरठ में देय हो, के द्वारा जमा करते हुए, जमा रसीद की छाया प्रति सम्बन्धित सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।
19. e-AUCTION के पश्चात् भूखण्ड/भवन/फ्लैट का आवंटन कम किश्त पत्र जारी होने के बाद स्थलीय माप अनुसार भूखण्ड/भवन/फ्लैट का साईट प्लान प्राप्त होने पर यदि सम्पत्ति कॉर्नर पर स्थित होनी पायी जाती है तो भूखण्ड का मूल्य का 10 प्रतिशत कॉर्नर चार्ज पृथक से देय होगा। यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल में वृद्धि पायी जाती है तो नियमानुसार भूमि का अतिरिक्त मूल्य देय होगा तथा सम्पत्ति के मूल्य में कॉर्नर चार्ज शामिल करके 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड देय होगा।
20. सम्पत्तियों के मूल्य का पूर्ण भुगतान किये जाने पर छूट-

सम्पत्ति के आवंटन कम किश्त पत्र निर्गत होने के पश्चात् EMD धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि के पूर्ण भुगतान किये जाने की स्थिति में निम्नवत् छूट अनुमन्य होगी:-

- (1) 45 दिन में जमा करने पर 06 प्रतिशत की छूट
- (2) 60 दिन में जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट
- (3) 90 दिन में जमा करने पर 04 प्रतिशत की छूट

कॉस्टिंग गार्डर्ड लाईन्स-2025 के द्वारा अनुमन्य की गयी उपरोक्तानुसार छूट, सम्पत्ति के बेसिक मूल्य पर अनुमन्य होगी। फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट की धनराशि पर छूट अनुमन्य नहीं होगी।

यदि उपरोक्तानुसार नियत अवधि के अन्दर भूखण्ड का सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक को कोई छूट देय नहीं होगी बल्कि आवंटी को नियमानुसार निर्धारित किश्तों का भुगतान करना होगा।

21. आवंटित सम्पत्ति की किश्तों में शामिल ब्याज दर एवं दण्ड ब्याज दर का विवरण-

(1) आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष फ्रीहोल्ड/लीजरेन्ट सहित देय आवंटन धनराशि का उल्लेख करते हुए किश्त पत्र के जारी होने की दिनांक से 90 दिन में सकल मूल्य की शुद्ध 25% धनराशि [धरोहर राशि (EMD) का समायोजन करते हुए] प्राधिकरण कोष में और जमा करनी होगी तथा आवासीय सम्पत्ति की बकाया 75% धनराशि 3 वर्ष की 6 समान छमाई किश्तों में 9.70% वार्षिक दर से ब्याज सहित देय होगी। पहली छमाई किश्त, आवंटन धनराशि के देय दिनांक से छः माह में देय होगी। तदनुसार ही शेष अगली 5 छमाई किश्तें 6-6 माह के अन्तराल पर भी देय होगी। आवंटन धनराशि एवं देय किश्तों का विवरण किश्त पत्र में उल्लिखित कर निर्गत किया जायेगा। देय धनराशि/देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 11.70% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज (आगणित प्रत्येक छमाही) अतिरिक्त देय होगा।

(2) फ्रीहोल्ड सम्पत्तियों का आवंटन कम किश्त पत्र शासन द्वारा जारी शासनादेश सं० 72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014 दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के अधीन सम्पत्ति की कीमत में फ्रीहोल्ड की धनराशि व लोकेशन चार्ज (कॉर्नर पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 5% पार्क फेसिंग सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 5% तथा 18 मीटर चौड़े रोड व 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों के शामिल भूमि मूल्य पर 5% तथा तीनों लोकेशन पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य पर 15% की बजाय 12% लोकेशन चार्ज देय होगा।) शामिल करते हुए जारी किया जायेगा तथा लीजहोल्ड सम्पत्तियों आवंटन कम किश्त पत्र लीजरेन्ट व लोकेशन चार्ज शामिल करके निर्गत किया जायेगा।

(3) यदि सम्पत्ति का साईट प्लान जारी होने के पश्चात् सम्पत्ति का क्षेत्रफल घटता या बढ़ता है तो तदनुसार कीमत देय होगी।

22. सम्पत्ति का आवंटन-कम-किश्त पत्र निर्गत होने के साथ-साथ आवेदक को प्रोपर्टी कोड/आईडी प्राप्त करायी जायेगी, जो विशिष्ट कोड होगा। आवेदक द्वारा आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष कोई भी धनराशि अथवा किश्त जमा करते समय रसीद पर प्रोपर्टी कोड का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

23. सम्पत्ति का पंजीयन एवं कब्जा हस्तान्तरण—

(1) आवंटित सम्पत्ति का कब्जा आवंटियों को शत प्रतिशत धनराशि, भूखण्डों/भवनों/प्लैट्स मूल्य में लोकेशन चार्ज को शामिल करते हुए भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड/10% लीजरेन्ट की धनराशि, यथा लागू लोकेशन चार्ज, प्रचलित पानी सीवर चार्ज, रोड़ कटिंग व दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख पंजीयन कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

(2) आवासीय सम्पत्तियों के सापेक्ष आवंटी द्वारा समस्त कीमत, देय ब्याज, दण्ड ब्याज यथा लागू लोकेशन चार्ज, पानी सीवर चार्ज, रोड़ कटिंग व दस्तावेज शुल्क आदि का भुगतान करने के पश्चात् 06 माह की अवधि के अन्दर मेरठ विकास प्राधिकरण से आवंटी के द्वारा अपने पक्ष में सम्पत्ति का विक्रय विलेख/पट्टा विलेख का पंजीयन सम्बन्धित उप निबन्धक कार्यालय कराना होगा। आवंटियों के पक्ष में पंजीयन किये जाने वाले सम्पत्ति के विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में देय स्टाम्प ड्यूटी की गणना सम्पत्तियों के निबन्धन के समय लागू अद्यतन आदेशानुसार उप निबन्धक कार्यालय द्वारा की जायेगी। तदनुसार विलेख के पंजीयन हेतु लिखाई-पढ़ायी, देय स्टाम्प ड्यूटी एवं देय फीस आदि आवंटी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।

(3) पूर्ण धनराशि जमा होने के 6 माह के पश्चात् भूखण्ड की रजिस्ट्री कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा रुपये 1,000/- प्रति माह की दर से अर्धदण्ड वसूल किया जायेगा।

24. सम्पत्ति में निहित अतिरिक्त भूमि के सापेक्ष देयता का निर्धारण—

आवंटित आवासीय सम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, ई-ऑक्शन के समय प्रकाशित तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी। सम्पत्ति का साईट प्लान जारी होने पर यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, ई-ऑक्शन के समय प्रकाशित तालिका में उल्लिखित सम्पत्ति के स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल के सापेक्ष 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की वृद्धि पायी जाती है तो स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल (विज्ञापित क्षेत्रफल) का 10 प्रतिशत भूमि का मूल्य, पूर्व दर अर्थात् नीलामी में प्राप्त दर से तथा शेष भूमि का मूल्य वर्तमान दर (साईट प्लान निर्गत दिनांक को लागू) व नीलामी दर जो भी अधिक हो, से देय होगा।

25. आवंटित सम्पत्ति का निरस्तीकरण एवं पुनर्जीवन—

(1) यदि आवंटित सम्पत्ति साईट प्लान निर्गत होने पर कार्नर की अथवा अन्य लोकेशन पर पायी जाती है तो कॉर्नर चार्ज व अन्य लोकेशन चार्ज (कॉर्नर पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 5% पार्क फेसिंग सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 5% तथा 18 मीटर चौड़े रोड़ व 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों के शामिल भूमि मूल्य पर 5% तथा तीनों लोकेशन पर स्थित

सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य पर 15% की बजाय 12% लोकेशन चार्ज देय होगा।) सहित कुल मूल्य पर देय 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना की जायेगी। इसी प्रकार लीजहोल्ड सम्पत्ति पर लोकेशन सहित भूमि मूल्य पर 10% लीजरेन्ट की गणना की जायेगी।

(2) पूर्ण भुगतान पर आवंटित आवासीय सम्पत्तियों के देय धनराशि का भुगतान आवंटन पत्र में निर्दिष्ट तिथियों के पश्चात् 03 माह तक न किये जाने (डिफाल्ट) पर उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त कर दें। तीन माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त अगले तीन माह तक धनराशि जमा न करने के पश्चात् आवंटित सम्पत्ति का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(3) किश्तों पर आवंटित आवासीय सम्पत्तियों में लगातार तीन किश्तों के डिफाल्ट होने पर उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त कर दें लगातार 06 किश्तों के डिफाल्ट होने पर आवंटित सम्पत्ति का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(4) पुनर्जीवन उसी आवासीय सम्पत्ति का किया जायेगा जिस पर आवंटी द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि जमा की गयी हो। पुनर्जीवन वर्तमान मूल्य का 1 (एक) प्रतिशत लेकर किया जा सकेगा। अवशेष धनराशि पुराने मूल्य पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज लेकर अथवा वर्तमान दर पर, दोनों में जो भी अधिक हो, से किया जायेगा। पुनर्जीवन उसी सम्पत्ति का किया जायेगा, जो सम्पत्ति आवंटित थी। सम्पत्ति के बहाली/पुनर्जीवन की प्रक्रिया ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 श्रेणी को छोड़कर शेष समस्त आवासीय श्रेणी की सम्पत्तियों पर लागू रहेगी। निरस्तशुदा सम्पत्ति का आवंटी बहाली/पुनर्जीवन के समय अवशेष बकायें धनराशि का पूर्व भुगतान 03 माह के अन्दर जमा करने का शपथ पत्र देने की स्थिति में ही पुनर्जीवन किया जा सकेगा। यदि आवंटित सम्पत्ति रिक्त नहीं है तो पुनर्जीवन नहीं किया जायेगा। पुनर्जीवन निरस्तीकरण की तिथि के पश्चात् 06 माह के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

26. आवंटित सम्पत्ति का नॉन पेमेन्ट में निरस्तीकरण अथवा आवंटी द्वारा स्वयं रिफण्ड माँगे जाने पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण—

(1) e-Auction का स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त प्रत्येक दशा में 90 दिन की अवधि में आवंटन धनराशि के मद में जमा होने वाली धनराशि, जमा न होने की दशा में सम्पत्ति का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

(2) आवंटन धनराशि जमा करने के पश्चात् लगातार 3 किश्तों अथवा किन्हीं 03 किश्तों का समय से भुगतान न किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कर प्राधिकरण में जमा emd धनराशि पूर्ण रूप से जब्त करते हुए शेष जमा धनराशि में से 25 प्रतिशत कटौती करके शेष बची हुई धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी तथा भूमि/भूखण्ड से बेदखल कर प्राधिकरण द्वारा आवंटित

भूमि/भूखण्ड पर कब्जा (Resume) प्राप्त किया जायेगा। आवंटी द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

(3) यदि ई-ऑक्शन में प्राधिकरण द्वारा सफल घोषित हो जाने के पश्चात् अथवा सम्पत्ति का आवंटन ई-मेल द्वारा जारी हो जाने के पश्चात् आवेदक को रिफण्ड प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उपरोक्तानुसार उप बिन्दु (1) व (2) के अनुसार सम्पत्ति का आवंटन का निरस्तीकरण करते हुए रिफण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

27. कर आदि की देयता:-

आवासीय सम्पत्ति धारकों द्वारा समस्त करों का भुगतान किया जायेगा एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करना होगा।

28. परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा (Resume) प्राप्त किया जायेगा।

29. आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवम् साझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।

30. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहाँ है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।

31. अन्य शर्तें-

(1) यदि आवंटित सम्पत्ति साईट प्लान निर्गत होने पर कॉर्नर की अथवा अन्य लोकेशन पर पायी जाती है तो कॉर्नर चार्ज व अन्य लोकेशन चार्ज (कॉर्नर पर स्थित सम्पत्तियों के सापेक्ष ई-ऑक्शन में प्राप्त दर से भूमि मूल्य का 5% पार्क फेसिंग सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य का 5% तथा 18 मीटर चौड़े रोड व 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित सम्पत्तियों के शामिल भूमि मूल्य पर 5% तथा तीनों लोकेशन पर स्थित सम्पत्तियों में शामिल भूमि मूल्य पर 15% की बजाय 12% लोकेशन चार्ज देय होगा।) सहित कुल मूल्य पर देय 12% फ्रीहोल्ड की धनराशि की गणना की जायेगी। इसी प्रकार लीजहोल्ड सम्पत्ति पर लोकेशन चार्ज सहित भूमि मूल्य पर 10% लीजरेन्ट की गणना की जायेगी। तदनुसार देय धनराशि हितबद्ध आवंटी से जमा करायी जायेगी।

(2) e-Auction की प्रक्रिया में प्रथम बार शामिल सभी सम्पत्तियों की e-Auction में कम से कम 03 बिडर का होना अनिवार्य है तथा प्रथम बिड के पश्चात् शासन की गार्ड लाईन्स 2001 के अनुसार कम से कम 02 बिडर का होना अनिवार्य है।

(3) e-Auction में उच्चतम् दरदाता (Highest bidder) को विक्रय विलेख/पट्टा विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में शासन द्वारा जारी/निर्धारित शर्तों/नियमों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

- (4) आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड, अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।
- (5) प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह उच्चतम दरदाता (Highest bidder) द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम दरदाता (Highest bidder) से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
- (6) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये e-AUCTION पद्धति से नीलाम की जा रही सम्पत्ति को e-AUCTION से हटाने/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (7) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।
- (8) यदि किन्हीं कारणवश ई-ऑक्शन से सम्पत्ति आवंटन के पश्चात आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है तो सम्पत्ति के सापेक्ष सम्पूर्ण जमा धनराशि नियमानुसार, MCLR दर पर साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी। ई-ऑक्शन से आवंटित सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का समायोजन/विकल्प/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- (9) परिसम्पत्ति जिन प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा (RESUME) पुनः प्राप्त कर लेगा।
- (10) आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी। विक्रीत भूखण्ड पर भवन निर्माण, मेरठ महायोजना तथा "प्रभावी भवन मानचित्र उपविधि" के प्राविधानों एवं शासनादेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही अनुमत्य होगा तथा भूखण्डों का सैटबैक्स, ग्राउण्ड कवरेज, एफ.ए.आर. बिल्डिंग की हाईट, बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार रहेगी।
- (11) आवंटित सम्पत्तियों पर विक्रय विलेख/भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर के बावत् विक्रय विलेख/फ्रीहोल्ड किश्त क्रय कब्जा अनुबन्ध/किराया किश्त क्रय कब्जा अनुबन्ध निष्पादित किये जाने के पूर्व यदि सम्पत्ति के क्षेत्रफल में कोई कमी/वृद्धि होती है तो आवंटी को तदानुसार वृद्धि की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि की अदायगी करनी होगी।

(12) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जिसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

e-AUCTION में भाग लेने वाले व्यक्ति की ओर से घोषणा—

मैं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है जो मुझे मान्य है।

(फोटोग्राफ)	 आवेदक/कम्पनी/फर्म/ट्रस्ट आदि का विवरण व अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवम् पूरा नाम व पता:— नाम
(फोटोग्राफ)	पिता/पति का नाम..... मो०नं० व Email id : पता

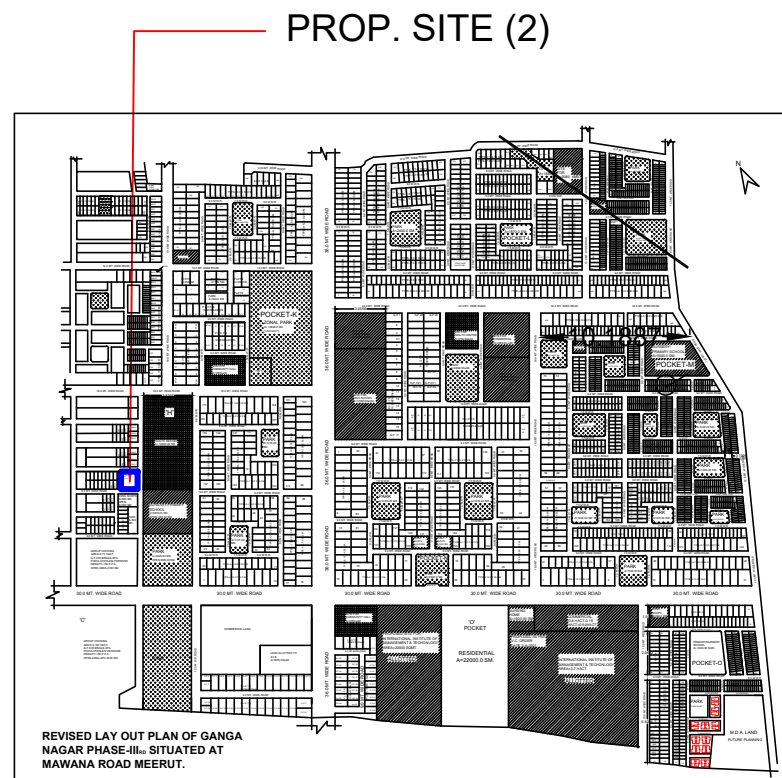
FOR RESIDENTIAL PROPERTIES	SCHEDULE DATE
EMD PAYMENT START DATE	25-08-2026 10.00 AM
EMD PAYMENT END DATE	09-09-2026 12.00 PM
AUCTION START DATE	13-09-2026 10.00 AM
AUCTION END DATE	13-09-20026 17.00PM
	(Unlimited Auto extension of 5(five) minutes interval will be available if required)

DETAILS OF RESIDENTIAL PROPERTIES

SI. No.	SECTOR & POCKET	PROPERTY NO.	AREA IN SQM.	DETAILS OF PROPERTY	RESERVE RATE PER SQM	RESERVE COST OF PROPERTY	EMD	MINIMUM RATE OF BIDS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PANDAV NAGAR SCHEME								
1	G	E-1	104.71	MIG-1	33000	3455430	345543	330
PALLAV PURAM SCHEME								
2	O	OH-236	220.5	HIG HOUSE	30000	8135000	813500	81350
GANGA NAGAR								
3	H	LMP-38	86.4	MIG-1	22000	1900800	190080	220
4	H	LMP-39	86.4	MIG-1	22000	1900800	190080	220
5	H	LMP-40	86.4	MIG-1	22000	1900800	190080	220
6	H	LMP-41	90.8	MIG-1	23625	2145150	214515	236
7	H	LMP-42	90.8	MIG-1	23625	2145150	214515	236
8	H	LMP-43	86.4	MIG-1	22000	1900800	190080	220
9	H	LMP-44	86.4	MIG-1	22000	1900800	190080	220
10	H	LMP-45	86.4	MIG-1	22000	1900800	190080	220
11	I	LMP-01	150	HIG-1	23625	3543750	354375	236
12	I	LMP-02	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
13	I	LMP-03	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
14	I	LMP-04	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
15	I	LMP-05	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
16	I	LMP-06	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
17	I	LMP-07	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
18	I	LMP-08	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
19	I	LMP-09	150	HIG-1	23625	3543750	354375	236
20	I	LMP-10	150	HIG-1	23625	3543750	354375	236
21	I	LMP-11	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
22	I	LMP-12	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225

23	I	LMP-13	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
24	I	LMP-14	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
25	I	LMP-15	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
26	I	LMP-16	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
27	I	LMP-17	150	HIG-1	22500	3375000	337500	225
28	I	LMP-18	150	HIG-1	23625	3543750	354375	236
29	U	U-128	200	HIG-2	22500	4500000	450000	225
30	X	X-101	97.3	MIG-1	23625	2298713	229871	236
DEFENCE ENCLAVE HOUSING SCHEME								
31	C	C-319/1	142	MIG-2	30450	4323900	432390	305
32	C	C-319/2	142	MIG-2	30450	4323900	432390	305
33	C	C-319/3	142	MIG-2	30450	4323900	432390	305
SHATABDI NAGAR HOUSING SCHEME								
34	SEC-4C-A	LMP-156	125.94	MIG-2	28875	3636518	363652	289
35	SEC-4C-A	LMP-157	87.6	MIG-1	30250	2649900	264990	303
36	SEC-4C-A	LMP-158	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
37	SEC-4C-A	LMP-159	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
38	SEC-4C-A	LMP-160	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
39	SEC-4C-A	LMP-161	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
40	SEC-4C-A	LMP-162	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
41	SEC-4C-A	LMP-163	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
42	SEC-4C-A	LMP-164	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
43	SEC-4C-A	LMP-165	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
44	SEC-4C-A	LMP-166	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
45	SEC-4C-A	LMP-167	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
46	SEC-4C-A	LMP-168	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
47	SEC-4C-A	LMP-169	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
48	SEC-4C-A	LMP-170	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
49	SEC-4C-A	LMP-171	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
50	SEC-4C-A	LMP-172	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
51	SEC-4C-A	LMP-173	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
52	SEC-4C-A	LMP-174	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
53	SEC-4C-A	LMP-175	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
54	SEC-4C-A	LMP-176	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
55	SEC-4C-A	LMP-177	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
56	SEC-4C-A	LMP-178	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
57	SEC-4C-A	LMP-179	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
58	SEC-4C-A	LMP-180	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
59	SEC-4C-A	LMP-181	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
60	SEC-4C-A	LMP-182	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
61	SEC-4C-A	LMP-183	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275

62	SEC-4C-A	LMP-184	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
63	SEC-4C-A	LMP-185	87.6	MIG-1	27500	2409000	240900	275
64	SEC-4C-A	LMP-186	140.5 9	MIG-2	30250	4252848	425285	303
LOHIA NAGAR HOUSING SCHEME								
65	F	LMP-01	106.7	MIG-2	27500	2934250	293425	275
66	F	LMP-02	112	MIG-2	27500	3080000	308000	275
67	F	LMP-03	112	MIG-2	27500	3080000	308000	275



MDA PLOTS

7.50 M. WIDE ROAD

MDA PLOTS	LMP-45	LMP-38
	6.40	PLOTS
	X13.50	LMP-41
	LMP-42	

9.00 M. WIDE ROAD

MDA PLOTS

7.50 M. WIDE ROAD

CONV.SHOPS

MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESI. PLOTS AT GANGA NAGAR
PHASE-III POCKET-H IN MEERUT.(EXIST.SITE POST
OFFICE)

AREA STATEMENT :-

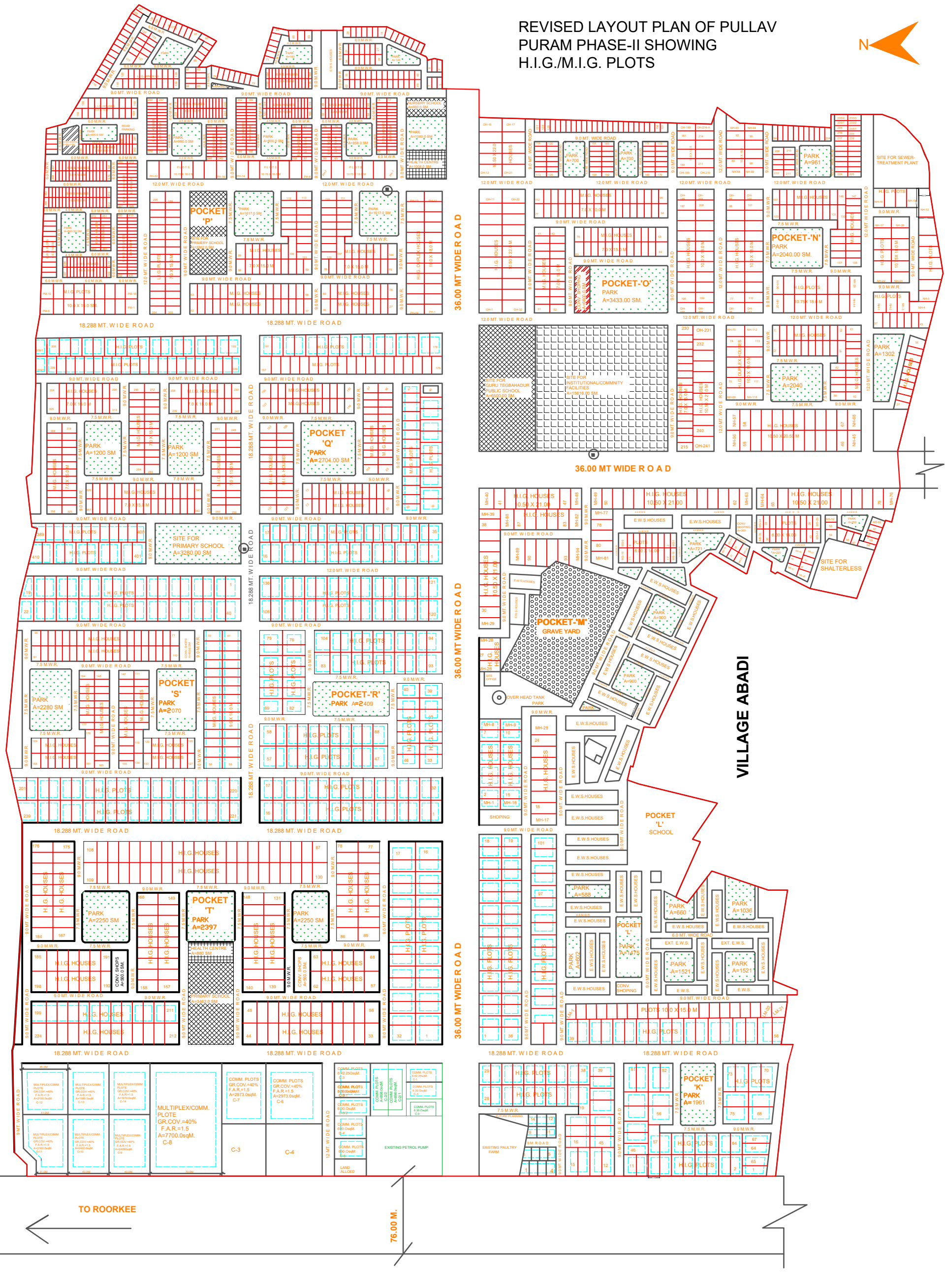
TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	700.00 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	700.00 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	700.00 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

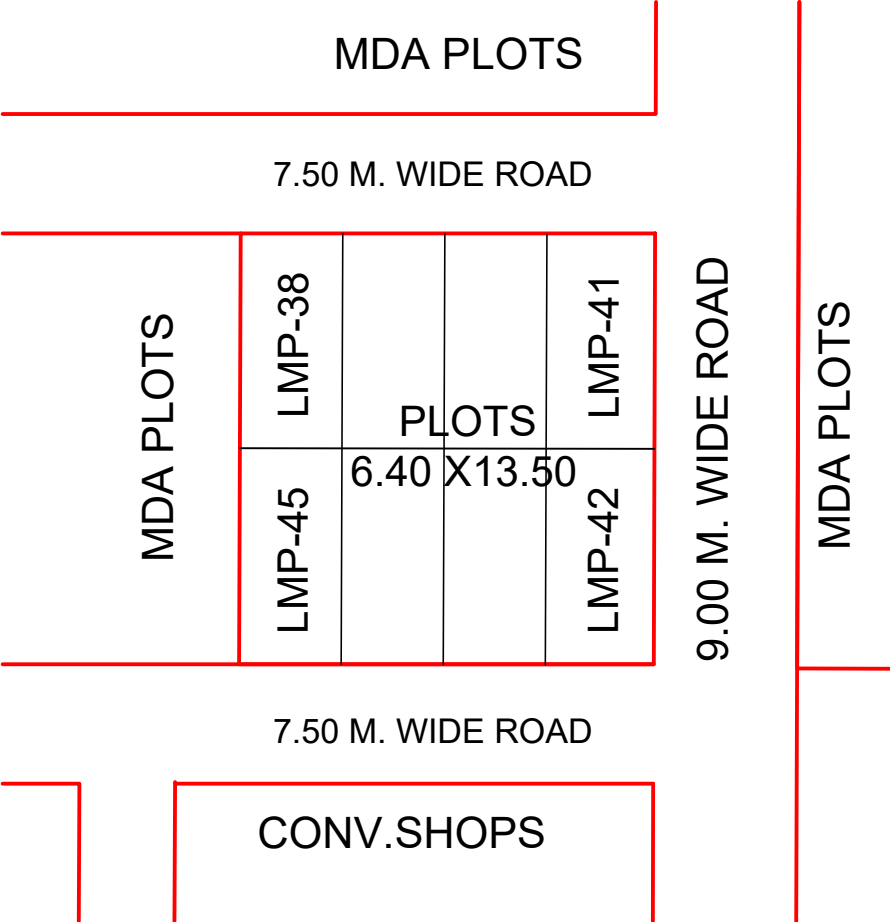
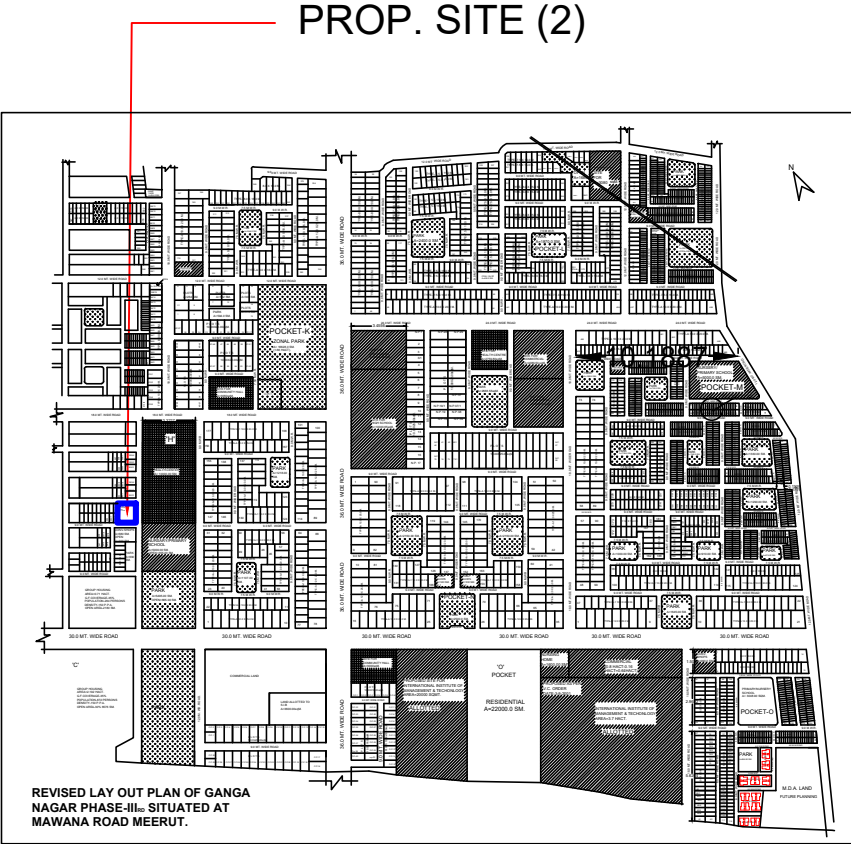
DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-(38 TO 40, 43 TO 45)	06	86.40
2.	LMP-41 & LMP-42	02	90.80
TOTAL PLOTS		08	

D.MAN /J.E.PLANNING	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	

REVISED LAYOUT PLAN OF PULLAV
PURAM PHASE-II SHOWING
H.I.G./M.I.G. PLOTS





MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESI. PLOTS AT GANGA NAGAR
PHASE-III POCKET-H IN MEERUT.(EXIST.SITE POST
OFFICE)

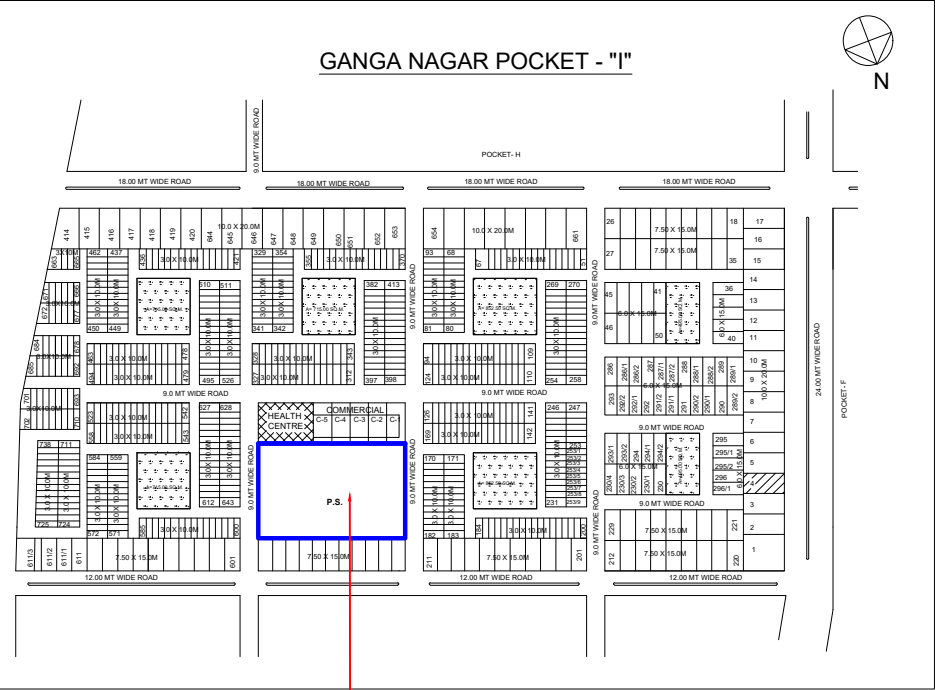
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	700.00 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	700.00 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	700.00 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	NIL

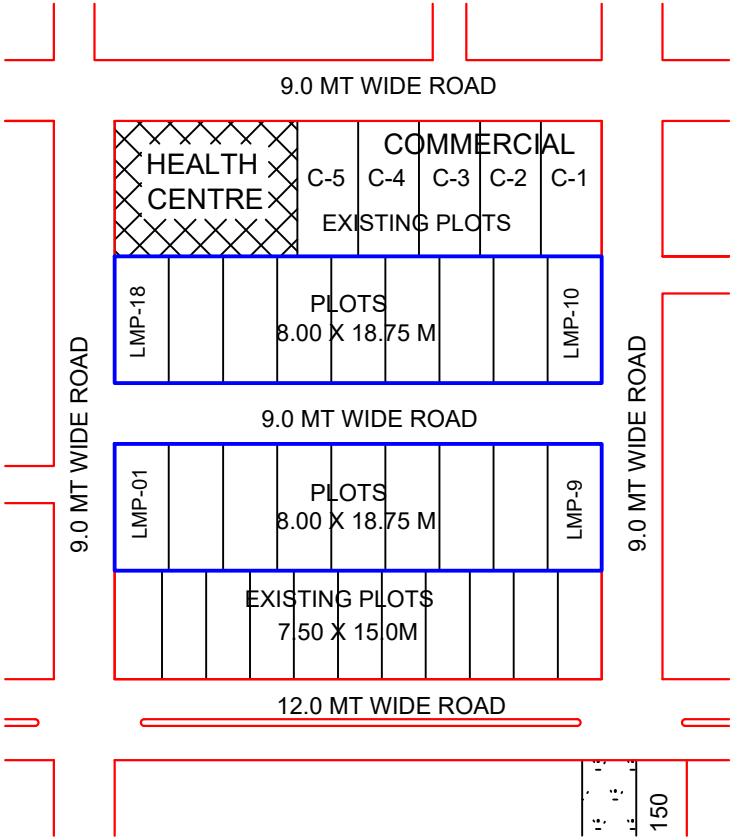
DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-38 TO LMP-45	08	86.40

D.MAN /J.E.PLANNING	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	



PROP. SITE NO.(1)



MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESI. PLOT AT GANGA NAGAR
PHASE-II POCKET-I IN MEERUT.(EXIST.SITE
PRIMARY SCHOOL)

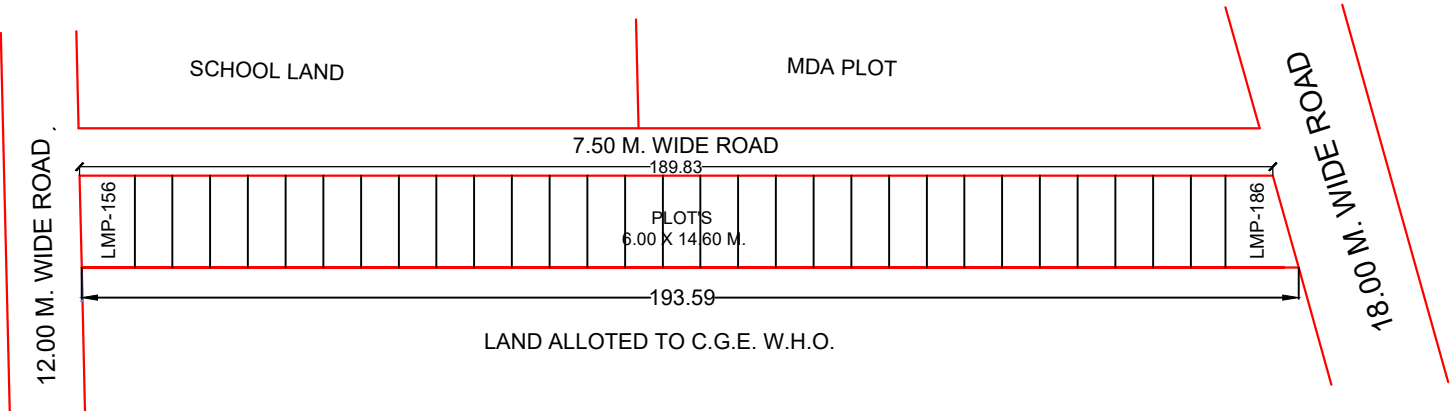
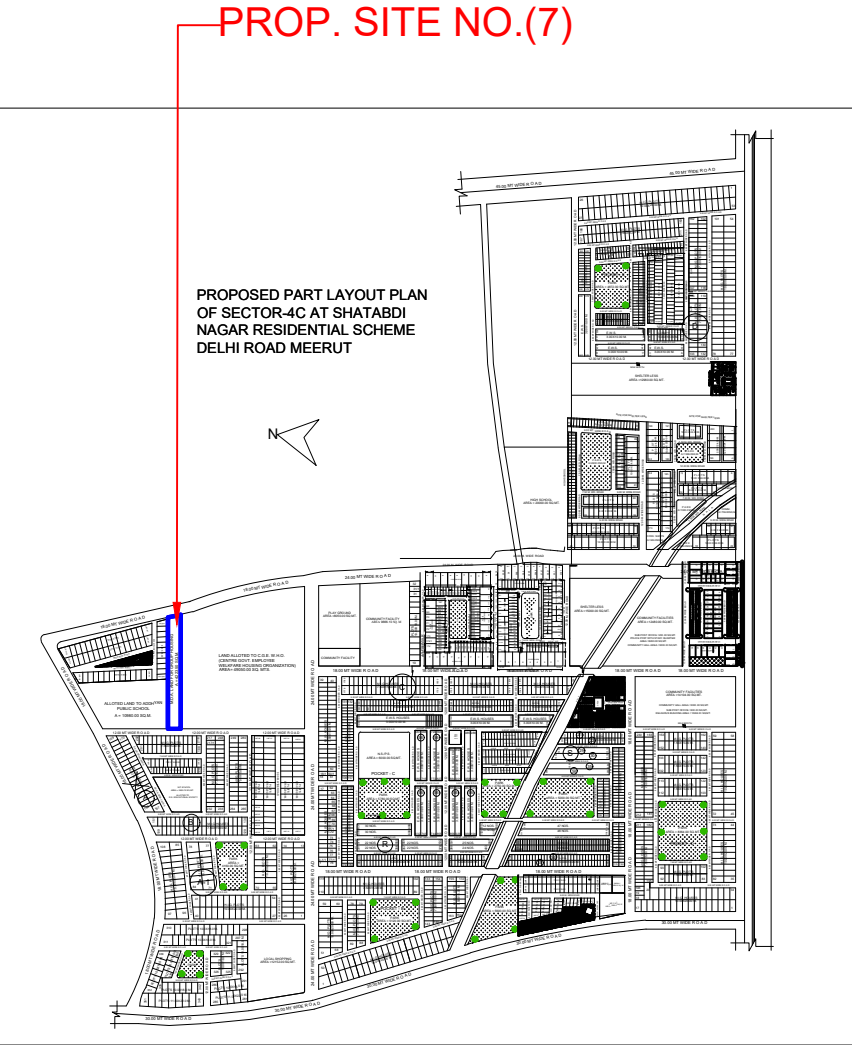
AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	3348.00 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3348.00 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2700.00 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	648.00 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01 TO LMP-18	18	150.00
TOTAL		18	

D.MAN /J.E.PLANNING	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	



MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION PHASE-2 RESI. PLOTS AT
SHATABDI NAGAR SECTOR-4C POCKET-A IN
MEERUT.(EXIST.SITE GROUP HOUSHING)

AREA STATEMENT :-

TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	4223.50 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	4223.50 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	2807.03 SQ.M.
AREA UNDER ROAD	1416.47 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-157 TO LMP-185	29	87.60
2.	LMP-156	01	125.94
3.	LMP-186	01	140.69
TOTAL		31	

	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
D.MAN /J.E.PLANNING		
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	

MEERUT
DEVELOPMENT
AUTHORITY

PROPOSED PART LAY-OUT PLAN OF LAND
MONETIZATION RESIDENTIAL PLOTS AT
POCKET-F (SESSORS) LOHIYA NAGAR ,HAPUR
ROAD ,MEERUT (EXIST.SITE FUTURE PLANNING)

AREA STATEMENT :-

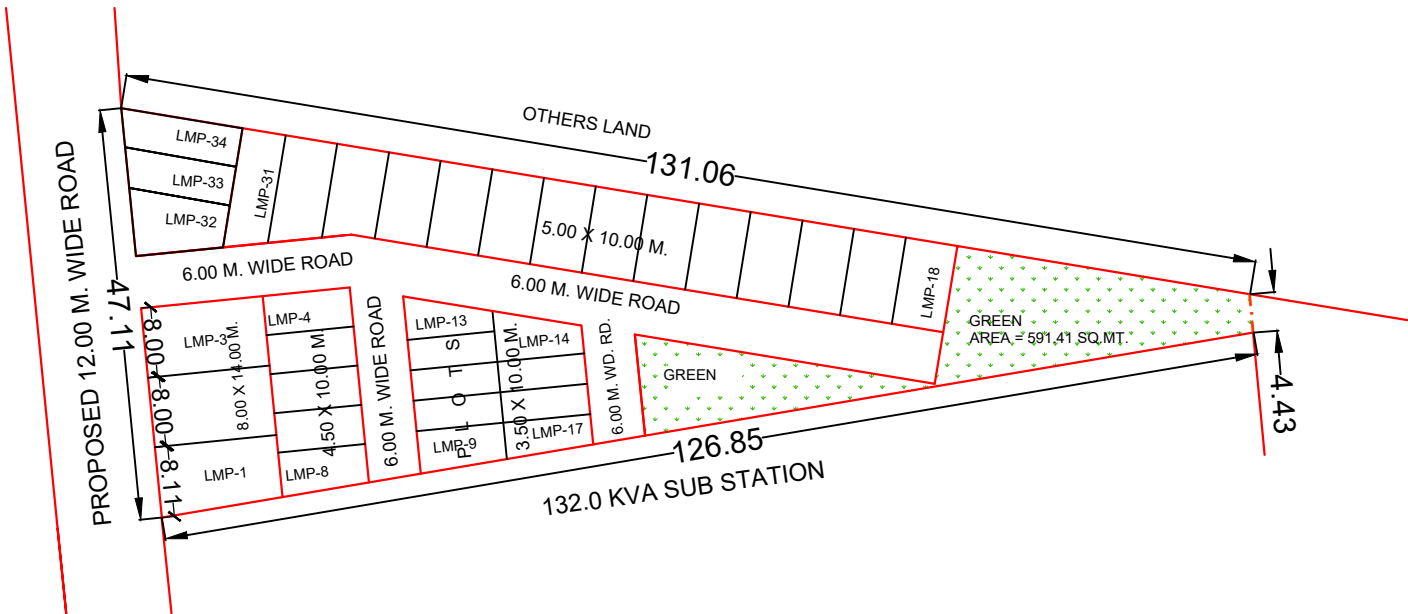
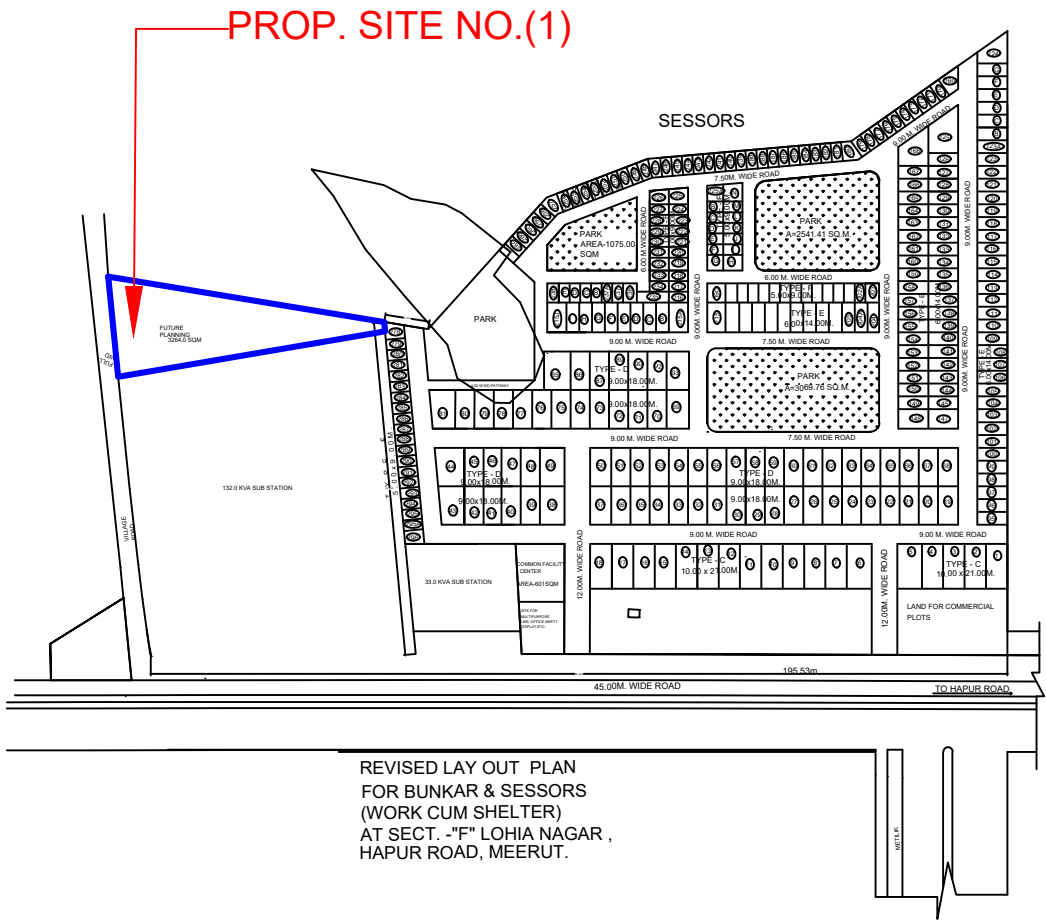
TOTAL AREA AS PER LAYOUT PLAN	3264.00 SQ.M.
TOTAL AREA OF PLANNING	3264.00 SQ.M.
TOTAL SELLABLE AREA	1763.15 SQ.M.
AREA UNDER ROAD & GREEN	941.44 +559.41 = 1500.85 SQ.M.

DETAILS OF PLOTS :-

S.NO.	PLOT NO.	TOTAL PLOTS	PLOT AREA (SQ.M.)
1.	LMP-01	01	106.70
2.	LMP-2 & LMP-3	02	112.00
3.	LMP-04 TO LMP-08	05	45.00
4.	LMP-09 TO LMP-13	05	35.00
5.	LMP-14	01	45.00
6.	LMP-15 TO LMP-17	03	35.00
7.	LMP-18 TO LMP-31	14	50.00
8.	LMP-32	01	67.56
9.	LMP-33	01	55.38
10.	LMP-34	01	59.51

TOTAL 34

D.MAN /J.E.PLANNING	DATE :-	NORTH :- 
	SCALE :-	
A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	
SECRETARY	V.C.	





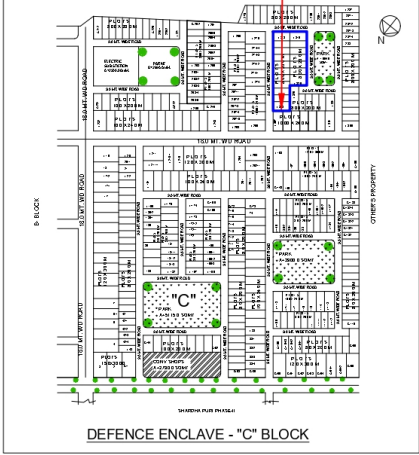
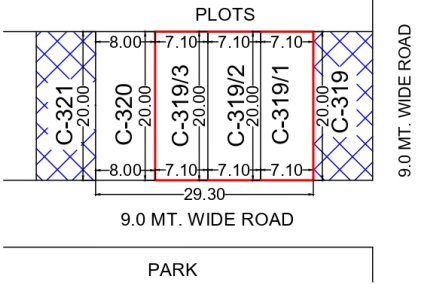
मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मरम्भो न सिध्यति



पत्रांक :- MeDA/25-26/P/45565

दिनांक :- 03/06/2026

 DEFENCE ENCLAVE - "C" BLOCK  PLOTS 9.0 MT. WIDE ROAD PARK	 REVISED PART LAY OUT PLAN OF POCKET -C DEFENCE ENCLAVE , MEERUT PLOTS DETAILS :-<table><tr><th>S.NO.</th><th>PLOT NO.</th><th>PLOT AREA (SQ.M.)</th><th></th></tr><tr><td>1.</td><td>C-319/1</td><td>142.00</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>C-319/2</td><td>142.00</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>C-319/3</td><td>142.00</td><td></td></tr></table> NEW PLOTS NO. - C-319/1,C-319/2,C-319/3 LEGENDS :- PROPOSED PLOT =  CONSTRUCTED PLOT =  <table><tr><td>REVISION</td><td>DATE :-</td><td>NORTH </td></tr><tr><td colspan="2">D.MAN / J.E.PLANNING</td><td>A.E.PLANNING</td></tr><tr><td>T.P./C.T.P.</td><td>SECRETARY</td><td>V.C.</td></tr></table>	S.NO.	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)		1.	C-319/1	142.00		2.	C-319/2	142.00		3.	C-319/3	142.00		REVISION	DATE :-	NORTH 	D.MAN / J.E.PLANNING		A.E.PLANNING	T.P./C.T.P.	SECRETARY	V.C.
S.NO.	PLOT NO.	PLOT AREA (SQ.M.)																								
1.	C-319/1	142.00																								
2.	C-319/2	142.00																								
3.	C-319/3	142.00																								
REVISION	DATE :-	NORTH 																								
D.MAN / J.E.PLANNING		A.E.PLANNING																								
T.P./C.T.P.	SECRETARY	V.C.																								

Arpit Gupta
सचिव

Digitally Signed
02/06/2026 06:44 PM

Sanjay Kumar Meena
उपाध्यक्ष

Digitally Signed
03/06/2026 11:58 AM

Pardhuman Tiwari
ड्राफ्ट मैन

Digitally Signed
06/05/2026 05:10 PM

Tej Pratap Singh
मुख्य नगर नियोजक

Digitally Signed
07/05/2026 05:41 PM